इरकॉन पी बी टोलवे लिमिटेड ('इरकॉन पीबीटीएल')

(इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)

सीआईएन: यू45400DL2014जीओआई272220

सातवीं (7वीं) वार्षिक रिपोर्ट

वित्तीय वर्ष 2020-21

भारत के विकास में राजमार्ग परियोजना भागीदारी

विजन

राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-15 पर बीकानेर-फलौदी खंड की राजमार्ग परियोजना के विकास के लिए कंपनी की स्थापना और विकास तथा इससे राजमार्ग परियोजना प्रयोक्ताओं के लाभ को सुनिश्चित करना और निर्मित टोल प्लाजा से उच्च राजस्व सुनिश्चित करना और कंपनी को इष्टतम समयावधि के भीतर अनुमानित परियोजना परिणामों के निर्धारित मानकों के स्तर तक पहुंचाना।

मिशन

(i) स्थल नियोजन, परियोजना गतिविधियों के अनुसूचन, भूमि के समतलीकरण व सतहीकरण तथा निर्माण की गुणवत्ता को मापने के लिए प्रणालियों के संस्थापन द्वारा निर्माण कार्य करना।

(ii) परियोजना के क्रियान्वयन और प्रचालनीकरण की उत्तरदायित्वपूर्ण मॉनीटरिंग करना।

(iii) टोल दरों पर नियंत्रण रखकर रियायत की समयावधि के दौरान राजमार्ग के संवर्धित प्रयोग को सुनिश्चित करना, जिससे सड़क पर अधिक से अधिक कारों तथा वाणिज्यिक वाहनों का आवागमन संभव हो सके तथा प्रभावपूर्ण यातायात सैंपलिंग के आधार पर टोल दरों को संशोधित करना।

(iv) अपेक्षित क्षेत्रों में लागत तथा चैनलिंग संसाधनों में कमी करना।

विषयसूची

	पृष्ठ सं.
निदेशक मंडल	1
संदर्भ सूचना	2
अध्यक्ष का संबोधन	3
निदेशक की रिपोर्ट और इसके परिशिष्ट:	
निदेशक की रिपोर्ट	5
वार्षिक रिटर्न का सार [फार्म सं. एजीटी-9]	16
सीएफओ और सीईओ प्रमाणपत्र	23
संबंधित पक्ष संव्यवहार [फार्म सं. एओसी-2]	24
सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट	25
वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट	28
वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए तुलनपत्र	39
सी.ए.जी की टिप्पणियां	102

निदेशक मंडल

श्री योगेश कुमार मिश्रा
अध्यक्ष

श्री अशोक कुमार गोयल
निदेशक

श्री बी. मुगुंथन
निदेशक

श्री मसूद अहमद
निदेशक

सुश्री रितु अरोड़ा
निदेशक

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड

संदर्भ सूचना

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

श्री राजु मारूति कांबले	: मुख्य कार्यपालक अधिकारी
श्री संदीप कुमार बंद्योपाद्याय	: मुख्य वित्त अधिकारी
सुश्री अनुराधा कौशिक	: कंपनी सचिव

सांविधिक लेखापरीक्षक

ए.एन.गर्ग एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

आंतरिक लेखापरीक्षक

एच.के.खन्ना एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

सचिवीय लेखापरीक्षक

मैसर्स जयेश परमार एंड एसोसिएट्स

कंपनी सचिव

लागत लेखापरीक्षक

रवि साहनी एंड कंपनी

लागत लेखापरीक्षक

बैंकर

इंडियन ओवरसीज बैंक, नई दिल्ली

सम्पर्क व्यक्ति

सुश्री अनुराधा कौशिक

कंपनी सचिव

ई-मेल : anuradha@ircon.org

पंजीकृत कार्यालय

सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत

नई दिल्ली-110017

अध्यक्ष का संबोधन

प्रिय शेयरधारकों

सर्वप्रथम, कृपया अपने और अपने प्रियजनों के अच्छे स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ स्वीकार करें। मुझे कंपनी की सातवीं (7वीं) वार्षिक आम बैठक में आप सभी का स्वागत करते हुए खुशी हो रही है। मैं आप में से प्रत्येक को इस बैठक में शामिल होने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं।

कंपनी का परिचय

मैं गणमान्य सदस्यों को बताना चाहता हूं कि अपकी कंपनी को राजस्थान राज्य में निर्माण, प्रचालन, और हस्तांतरण (बीओटी) (टोल) पर राष्ट्रीय राजमार्ग-15 के किमी 4.200 से किमी 55.250 तक चार लेन तथा किमी 55.250 से किमी 163.500 तक पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन के रूप में मौजूदा बीकानेर तथा फलौदी खंड का चौड़ीकरण तथा सुदृढ़ीकरण का कार्य सौंपा गया है और कंपनी ने 20 फरवरी 2019 से वाणिज्यिक टोल प्रचालन आरंभ कर दिया है।

परियोजना का निष्पादन चरण पहले ही पूरा हो चुका है और परियोजना अब प्रचालन और अनुरक्षण (ओ एंड एम) चरण में प्रवेश कर चुकी है अर्थात अनंतिम वाणिज्यिक प्रचालन तिथि (अनंतिम सीओडी) की तारीख से वाणिज्यिक टोलिंग प्रचालन। परियोजना ने टोल आय के रूप में सालासर, नोखरा और खीरवा में स्थित तीन प्रचालन टोल प्लाजा से राजस्व अर्जित करना आरंभ कर दिया है।

वित्तीय निष्पादन

आपकी कंपनी ने दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपने लाभ और हानि विवरण में सेवा रियायत करार (एससीए) के अंतर्गत निर्माण संविदा राजस्व सहित इंड एएस-115 "ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व" के तहत 5486.00 लाख रूपए का प्रचालनिक टर्नओवर को स्वीकार किया है।

कंपनी को 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए किए गए कार्य संविदागत व्ययों के लिए परियोजना और निर्धारित अन्य व्ययों के कारण दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु 1309.00 लाख करोड रूपए का निवल करपूर्व घाटा और 2138 लाख रूपए का कर पश्चात घाटा हुआ है।

इसके अतिरिक्त, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ('सीएजी') ने दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर शून्य टिप्पणियां जारी की हैं।

अनुपालन और प्रकटन

कंपनी अधिनियम, 2013 तथा इसके अंतर्गत इसके संबंधित नियमों के अनुसार अनुपालन और प्रकटनों का पूर्ण रूप से अनुपालन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (यथा धारक कंपनी) की विशेष प्रयोजन व्यवस्था (एसपीवी) के रूप में निगमित होने के कारण, कंपनी को लोक उपक्रम विभाग (डीईपी) द्वारा जारी निगमित शासन पर दिशानिर्देशों का अनुपालन करने से छूट प्राप्त है।

आभारोक्ति

मैं धारक कंपनी, सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, कंपनी के बोर्ड सदस्यों व लेखापरीक्षकों और कंपनी के मूल्यवान ग्राहकों यथा एनएचएआई द्वारा कंपनी को निरंतर समर्थन और सहयोग करने तथा वित्तीय और प्रशासनिक सहायता प्रदान करने के लिए हार्दिक धन्यवाद तथा आभाग प्रकट करता हूं। मैं बैंकों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी), लागत लेखापरीक्षकों तथा सचिवीय लेखापरीक्षकों के व्यापक सहयोग हेतु धन्यवाद करता हूं। मैं, कंपनी के सभी स्तरों पर सभी कर्मचारियों द्वारा किए गए अच्छे कार्य की भी प्रशंसा करता हूं। हम आगे की यात्रा में आपके निरंतर समर्थन की आशा करते हैं।

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड

हेतु तथा की ओर से

ह0/-

(योगेश कुमार मिश्रा)

अध्यक्ष

डीआईएन: 07654014

बोर्ड की रिपोर्ट

वित्तीय वर्ष: 2020-21

निदेशक की रिपोर्ट

प्रिय सदस्यों,

निदेशकों को दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की **7वीं वार्षिक रिपोर्ट** और लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण प्रस्तुत करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है।

1. व्यावसायिक प्रचालनिक विशेषताएं:

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (इरकॉनपीबीटीएल), इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, को 30 सितंबर, 2014 को एक विशेष प्रयोजन वाहन के रूप में निगमित किया गया था, और इसने 14 नवंबर, 2014 को व्यवसाय शुरू करने के लिए अनुमोदन प्राप्त किया है। इरकॉनपीबीटीएल का मुख्य उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के साथ 7 नवंबर, 2014 को हस्ताक्षरित रियायत समझौते की शर्तों के अनुसार निर्माण, संचालन और स्थानांतरण (बीओटी) (टोल) आधार पर राजस्थान राज्य में, मौजूदा बीकानेर और फलोदी खंड को 4.200 किमी से 55.250 किमी तक चौड़ा और सुदृढ बनाना और एनएच-15 के 55.250 किमी से 163.500 किमी तक पेवड शोल्डर सहित दो लेन (टोल) को सुदृढ बनाना है। परियोजना की कुल स्वीकृत लागत 844.08 करोड़ रूपए है और ईपीसी लागत को संशोधित करके 646.00 करोड़ रूपए से 767.48 करोड़ रूपए किया गया है। परियोजना की रियायत अवधि 26 वर्ष है, जिसमें नियत तिथि अर्थात दिनांक 14 अक्टूबर 2015 से शुरू होने वाले 910 दिनों (30 महीने) की निर्माण अवधि शामिल नहीं है।

निर्मित सड़क की कुल लंबाई 159.17 किमी और समकक्ष 2 लेन 210.22 किमी (चार लेन: 51.05 किमी और दो लेन: 108.12 किमी) है। 159.17 किलोमीटर में से दिनांक 15 फरवरी 2019 को एनएचएआई द्वारा बीकानेर जिले के सालासर, नोखरा और राजस्थान के जोधपुर जिले के खीरवा में स्थित सभी तीन टोल प्लाजा पर टोलिंग संचालन शुरू करने के लिए 156.650 किलोमीटर के पूरा होने का अनंतिम प्रमाण पत्र जारी किया गया है। बीकानेर-फलोदी परियोजना का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।

इस प्रकार परियोजना ने वाणिज्यिक परिचालन में प्रवेश किया है और तीन टोल प्लाजा पर टोल आय अर्जित करना शुरू कर दिया।

दिनांक 31 मार्च 2021 को, कंपनी की अधिकृत इक्विटी शेयर पूंजी 175 करोड़ रुपये और प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी 165 करोड़ रुपये है। इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (होल्डिंग कंपनी) से प्राप्त ऋण पूंजी (दीर्घकालिक ऋण) 336 करोड़ रुपये है।

टोल राजस्व

राजस्थान के बीकानेर जिले के सालासर, नोखरा और जोधपुर जिले के खीरवा में स्थित तीन टोल प्लाजा से राजस्व वसूली का कार्य निम्नलिखित तिथियों से प्रगति पर है:

टोल/कॉरीडोर का नाम	**टोल राजस्व आरंभ तिथि**	**वि.व 2020-21 के दौरान एकत्र टोल (करोड़ रूपए में)**
सालासर (टीपी – 1)	20.02.2019	21.27
नोखरा (टीपी – 2)	22.02.2019	14.61
खीरवा (टीपी – 3)	24.02.2019	7.14
	कुल	**43.02**

2. वित्तीय विशेषताएं:

कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के तहत उल्लिखित प्रावधानों के अनुसरण में, कंपनी ने भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अपने वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार किए हैं।

31 मार्च 2021 को वित्तीय निष्पादन निम्नानुसार है :

(राशि लाख रूपए में)

क्र.सं	**विवरण**	**31.03.2021 को समाप्त वर्ष हेतु**	**31.03.2020 को समाप्त वर्ष हेतु**
1.	इक्विटी शेयर पूंजी	16500	16500
2.	अन्य इक्विटी (रिजर्व और सहित) अतिरेक	(3676)	(1538)
3.	निवल परिसंपत्ति	12824	14962
4.	कर्ज	33600	37929
5.	विकास के तहत अमूर्त संपत्ति	-	1694
6.	कुल संपत्ति और देनदारियां	50934	59417
7.	संचालन से राजस्व	5486	7040
8.	अन्य आय	44	033
9.	कुल आय	5530	7073
10.	परिचालन लागत	6825	8781

11.	अन्य व्यय	14	008
12.	कर पूर्व लाभ / हानि	(1309)	(1716)
13.	कराधान के लिए प्रावधान	829	001
14.	कर पश्चात लाभ/(हानि)	(2138)	(1717)
15.	पिछले वर्षों के लिए लाभ/हानि का संतुलन	(1538)	181
16.	शेष राशि अग्रेषण	(3676)	(1538)

3. <u>आरक्षित निधि पर लाभांश और विनियोग :</u>

निदेशक मंडल वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए किसी लाभांश की अनुशंसा नहीं करता है।

इंड एएस की प्रयोज्यता के अनुसार, वित्तीय विवरणों में 'अन्य इक्विटी' शीर्ष के तहत आरक्षित आय के रूप में आरक्षित आय को परिलक्षित किया गया है और आपकी कंपनी के पास का दिनांक 31 मार्च 20201 को प्रतिधारित आमदनियों में -3676 लाख रूपए का ऋणात्मक शेष है।

4. <u>शेयर पूंजी/डीमेटिरियलाइजेशन :</u>

दिनांक 31 मार्च 2021 को कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी और प्रदत्त शेयर पूंजी 175 करोड़ रुपये है, जिसमें क्रमश: प्रति 10/- रुपये के 17,50,00,000 इक्विटी शेयर और 165 करोड़ रुपये जिसमें प्रति 10 रूपए के 16,50,00,000 इक्विटी शेयर शामिल हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी की शेयर पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) के पास इरकॉनपीबीटीएल की 100% प्रदत्त शेयर पूंजी है।

दिनांक 22.01.2019 के कंपनी (प्रॉस्पेक्टस और प्रतिभूतियों का आवंटन) संशोधन नियम, 2019 के नियम 9ए के अनुसार, कंपनी एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (डब्लयूओएस) होने के नाते अपनी प्रतिभूतियों को डीमैट रूप में प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

5. <u>परियोजना से रोकड़ प्रवाह :</u>

वर्ष के दौरान परियोजना गतिविधियों से कुल रोकड़ प्रवाह 7961 लाख रूपए है।

6. <u>सहायक कंपनी/संयुक्त उपक्रम/संबद्ध कंपनियों का ब्यौरा :</u>

समीक्षाधीन अवधि के लिए कंपनी की कोई सहायक/संयुक्त उद्यम/सहयोगी कंपनी नहीं थी।

7. **<u>कोविड-19 का प्रभाव :</u>**

कोविड-19 महामारी की पहली लहर के कारण भारत सरकार द्वारा जारी लॉकडाउन निर्देश के परिणामस्वरूप 26.03.2020 से 19.04.2020 तक की अवधि के लिए टोलिंग ऑपरेशन को निलंबित कर दिया गया था। इस लॉकडाउन के कारण टोल वसूली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जिससे राजस्व में कमी आई।

कंपनी ने नोवेल कोरोनावायरस के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार द्वारा सुझाए गए सभी निर्धारित सावधानियां बरती हैं। वित्तीय विवरणों में कोविड-19 के प्रभाव को दर्शाया गया किया गया है।

8. **<u>निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधन कार्मिक:</u>**

<u>निदेशक मंडल</u>:

वर्ष 2020-21 के दौरान पदनाम के साथ निदेशकों की श्रेणी और नाम

कंपनी के संगम अनुच्छेदों के अनुसार, कंपनी के बोर्ड की नियुक्ति होल्डिंग कंपनी, इरकॉन द्वारा की जाती है। वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान, कंपनी के प्रबंधन का नेतृत्व निम्नलिखित गैर-कार्यपालक (नामिती) निदेशकों द्वारा किया गया है: -

श्रेणी, नाम और पद	**डीआईएन**	**नियुक्ति या समाप्ति (वर्ष के दौरान, यदि कोई हो)**
श्री श्याम लाल गुप्ता, अध्यक्ष	07598920	-
श्री अशोक कुमार गोयल, निदेशक	05308809	-
श्री राजेन्द्र सिंह यादव, निदेशक	07752915	31.10.2020 को निदेशक के पद से कार्यमुक्त हुए
सुश्री भुवनेश्वरी कृष्णन, निदेशक	07486148	23.12.2020 को निदेशक के पद से कार्यमुक्त हुए
श्री मुगुंथन बोजु गौड़ा, निदेशक	08517013	23.12.2020 को निदेशक के पद पर नियुक्त हुए

तथापि, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद, श्री श्याम लाल गुप्ता दिनांक 13.05.2021 से अध्यक्ष पद से पदमुक्त हुए और श्री योगेश कुमार मिश्रा को अध्यक्ष के रूप में और सुश्री रितु अरोड़ा को कंपनी के निदेशक के रूप में दिनांक 13.05.2021 से नियुक्त किया गया था।

बोर्ड ने कंपनी के निदेशक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान श्री श्याम लाल गुप्ता, श्री राजेंद्र सिंह यादव और सुश्री भुवनेश्वरी कृष्णन द्वारा दिए गए उनके बहुमूल्य योगदान और मार्गदर्शन और समर्थन के लिए सराहना की।

नीचे दी गई तालिका वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों में बोर्ड के सदस्यों की उपस्थिति और पिछली वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में उनकी उपस्थिति को दर्शाती है:

निदेशक का नाम	बैठक की तिथि							कार्यकाल के दौरान आयोजित कुल बैठकें	बैठकों में उपस्थिति की संख्या	उपस्थिति का प्रतिशत
	18.05.2020	24.06.2020	19.08.2020	23.10.2020	09.11.2020	09.02.2021	25.03.2021			
श्री श्याम लाल गुप्ता	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7	7	100
श्री अशोक कुमार गोयल	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7	7	100
श्री राजेन्द्र सिंह यादव (31.10.2020 तक)	✓	✓	✓	✓	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	4	4	100
सुश्री भुवनेश्वरी कृष्णन (23.012.2020 तक)	✓	✓	✓	✓	✓	लागू नहीं	लागू नहीं	5	5	100
श्री बी. मुगुंथन (23.12.2020 से)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	अनुपस्थित	✓	2	1	50

<u>प्रमुख प्रबंधन कार्मिक:</u>

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-203 के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल ने मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ), मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) और कंपनी सचिव (सीएस) को कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) के रूप में नामित किया है।

वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक हैं- श्री अतुल कुमार, सीईओ (18.03.2021 तक); श्री राजू मारुति कांबले, सीईओ (18.03.2021 से प्रभावी); श्री मंजूर मोहम्मद गौरी, सीएफओ (11.08.2020 तक); सुश्री मीनाक्षी गर्ग, सीएफओ (11.08.2020 से प्रभावी) और सुश्री अनुराधा कौशिक, सीएस।

वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद, दिनांक 01.07.2021 से 03.08.2021 तक सुश्री मीनाक्षी गर्ग के स्थान पर श्री नागेंद्र जोशी को कंपनी का सीएफओ नियुक्त किया गया था। । इसके अतिरिक्त, दिनांक 03.08.2021 से श्री नगेंद्र जोशी के स्थान पर श्री संदीप कुमार बंद्योपाध्याय कंपनी के सीएफओ हैं।

9. <u>बोर्ड की बैठकें</u>:

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, बोर्ड ने 18.05.2020, 24.06.2020, 19.08.2020, 23.10.2020, 09.11.2020, 09.02.2021 और 25.03.2021 को सात (7) बार बैठक की हैं। बोर्ड की बैठकों के बीच का अंतराल कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित अवधि के भीतर था। बोर्ड की बैठकों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है:

बैठक की तारीख	बार्ड सदस्यों की संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या
18.05.2020	4	4
24.06.2020	4	4
19.08.2020	4	4
23.10.2020	4	4
09.11.2020	3	3
09.02.2021	3	2
25.03.2021	3	3

10. <u>स्वतंत्र निदेशक और बोर्ड समिति तथा डीपीई द्वारा जारी निगमित शासन दिशानिर्देश :</u>

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी दिनांक 5 जुलाई, 2017 की अधिसूचना के अनुसार, अन्य बातों के साथ-साथ कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 4 में संशोधन के तहत एक गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी और एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी होने के नाते इसके बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति और बोर्ड समितियों का गठन जैस लेखापरीक्षा समिति और नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) के गठन की आवश्यकता से छूट दी गई है।

तदनुसार, एक गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी और इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, इरकॉनपीबीटीएल को अपने बोर्ड में किसी स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति करने की आवश्यकता नहीं है और स्वतंत्र निदेशकों की घोषणा कंपनी पर लागू नहीं होती है।

इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिनांक 8-10 जुलाई 2014 के कार्यालय ज्ञापन के साथ पठित 11 जुलाई, 2019 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) के रूप में गठित सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट शासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन से छूट दी गई है। ।

11. <u>निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण:</u>

कंपनी का निदेशक मंडल पुष्टि करता है कि :

क) दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करने में, सामग्री प्रस्थान, यदि कोई हो, से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखा मानकों का पालन किया गया है;

ख) ऐसी लेखा नीतियों का चयन किया गया है और उन्हें निरंतर लागू किया गया है और निर्णय और अनुमान किए गए हैं, जो उचित और विवेकपूर्ण हैं ताकि वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि और उस तिथि को कंपनी के लाभ व कंपनी के मामलों की स्थिति का सही और निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत किया जा सके।

ग) कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की गई है;

घ) यह कि वार्षिक वित्तीय विवरण गोइंग कंसर्न आधार पर तैयार किए गए हैं;

ड.) सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां तैयार की गई हैं और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त थीं और प्रभावी ढंग से काम कर रही थीं।

12. <u>वित्तीय विवरणों के लिए निदेशकों का अवलोकन और टिप्पणियां</u>
<u>(लेखापरीक्षकों द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गई किसी भी टिप्पणी का स्पष्टीकरण):</u>

वित्तीय विवरणों भाग के रूप में खातों के लिए टिप्पणियाँ स्व-व्याख्यात्मक हैं और उन्हें और अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में ऐसी कोई अर्हता या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है जिसके लिए किसी स्पष्टीकरण/स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो।

13. <u>लेखापरीक्षक:</u>

<u>सांविधिक लेखापरीक्षक</u>:

मैसर्स ए.एन. गर्ग एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, को सीएजी के दिनांक 18.08.2020 के पत्र के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (1) के तहत आवश्यक लिखित सहमति और प्रमाण पत्र के माध्यम से पुष्टि की है।

<u>लागत लेखापरीक्षक</u>:

निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी के लागत लेखापरीक्षक के रूप में मेसर्स रवि साहनी एंड कंपनी, लागत लेखाकारों को लागू नियमों/मार्गदर्शन नोट के अनुसार कंपनी द्वारा अनुरक्षित लागत अभिलेखों की लेखापरीक्षा करने के लिए नियुक्त किया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के तहत कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखापरीक्षा) नियम, 2014 और कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 की धारा 148 के तहत इंड-एएस प्रयोज्यता के कारण कारोबार हेतु, कंपनी द्वारा ऐसे खाते और रिकॉर्ड बनाए रखे जाते हैं।

<u>सचिवीय लेखापरीक्षक</u>:

निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी के सचिवीय लेखापरीक्षक के रूप में मेसर्स जयेश परमार एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव को नियुक्त किया है।

<u>आंतरिक लेखापरीक्षक:</u>

निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी की आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए मेसर्स एच. के. खन्ना एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को आंतरिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया।

14. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के तहत ऋण, गारंटी या निवेश का विवरण:

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधानों के तहत शामिल किए गए ऋण, गारंटी और निवेश का कोई लेनदेन नहीं है।

15. **वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं:**

वित्तीय वर्ष के अंत और इस रिपोर्ट की तारीख के बीच के अंतराल में कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं नहीं हुई थीं।

16. **ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण, विदेशी मुद्रा आय और व्यय:**

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(3) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एम) के तहत निर्धारित विवरण नीचे दिए गए हैं:

क. ऊर्जा का संरक्षण:-

आपकी कंपनी किसी भी निर्माण गतिविधि में संलग्न नहीं है और इसलिए विवरण प्रस्तुत करना कंपनी पर लागू नहीं है।

ख. प्रौद्योगिकी अवशोषण: -

आपकी कंपनी किसी भी निर्माण गतिविधि में संलग्न नहीं है और इसलिए विवरण प्रस्तुत करना कंपनी पर लागू नहीं है।

ग. विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय:-

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, आपकी कंपनी ने विदेशी मुद्रा अर्जन और विदेशी मुद्रा व्यय नहीं हुआ।

17. जोखिम प्रबंधन:

बोर्ड की राय में, वर्तमान में कंपनी को कंपनी के व्यवसाय के लिए किसी बड़े खतरे/जोखिम की आशंका नहीं है।

18. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति के गठन की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।

19. कर्मचारियों का विवरण:

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5 जून 2015 की अधिसूचना के अनुसार, सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधानों और अध्याय XIII के तहत संबंधित नियमों के अनुपालन से छूट दी गई है।

इरकॉन पीबीटीएल के एक सरकारी कंपनी होने के कारण, निदेशकों की रिपोर्ट के एक भाग के रूप में कंपनी के नियम 5(2) (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) के तहत निर्धारित मानदंडों के तहत आने वाले कर्मचारियों के पारिश्रमिक पर जानकारी का प्रकटन करने की आवश्यकता नहीं है।

20. व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन:

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी के कारोबार की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं आया है।

21. सार्वजनिक जमा:

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 और कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 के अनुसार अपने सदस्यों से कोई जमा राशि आमंत्रित नहीं की है।

22. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनकी पर्याप्तता

कंपनी के पास वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्त प्रणाली है। सभी लेन-देन उचित रूप से अधिकृत, रिकॉर्ड किए गए और प्रबंधन को रिपोर्ट किए गए हैं। कंपनी वित्तीय विवरणों में लेखा बहियों और रिपोर्टिंग को ठीक से बनाए रखने के लिए सभी लागू लेखा मानकों का पालन कर रही है। आपकी कंपनी अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप उचित और पर्याप्त प्रणालियों और प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करना जारी रखती है।

23. नियामकों या अदालतों या ट्रिब्यूनलों द्वारा पारित महत्वपूर्ण आदेश, जो भविष्य में गोइंग कंसर्न की स्थिति और कंपनी के संचालन को प्रभावित कर रहे हैं

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान भविष्य में कंपनी की गोइंग कंसर्न की स्थिति और भविष्य में इसके संचालन को प्रभावित करने वाले नियामकों या न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।

24. खरीद वरीयता नीति के क्रियान्वयन के लिए एमएसएमई दिशानिर्देशों का अनुपालन

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने निर्देश जारी किए कि कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत सभी कंपनियां, जिनका टर्नओवर 500 करोड़ रूपए से अधिक है और सभी सीपीएसई भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना के अनुसार स्थापित ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीआरईडीएस) प्लेटफॉर्म पर खुद को ऑन-बोर्ड करने की आवश्यकता है। प्रत्येक राज्य में कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) ऐसे निर्देशों के अनुपालन की निगरानी के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे और सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार सीपीएसई द्वारा ऐसे निर्देशों के अनुपालन की निगरानी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे। उपरोक्त निर्देश के अनुपालन के अंतर्गत कंपनी टीआरईडीएस में शामिल हो गई है ताकि एमएसई के व्यापार प्राप्तियों के वित्तपोषण की सुविधा के लिए उनकी प्राप्तियों की छूट और नियत तारीख से पहले उनके भुगतान की वसूली को सुलभ बनाया जा सके।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 0.30 लाख रूपए के कुल वार्षिक खरीद लक्ष्य की तुलना में .0.37 लाख रूपए मूल्य की वस्तुओं की खरीद की है।

25. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुसार प्रकटीकरण:

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी को आरंभ में यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत लंबित या प्राप्त नहीं हुई थी।

वर्ष की समाप्ति के बाद, कंपनी ने होल्डिंग कंपनी द्वारा तैयार की गई इरकॉन (पीओएसएच नीति) की 'कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण के लिए नीति' को अपनाया है। पीओएसएच नीति के अनुसार इरकॉन की आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी), कॉर्पोरेट कार्यालय के साथ-साथ इरकॉन के निकटतम परियोजना कार्यालय में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत आईसीसी होगी ताकि पीओएसएच अधिनियम के तहत सभी मामलों से निपटान किया जा सके।

26. सतर्कता तंत्र:

सतर्कता तंत्र की स्थापना से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(9) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

27. सूचना का अधिकार:

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान आपकी कंपनी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

28. बोर्ड के सदस्यों का निष्पादन मूल्यांकन:

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने दिनांक 5 जून 2015 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 के कुछ प्रावधानों से छूट प्रदान की है, जो अन्य बातों के साथ-साथ प्रावधान है कि धारा 134(3)(पी) के अंतर्गत बोर्ड के औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन पर विवरण प्रस्तुत करने का प्रावधान सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होगा, यदि निदेशकों का मूल्यांकन मंत्रालय द्वारा किया जाता है जो कंपनी के मूल्यांकन पद्धति के अनुसार प्रशासनिक रूप से प्रभारी है।

इसके अतिरिक्त, एमसीए द्वारा जारी उपर्युक्त परिपत्र के तहत भी नियुक्ति, प्रदर्शन मूल्यांकन और पारिश्रमिक के संबंध में खंड 178 की उप-धारा (2), (3) और (4) के प्रावधान सरकारी कंपनियों के निदेशकों पर लागू नहीं होगा।

एक सरकारी कंपनी और इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी होने के नाते, सभी अंशकालिक निदेशकों को होल्डिंग कंपनी, इरकॉन द्वारा नामित किया जाता है। इन मनोनीत निदेशकों का मूल्यांकन भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पूर्व-निर्धारित मानदंडों के अनुसार होल्डिंग कंपनी द्वारा किया जाता है।

29. सचिवीय मानक

वर्ष के दौरान, कंपनी, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी लागू सचिवीय मानकों के अनुपालन में है।

30. सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक टिप्पणियाँ

वित्त वर्ष 2020-21 के लिए वित्तीय विवरणों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट शून्य अवलोकन के साथ वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में अलग से संलग्न हैं, साथ ही वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) की टिप्पणियां भी संलग्न हैं।

31. दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत लंबित आवेदन/कार्रवाई

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत कंपनी के प्रति कोई कार्रवाई आरंभ /लंबित नहीं है, जो कंपनी के व्यवसाय को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है।

32. समझौता ज्ञापन (एमओयू):

सार्वजनिक उद्यम विभाग ने आपकी कंपनी को डीपीई एमओयू दिशानिर्देशों के संदर्भ में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए इरकॉन (होल्डिंग कंपनी) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से छूट दी है।

33. इस रिपोर्ट के अनुबंध:

(I) वार्षिक रिटर्न का उद्धरण :

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) के अनुसार फॉर्म एमजीटी-9 में वार्षिक रिटर्न का उद्धरण इस रिपोर्ट के हिस्से के रूप में **अनुबंध-1** के रूप में संलग्न है।

(II) सीईओ और सीएफओ द्वारा अनुपालन प्रमाणपत्र :

सीईओ और सीएफओ द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित अनुपालन प्रमाणपत्र दिनांक 15.06.2021 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक के समक्ष रखा गया था और इसे **अनुबंध-2** के रूप में रखा गया है।

(III) संबंधित पक्ष के साथ अनुबंध या व्यवस्था का विवरण:

वर्ष के दौरान, संबंधित पक्ष लेनदेन होल्डिंग कंपनी, इरकॉन के साथ और व्यापार के सामान्य क्रम में और आर्म लेंथ आधार पर थे और कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार अनुमोदित थे। फॉर्म एओसी-2 में संबंधित पक्ष लेनदेन का विवरण इस रिपोर्ट के साथ **अनुबंध-3** के रूप में संलग्न है।

(iv) सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के तहत कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के तहत आवश्यक प्रपत्र एमआर-3 में सचिवीय लेखापरीक्षक से "सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट" के **अनुबंध-4** के रूप में प्रस्तुत है।

<u>आभारोक्ति:</u>

हम इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, लेखापरीक्षकों और हमारे मूल्यवान ग्राहक - भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद देते हैं, और भविष्य में उनके निरंतर समर्थन की आशा करते हैं।

हम अपने ठेकेदारों, उप-ठेकेदारों, बैंकरों को वर्ष के दौरान उनके निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद देते हैं। हम सभी स्तरों पर अपने कर्मचारियों द्वारा किए गए योगदान के लिए उनकी सराहना भी करते हैं। उनकी कड़ी मेहनत, एकजुटता, सहयोग और समर्थन से ही हमारा निरंतर विकास संभव हुआ है।

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड के
निदेशक मंडल के निमित्त और उसकी ओर से

ह/-
योगेश कुमार मिश्रा
अध्यक्ष डीआईएन: 07654014

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 10.08.2021

अनुबंध – II

फॉर्म सं.एमजीटी 9

वार्षिक रिटर्न का सार

31.03.2021 को समाप्त वित्त वर्ष हेत

[कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 92(3) तथा कंपनी (प्रशासन और प्रबंधन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसरण में]

I. पंजीकरण और अन्य ब्यौरा :

1.	**सीआईएन**	यू45400डीएल2014जीओआई272220
2.	**पंजीकरण तिथि**	30 सितंबर, 2014
3.	**कंपनी का नाम**	इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड
4.	**कंपनी की श्रेणी/उपश्रेणी**	सरकारी कंपनी (इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)
5.	**पंजीकृत कार्यालय का पता व संपर्क ब्यौरा**	पता: सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली -110017
6.	**कंपनी सूचीबद्ध है या गैर-सूचीबद्ध**	गैर-सूचीबद्ध कंपनी
7.	**रजिस्ट्रार तथा हस्तांतरण एजेंट, यदि कोई हो, का नाम तथा संपर्क ब्यौरा**	लागू नहीं

II. कंपनी की प्रधान व्यवसायिक गतिविधियां: (कंपनी की सभी व्यवसायिक गतिविधियों का उल्लेख किया गया है जो कंपनी के कुल टर्नओवर का 10 प्रतिशत या अधिक का योगदान करती हैं।)

क्र.सं	**मुख्य उत्पाद व सेवा का नाम**	**उत्पाद/सेवाओं का एनआईसी कोड**	**कंपनी के कुल टर्नओवर का %**
1.	राजस्थान राज्य में बीकानेर-फलौदी खंड (राष्ट्रीय राजमार्ग-15) पर राजमार्ग परियोजना के निर्माण के रूप में सेवाएं प्रदान करना : निर्माण सेवाएं: राजमार्ग परियोजना (ईपीसी ठेकेदार के माध्यम से)	42101	100%

III. धारक, सहायक तथा संबद्ध कंपनियों का विवरण :

.सं	**कंपनी का नाम व पता**	**सीआईएन/जीएलएन**	**धारक/सहायक/ संबद्ध कंपनियों**	**धारित शेयरों का प्रतिशत**	**लागू अनुच्छेद**
1	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	45203डीएल1976जीओआई008171	धारक कंपनी	100% *	अनुच्छेद 2(46)

*** 100% शेयर इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) तथा इसके 07 नामितियों के पास हैं ।**

IV. शेयर धारिता पैटर्न

(कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी का विवरण)

क) श्रेणीवार शेयर धारिता:

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या [01.04.2020 को]				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या [31.03.2021 को]				वर्ष के दौरान % परिवर्तन
	डीमेट	फिजिकल	कुल	कुल शेयरों का %	डीमेट	फिजिकल	कुल	कुल शेयरों का %	
क. प्रमोटर									
(1) भारतीय									
क) व्यक्तिगत/ एचयूएफ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) केन्द्र सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) राज्य सरकार(सरकारें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) निकाय निगम#	**शून्य**	165000000	165000000	100%	**शून्य**	165000000	165000000	100%	**शून्य**
ड.) बैंक/वित्तीय संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
च) कोई अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) विदेशी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रमोटरों की कुल शेयरधारिता (क)	**शून्य**	**165000000**	**165000000**	**100%**	**शून्य**	**165000000**	**165000000**	**100%**	**शून्य**
ख. जन शेयरधारिता									
1. संस्थान									
क) म्युचवल फंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) बैंक / वित्तीय संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) केन्द्र सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) राज्य सरकार (सरकारें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ड.) उपक्रम पूंजी निधियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-
च) बीमा कंपनियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-
छ) एफआईआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ज) विदेशी उपक्रम पूंजी निधियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-
झ) अन्य (बताएं)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप कुल (ख)(1):-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. गैर-संस्थागत									
क) निकाय निगम	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) भारतीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) विदेशी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) व्यक्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) 1 लाख रूपए तक सांकेतिक शेयर पूंजी धारक व्यक्तिगत शेयरधारक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) 1 लाख रूपए से अधिक सांकेतिक शेयर पूंजी धारक व्यक्तिगत शेयरधारक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) अन्य (स्पष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अप्रवासी भारतीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विदेशी निगमित निकाय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विदेशी राष्ट्रीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क्लियरिंग सदस्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ट्रस्ट	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विदेशी निकाय-डीआर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उपकुल(ख)(2):-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (ख)=(ख)(1)+ (ख)(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग. जीडीआर तथा एडीआर के लिए कस्टोडियन द्वारा धारित शेयर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सकल योग (क+ख+ग)	**शून्य**	**165000000**	**165000000**	**100%**	**शून्य**	**165000000**	**165000000**	**100%**	**शून्य**

 # निकाय निगम: 100% शेयरधारिता निगमित निकाय - इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और इसके 07 नामितियों के पास है।

ख) प्रमोटरों की शेयरधारिता:

क्र.सं	शेयरधारक का नाम	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता			वर्ष के अंत में शेयरधारिता			वर्ष के दौरान शेयरधारिता % में परिवर्तन
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में प्रतिभूति/ऋण युक्त शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में प्रतिभूति/ ऋणयुक्त शेयरों का %	
1	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड$	165000000	100%	शून्य	165000000	100%	शून्य	शून्य
	कुल	165000000	100%	शून्य	165000000	100%	शून्य	शून्य

$ प्रमोटरों की शेयरधारिता: कंपनी प्रत्येक 10 रूपए के 16,50,00,000 इक्विटी शेयरों के साथ कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है अर्थात सम्पूर्ण शेयरधारिता भारतीय प्रमोटरों के पास है। अन्य 7 शेयरधारक "इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के लिए और उसकी ओर से" शेयर धारण कर रहे हैं।

* इरकॉन की ओर से नामित शेयरधारक श्री बसंत कुमार द्वारा धारित 100 शेयर इरकॉन की ओर से श्री बी. मुगुनथन, नामित शेयरधारक को हस्तांतरित किए गए।
* इरकॉन की ओर से नामित शेयरधारक श्री राजेंद्र सिंह यादव द्वारा धारित 100 शेयर इरकॉन को हस्तांतरित किए गए।

ग) प्रमोटरों की शेयरधारिता में परिवर्तन :

क्र.सं	विवरण	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता*		वर्ष के दौरान संचित संचयी शेयरधारिता *	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1.	वर्ष के आरंभ में	165000000	100%	165000000	100%
2.	वृद्धि/कमी के लिए कारणों को दर्शाते हुए वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरधारिता में वृद्धि/कमी का तारीख-वार ब्यौरा (उदाहरण के लिए: आवंटन/हस्तांतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि):	शून्य			
3.	वर्ष के अंत में	165000000	100%	165000000	100%

*** 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आरंभ होने वाले वित्तीय वर्ष को दर्शाता है।**

घ) दस शीर्ष शेयरधारों की शेयरधारिता पैटर्न :

(निदेशकों, प्रमोटरों तथा जीडीआर व एडीआर के धारकों से इतर):

क्र.सं	प्रत्येक 10 शीर्ष शेयरधारकों हेतु	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता*		वर्ष के दौरान संचित संचयी शेयरधारिता *	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %

1.	वर्ष के आरंभ में	**लागू नहीं।**
2.	वृद्धि/कमी के लिए कारणों को दर्शाते हुए वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरधारिता में वृद्धि/कमी का तारीख-वार ब्यौरा (उदाहरण के लिए: आवंटन/हस्तांतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि):	
3.	वर्ष के अंत में	

ड.) निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता:

प्रत्येक निदेशक (निदेशकों) और प्रत्येक प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक की शेयरधारिता	**वित्तीय वर्ष 2020-21 के आरंभ में शेयरधारिता**		**वित्तीय वर्ष 2020-21 के के दौरान संचित संचयी शेयरधारिता**	
	शेयरों की संख्या	**कंपनी के कुल शेयरों का %**	**शेयरों की संख्या**	**कंपनी के कुल शेयरों का %**
वर्ष के आरंभ में				
वृद्धि/कमी के लिए कारणों को दर्शाते हुए वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरधारिता में वृद्धि/कमी का तारीख-वार ब्यौरा (उदाहरण के लिए: आवंटन/हस्तांतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि):				
वर्ष के अंत में				

$ श्री योगेश कुमार मिश्रा, श्री अशोक कुमार गोयल और श्री बी मुगुनथन, कंपनी के निदेशक "इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) के लिए और उनकी ओर से" प्रत्येक 10 रुपये के 100 इक्विटी शेयर के धारक हैं।

च) ऋणग्रस्तता – कंपनी की ऋणग्रस्तता में बकाया/संचित किन्तु भुगतान के अदेय ब्याज शामिल है।

(रूपए करोड में)

विवरण	**जमा राशियों सहित रक्षित ऋण**	**अरक्षित ऋण**	**जमा राशियां**	**कुल ऋणग्रस्तता**
वर्ष के आरंभ में ऋणग्रस्तता				
i) मूल राशि	4,17,22,00,000		4,17,22,00,000	4,17,22,00,000
ii) देय किन्तु अप्रदत्त ब्याज				
iii) संचित किन्तु अदेय ब्याज				
कुल (i+ii+iii)	**4,17,22,00,000**		**4,17,22,00,000**	**4,17,22,00,000**
वित्त वर्ष के आरंभ में ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
* संवर्धन	-		-	-
* आवर्धन	81,22,00,000		81,22,00,000*	81,22,00,000

निवल परिवर्तन	81,22,00,000		81,22,00,000	81,22,00,000
वित्त वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
i) मूल राशि	3,36,00,00,000		3,36,00,00,000	3,36,00,00,000
ii) देय किन्तु अप्रदत्त ब्याज				
iii) संचित किन्तु अदेय ब्याज				
कुल (i+ii+iii)	**3,36,00,00,000**		**3,36,00,00,000**	**3,36,00,00,000**

*** वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, इरकॉन को रु.81,22,00,000/- की राशि का भुगतान किया गया है।**

V. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक -

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालीन निदेशकों तथा/या प्रबंधक का पारिश्रमिक:

क्र.सं	**परिश्रमिक का विवरण @**	**एमडी/डब्ल्यूटीडी/प्रबंधक का नाम**				**कुल राशि**
1.	सकल वेतन					
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(1) में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार वेतन	-	-	-	-	-
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य	-	-	-	-	-
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(3) के अंतर्गत वेतन के स्थान पर लाभ	-	-	-	-	-
2.	स्टॉक ऑप्शन	-	-	-	-	-
3.	स्वीट क्विटी	-	-	-	-	-
4.	कमिशन - लाभ के % के रूप में - अन्य, बताएं...	-	-	-	-	-
5.	अन्य, कृपया बताएं	-	-	-	-	-
	कुल (क) $	**शून्य**				
	अधिनियम के अनुसार सीमा	**लागू नहीं**				

ख. अन्य निदेशकों का पारिश्रमिक:

क्र.सं	**पारिश्रमिक का विवरण @**	**निदेशकों का नाम**				**कुल राशि**
		-----	**----**	**----**	**---**	
1	स्वतंत्र निदेशक					
	बोर्ड समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए शुल्क					
	कमिशन					
	अन्य, कृपया बताएं					
	कुल (1)	**लागू नहीं**				

2	अन्य गैर कार्यपालक निदेशक					
	बोर्ड समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए शुल्क					
	कमिशन					
	अन्य, कृपया बताएं					
	कुल (2)					
	कुल (ख)=(1+2)	**लागू नहीं**				
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक	शून्य				
	अधिनियम के अनुसार समग्र सीलिंग	**लागू नहीं**				

@ वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान सभी अंशकालिक निदेशकों को होल्डिंग कंपनी के बोर्ड द्वारा नामित किया गया है और वे कंपनी से कोई पारिश्रमिक न ले रहे हैं। अंशकालिक निदेशकों को कोई बैठक शुल्क नहीं दिया जाता है।

ग. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक (प्रबंध निदेशक /प्रबंधक /डब्ल्येटीडी) का पारिश्रमिक:

(रूपए लाख में)

क्र.सं	**पारिश्रमिक का विवरण**	**प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक**					
		सीईओ		**सीएस**	**सीएफओ**		**कुल**
		श्री अतुल कुमार (18.03.2021 तक)	**श्री राजु मरूति कांबले* (18.03.2021 से)**	**सुश्री अनुराधा कौशिक**	**श्री मंजुर मोहम्मद गौरी* (11.08.2020 तक)**	**सुश्री मीनाक्षी गर्ग (11.08.2020 से)**	
1	सकल वेतन						
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(1) में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार वेतन	39,78,038	शून्य	552,406	554,849	1,298,185	**6,383,478**
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य	-	-	-	-	-	-
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(3) के अंतर्गत वेतन के स्थान पर लाभ	-	-	-	-	-	-

2	स्टॉक ऑप्शन	-	-	-	-	-	-
3	स्वीट क्विटी	-	-	-	-	-	-
4	कमिशन	-	-	-	-	-	-
	- लाभ के % के रूप में	-	-	-	-	-	-
	अन्य, बताएं...	-	-	-	-	-	-
5	अन्य, कृपया बताएं	-	-	-	-	-	-
	कुल	**39,78,038/-**	शून्य	**552,406**	**554,849**	**1,298,185**	**6,383,478**

* श्री राजु मारूति कांबले को इरकॉन (धारक कंपनी) द्वारा दिनांक 18 मार्च 2021 से सीएफओ के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया था और मार्च माह के लिए धारक कंपनी से वेतन का भुगतान किया गया था।

VI. जुर्माना/दंड/अपराधों की आवृति:

प्रकार	**कंपनी अधिनियम का अनुच्छेद**	**संक्षिप्त विवरण**	**जुर्माना/दंड/अपराधों की आवृति का ब्यौरा**	**प्राधिकार [आरडी /एनसीएलटी /न्यायालय]**	**की गई अपील, यदि कोई है(ब्यौरा दें)**
क. कंपनी					
जुर्माना	**शून्य***				
दंड					
कंपाउंडिंग					
ख. निदेशक					
जुर्माना	**शून्य***				
दंड					
कंपाउंडिंग					
ग. चूककर्ता अन्य अधिकारी					
जुर्माना	**शून्य***				
दंड					
कंपाउंडिंग					

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड के
निदेशक मंडल हेतु तथा की ओर से

ह/-
योगेश कुमार मिश्रा
अध्यक्ष
डीआईएन: 07654064

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 10.08.2021

अनुबंध-2

मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) एवं मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) का प्रमाणन

हमने अपनी सर्वोत्तम जानकारी व विश्वास के साथ वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए वित्तीय विवरणों सहित तुलन पत्र, लाभ हानि विवरण, रोकड़ प्रवाह विवरण की समीक्षा की है-:

(i) इन विवरणों में किसी प्रकार के सामग्रीगत असत्य विवरण या किसी तथ्यात्मक विवरण को हटाया नहीं गया है, या गुमराह करने वाले विवरण विद्यमान नहीं हैं।

(ii) ये विवरण समग्र रूप में कंपनी के कार्य का वास्तविक व सही स्थिति प्रस्तुत करते हैं तथा ये विवरण मौजूदा लेखांकन मानकों, लागू कानूनों तथा विनियमों के अनुपालन के अनुरूप हैं।

(iii) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के आधार पर कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान कोई धोखाधड़ी, अवैध या कानूनों की आचार संहिता के उल्लंघन का कोई संव्यवहार नहीं किया गया है, जैसा कि कंपनी के निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा अनुसरण किए जाने की सहमति हुई है।

(iv) हम आतंरिक नियंत्रण स्थापित करने व बनाए रखने के लिए उत्तरदायित्व को स्वीकार करते हैं तथा हमने कंपनी में एक कुशल आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तैयार की है। हमने आंतरिक नियंत्रणों और इनमें कमियों को दूर करने के लिए उठाए गए या प्रस्तावित कदमों के संबंध में लेखापरीक्षाओं तथा लेखापरीक्षा समिति को बताया है, जिनके बारे में हम जानते हैं।

(v) हमने वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में परिवर्तनों को लेखापरीक्षक तथा लेखापरीक्षा समिति को इंगित कर दिया है, और इन्हें वित्तीय विवरणों के नोटों में प्रकट कर दिया गया है, और

(vi) हमारी जानकारी में धोखाधड़ी का कोई मामला सामने नहीं आया है और ना ही कंपनी को आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रबंधन या कर्मचारी के बार में ऐसी कोई जानकारी प्राप्त हुई है।

ह/-	**ह/-**
राजु मारूति कांबले	**मीनाक्षा गर्ग**
मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ)	**मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ)**

दिनांक: 14.06.2021
स्थान: नई दिल्ली

अनुबंध – 3

फार्म सं. एओसी-2

कंपनी अधिनियम,2013 के अनुच्छेद 188 के उप-अनुच्छेद (1) में संदर्भित संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा की गई संविदाओं/व्यवस्थाओं तथा इसके तीसरे प्रावधान के अंतर्गत कतिपय आर्मस लैंथ संव्यवहारों के विवरण के प्रकटन के लिए फार्म

अधिनियम के अनुच्छेद 134 के उप-अनुच्छेद (3) के खंड (एच) तथा कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 (2) के अनुसरण में)

I) आर्म लैंथ आधार पर न की गई संविदाएं या व्यवस्थाएं या संव्यवहार : शून्य।

II) आर्म लैंथ आधार पर न की गई संविदाएं या व्यवस्थाएं या संव्यवहार : निम्नानुसार।

क्र.सं.	संविदा/व्यवस्थाओं /संव्यवहारों की प्रकृति	संविदा/व्यवस्थाओं/संव्यवहारों की अवधि	मूल्य, यदि कोई हो, सहित संविदा/व्यवस्थाओं /संव्यवहारों की प्रमुख शर्तें	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि (तिथियां), यदि कोई हो:	अग्रिम के रूप में प्रदत्त राशि, यदि कोई
	पट्टा करार* (इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के कंपनी पंजीकृत कार्यालय को पट्टे पर लेना)।	**तिथि:** पट्टा किराया दिनांक 22.06.2018 और 10.06.2020 और 18.03.2021 (नवीकृत) **अवधि:** दिनांक 01.04.2018 से 3 वर्ष	19,305 रूपए के मासित आधार जमा लागू जीएसटी पर 65 वर्ग फुट X 297 रूपए प्रति वर्ग फुट की दर से पट्टा किराया और नवीकरण पर 10 प्रतिशत वृद्धि।	लागू नहीं	शून्य (आज की तिथि को)

* इरकॉन के साथ लीज करार का दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2023 तक रु.21,236/- प्रति माह जमा जीएसटी की दर पर नवीकृत किया गया है।

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड के
निदेशक मंडल हेतु तथा की ओर से
ह/-
योगेश कुमार मिश्रा
अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 10.08.2021

डीआईएन: 07654064

अनुबंध-4

फार्म सं. एमआर-3

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

(31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु)

(कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 204(1) तथा कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम सं.9 के अनुसरण में)

सेवामें,

सदस्य,

मैसर्स इरकॉन पीबीटीएल इंटरनेशनल लिमिटेड,

सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत,

नई दिल्ली-110017

हमने लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड, सीआईएन: U45400DL2014GOI272220 (जिसे यहां आगे ''कंपनी'' कहा जाएगा) द्वारा अच्छी निगमित पद्धतियों के अनुपालन की सचिवीय लेखापरीक्षा की है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस प्रकार की गई थी जिससे हमें निगमित आचरण /सांविधिक अनुपालनों के मूल्यांकन और इन पर अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए आधार मिला है।

कंपनी की बहियों, अभिलेखों, कार्यवृत्त बहियों, फॉर्मों और दायर रिटर्नों तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित अन्य रिकार्डों और सचिवीय लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर, हम एतद्द्वारा रिपोर्ट देते हैं कि हमारे मतानुसार, कंपनी ने दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त की लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, यहां सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और कि कंपनी में उचित बोर्ड प्रकियाएं भी हैं और उस स्तर तक तथा उस रुप में अनुपालन तंत्र विद्यमान है और यहां आगे उल्लिखित रिपोर्टिंग के अध्याधीन हैः

हमने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च 2021 को समाप्त अवधि के लिए इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड द्वारा अनुरक्षित बहियों, अभिलेखों, कार्यवृत्त बहियों, फॉर्मों और दायर रिटर्नों तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित अन्य रिकार्डों की जांच की हैः

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) तथा इसके अंतर्गत निर्मित नियमः

(ii) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी सचिवीय मानक। एसएस-1 और एसएस-2 की अनुप्रयोज्यता।

(iii) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और इसके अंतर्गत निर्मित नियम और विनियम जो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, ओवरसीज प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी वाणिज्यिक ऋणों की सीमा तक जारी किए गए हैं;

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

हम सूचित करते हैं कि:

कंपनी के निदेशक मंडल को कार्यपालक निदेशकों और गैर-कार्यपालक निदेशकों के उचित संतुलन के साथ विधिवत गठित किया गया है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान हुए निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।

बोर्ड की बैठकों में शामिल होने के लिए निदेशकों को पर्याप्त नोटिस दिया गया है, बैठक की कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत नोट कम से कम सात दिन पहले भेजा गया था, और बैठक से पहले कार्यसूची मदों पर अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी की प्रणाली विद्यमान है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर कानूनों सहित लागू वित्तीय कानूनों के अनुपालन की इस लेखापरीक्षा में समीक्षा नहीं की गई है क्योंकि यह सांविधिक लेखापरीक्षकों और अन्य नामित पेशेवरों द्वारा समीक्षा के अधीन है।
हम आगे सूचित करते हैं कि कंपनी में लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और प्रचालन के अनुसार उपयुक्त प्रणाली और प्रक्रियाएं विद्यमान हैं।

कृते जयेश परमार एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

ह/-
जयेश परमार
(प्रोप्राइटर)
एसीएस सं.: 27055
सीओपी: 15007
यूडीआईएन: ए027055सी000430414

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 7 जुलाई 2021

नोट: कोविड-19 के कारण, हम कंपनी के रिकॉर्ड और रिटर्न को भौतिक रूप से सत्यापित करने में सक्षम नहीं थे और यह रिपोर्ट आईसीएसआई द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार दस्तावेजों की सॉफ्ट/स्कैन प्रतियों के आधार पर जारी की जा रही है।
इस रिपोर्ट को हमारे सम-तिथि पत्र के साथ पढ़ा जाए जो 'अनुबंध-क' के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

अनुबंध-क

सदस्य,
मैसर्स इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड

हमारी समतिथिक रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढा जाएः

1. सचिवीय रिकार्डों का अनुरक्षण कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय रिकार्डों पर अपना मत अभिव्यक्ति करना है।

2. हमने लेखापरीक्षा पद्धतियों और प्रकियाओं का अनुसरण किया है जो सचिवीय रिकार्डों की विषयवस्तु की सत्यता के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थीं। हमारा मत है कि हमारे द्वारा अनुसरण की गई पद्धतियां और प्रकियाएं, हमारे मत के लिए युक्तिसंगत आधार प्रस्तुत करती हैं।

3. हमने कंपनी के वित्तीय रिकार्डों, लागत रिकार्डों और लेखा बहियों की सत्यता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।

4. जहां कहीं अपेक्षित हुआ, हमने कानूनों, नियमों, विनियमों और घटनाओं आदि के अनुपालन के संबंध में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।

5. निगमित तथा अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारी जांच परीक्षण आधार पर प्रकियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।

6. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता हेतु आश्वासन है और न ही प्रभावकारिता या प्रभावशीलता, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

कृते जयेश परमार एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

ह/-
जयेश परमार
(प्रोप्राइटर)
एसीएस सं.: 27055
सीओपी: 15007
यूडीआईएन: ए027055सी000430414

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 7 जुलाई 2021

ए.एन गर्ग एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड के सदस्य

स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों की रिपोट

मत

हमने इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड ("कंपनी") के संलग्न स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों, जिनमें दिनांक 31 मार्च 2021 को तुलन पत्र तथा इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि के विवरण (अन्य वृहत आय सहित), इक्विटी परिवर्तन विवरण तथा रोकड़ प्रवाह विवरण और उक्त समाप्त वर्ष के लिए तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य विवरणात्मक सूचना के सार सहित स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसे यहां आगे "स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरण कहा जाएगा"। हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उपर्युक्त स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरण इस अधिनियम के अंतर्गत यथापेक्षित और 31 मार्च 2021 को कंपनी की कार्यप्रणाली, उक्ति तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इसके लाभ सहित अन्य वृहत आय, इक्विटी में परिवर्तन और इसके रोकड़ प्रवाह विवरण की भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखांकन मानकों के अनुरूप उक्ततिथि को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी परिवर्तन और रोकड़ प्रवाह विवरण का सही और उचित रूप प्रस्तुत किया गया है।

मद का आधार

हमने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा की है। इन मानकों के अंतर्गत हमारे उत्तरदायित्वों को आगे हमारी रिपोर्ट के स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरण खंड के लेखापरीक्षक के उत्तरदायितव में उल्लिखित है। हम अधिनियम के प्रावधानों और इसके अंतर्गत नियमों के तहत वित्तीय विवरणों की हमारी लपेखापरीक्षा के प्रति संगत नैतिक अपेक्षाओं के साथि भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी नैतिक संहिता के अनुसार कंपनी स्वतंत्र हैं और हम हमने नैतिक संहिता और इन अपेक्षाओं के अनुसार अपने नैतिक उत्तरदायित्वों को पूरा किया है।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय के दौरान, वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की हमारे लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को वित्तीय विवरणों की हमारे

लेखापरीक्षा के संदर्भ में समग्र रूप से समाधान किया गया है, और हम इन मुद्दें पर पृथक मद उपलब्ध नहीं कराते हैं।

कोविड-19 महामारी के आलोक में निष्पादित आशोधित लेखापरीक्षा प्रक्रिया

कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण हमारी लेखापरीक्षा अवधि के दौरान केन्द्रीय/राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा राष्ट्र व्यापी लॉकडाउन और यात्रा प्रतिबंध लगाए गए थे और दूरस्त रूप से लेखापरीक्षा को सुलभ बनाने हेतु, जहां भौतिक पहुंच संभव नहीं थी, वहां कंपनी के निगमित कार्यालय में कतिपय शाखाओं/एलएचओएस/व्यवसायिक इकाइयों के परिसरों का दौरा करके लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी है।

शाखाओं/सर्किल प्रशासनिक/निगमित मुख्यालय के कार्यालयों के साथ चर्चा और व्यक्तिगत संव्यवहार के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से/भौतिक रूप से लेखापरीक्षा साक्ष्यों को एकत्र नहीं किया जा सका है और हमने प्रमुख लेखापरीक्षा मुद्दे के रूप में ऐसे आशोधित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को चिह्नित किया है।

तदनुसार, दूरस्त रूप से लखापरीक्षा करने के लिए हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को आशोधित किया गया था।

हमारी लेखापरीक्षा में इसका समाधान कैसे किया गया

कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण हमारी लेखापरीक्षा अवधि के दौरान केन्द्रीय/राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन और यात्रा प्रतिबंध लगाए गए थे और इसलिए, हम शाखाओं/सर्किल प्रशासनिक/निगमित मुख्यालय में नहीं जा पाए हैं और संबंधित कार्यलयों में भौतिक पहुंच नहीं हो पाई है।

जहां कहीं भौतिक पहुंच संभव नहीं थी, कंपनी द्वारा डिजिटल माध्यम, ई-मेल और दूरस्त पहुंच तथा अन्य संगत अनुप्रयोग साफ्टवेयरों के माध्यम से आवश्यक रिकार्ड/रिपोर्टें/ अभिलेख/ प्रमाणपत्र उपलब्ध कराए गए थे। इस स्तर तक, हमें उपलब्ध कराए गए ऐसे दस्तावेजों, रिपोर्टों तथा रिकार्डों के आधार पर लेखापरीक्षा प्रक्रिया को सम्पन्न किया गया था।
तदनुसार, हमने अपनी लेखापरीक्षा प्रक्रिया में निम्नानुसार आशोधन किए हैं:

(क) कंपनी के कुछ प्रशासनिक कार्यालयों और अन्य कार्यालयों के संबंध में रिमोट पहुंच/ ई-मेलों के माध्यम से आवश्यक रिकार्डों/ दस्तावेजों और अन्य अनुप्रयोग साफ्टवेयरों का इलैक्ट्रानिक रूप से सत्यापन किया गया है, जहां भौतिक पहुंच संभव नहीं थी।

(ख) ईमेल तथा बैंक के सुरक्षित नेटवर्क पर रिमोट पहुंच के माध्यम से हमें उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों, करारों, प्रमाणपत्रों और संबंधित रिकार्डों की स्कैन की गई प्रतियों का सत्यापन किया गया था।

(ग) फोन कॉल/कान्फरेंस कॉल, ई-मेल और समान सम्प्रेषण माध्यमों के द्वारा वीडियों कॉन्फरेंसिंग, चर्चाओं तथा वार्ताओं के माध्यम से पूछताछ की गई और आवश्यक लेखापरीक्षा साक्ष्य एकत्र किए गए।

(घ) नामित कार्यालयों के साथ आमने-सामने के संव्यवहार के स्थान पर ईमेल के माध्यम से टेलीफोनिक रूप से हमारी लेखापरीक्षा अवलोकना का समाधान किया गया था।

स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल, इन वित्तीय विवरणों, जो कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015, यथा संशोधित के साथ पठित अधिनियम के अनुच्छेद 133 में विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, लाभ और हानि (अन्य वृहत आय सहित वित्तीय निष्पादन), रोकड़ प्रवाह और इक्विटी परिवर्तन के संबंध में वास्तविक और उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं, को तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अनुच्छेद 134 (5) में उल्लिखित विषयों के लिए उत्तरदायी है।

इस उत्तरदायित्व में कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षा प्रदान करने तथा जालसाजी व अन्य अनियमितताओं के निवारण तथा उनका पता लगाने; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन तथा अनुप्रयोग; युक्तिसंगत तथा विवेकपूर्ण निर्णय तथा अनुमान लगाने; उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अभिकल्प, क्रियान्वयन और अनुरक्षण, जो लेखांकन रिकार्डों की परिशुद्धता और सम्पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहीं थीं और वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुतीकरण के लिए संगत हैं जो वास्तविक और उचित स्थिति प्रस्तुत करना है और किसी प्रकार के सामग्रीगत दुर्विवरण, चाहे जालसाजी के कारण हो या त्रुटि के कारण, के निवारण के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त लेखांकन रिकार्डों का अनुरक्षण भी शामिल है।

इंड एएस वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और शासन के प्रभारितों का उत्तरदायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल, इन वित्तीय विवरणों, जो जारी संगत नियमों के साथ पठित अधिनियम के अनुच्छेद 133 में विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, लाभ और हानि (अन्य वृहत आय सहित वित्तीय निष्पादन), रोकड़ प्रवाह और इक्विटी परिवर्तन के संबंध में वास्तविक और उचित स्थिति

प्रस्तुत करते हैं, को तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अनुच्छेद 134(5) में उल्लिखित विषयों के लिए उत्तरदायी है।

इस उत्तरदायित्व में कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षा प्रदान करने तथा जालसाजी व अन्य अनियमितताओं के निवारण तथा उनका पता लगाने; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन तथा अनुप्रयोग; युक्तिसंगत तथा विवेकपूर्ण निर्णय तथा अनुमान लगाने; उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अभिकल्प, क्रियान्वयन और अनुरक्षण, जो लेखांकन रिकार्डों की परिशुद्धता और सम्पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहीं थीं और वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुतीकरण के लिए संगत हैं जो वास्तविक और उचित स्थिति प्रस्तुत करना है और किसी प्रकार के सामग्रीगत दुर्विवरण, चाहे जालसाजी के कारण हो या त्रुटि के कारण, के निवारण के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त लेखांकन रिकार्डों का अनुरक्षण भी शामिल है।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, प्रबंधन गोइंग कंसर्न, प्रकटन, यथा अपेक्षित, गोइंग कंसर्न संबंधी मुद्दों और लेखांकन के गोंइंग कंसर्न के प्रयोग के साथ जारी रहने की कंपनी की क्षमता का आंकलन करने के लिए उत्तरदायी है, बशर्ते प्रबंधन या तो कंपनी को लिक्विडेट करना चाहती है या प्रचालन बंद करना चाहती है, या उसा करने के अतिरिक्त उसके पास को वास्तविक विकल्प है। निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के लिए भी उत्तरदायी हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण समग्र रूप से सामग्रीगत तथ्यात्मक दुर्विवरण, चाहे जालसाजी के कारण हो या त्रुटि से मुक्त हैं। युक्तिसंगत आश्वासन उच्च स्तरीय आश्वासन है, किन्तु यह गारंटी नहीं है कि मानक लेखांकन नीति के अनुसार किया गया लेखपरीक्षा सदैव तथ्यात्मक दुर्विवरण को खोज लेता है, जब वह विद्यमान हो।

जालसाजी या त्रुटि से उत्पन्न होने वाले दुर्विवरण को तब महत्वपूर्ण माना जाता है, यदि एकल रूप में या समग्र रूप में वे युक्तिसंगत स्तर पर इन वित्तीय विवरणों के आधार पर प्रयोक्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करते हों। लेखांकन मानक के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और बिना लेखापरीक्षा के पेशेवर व्यवहार को बनाए रखते हैं। हम निम्नलिखित व्यवस्थाओं का भी अनुसरण करते हैं:

- वित्तीय विवरणों के तथ्यात्मक दुर्विवरण के जोखिमों की पहचान और आकलन करते हैं, कि क्या वे जालसाजी या त्रुटि या अभिकल्प के कारण है और लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं इन जोखिमों के प्रति प्रकियात्मक रूप से सक्रीय हैं, और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारे मत के लिए आधार प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं। जालसाजी के परिणामस्वरूप तथ्यात्मक दुर्विवरण का पता न लगा पाने का जोखिम मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर किया गा चूक, पुनर्विनियोजन या आंतरिक

नियंत्रण से बचने वाली जालसाजियों के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से अधिक महत्वपूर्ण है।

- उन लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के निर्माण के उद्देश्य से लेखापरीक्षा के प्रति संगत आंतरिक नियंत्रण की समझ को प्राप्त करना, जो उक्त परिस्थितियों में उपयुक्त है। कंपनी के खंड 143(3)(i) के अंतर्गत, हम अपने इस मत को भी अभिव्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं कि क्या कंपनी के पास उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियत्रण प्रणाली विद्यमान है और ऐसे नियंत्रणों के लिए कुशलतापूर्वक कार्य कर रही है।

- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना और प्रबंधन द्वारा किए गए प्रकटनों के संबंध में लेखांकन अनुमानों और प्रकटनों की युक्तिसंगतता का मूल्यांकन करना।

- लेखांकन के संबंधित आधार पर प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त उपयुक्तता और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों के आधार पर यह पता लगाना कि घटनाओं और परिस्थितियों के संबंध में तथ्यात्मक अनिश्चितता विद्यमान है, जो गोइंग कंसर्न के रूप में निरंतर कार्यरत रहने की कंपनी की क्षमता पर महत्वपूर्ण शंका उत्पन्न करती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि तत्यात्मक अनिश्चितता विद्यमान है तो हमें उन वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटनों को लेखापरीक्षा रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है या, यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हैं तो हमारे मत को आशोधित करना। हमारा निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि को प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। तथापि, भावी घटनाएं और स्थितियां कंपनी के गोइंग कंसर्न के रूप में निरंतरता को बंद कर सकती है।

- प्रकटन सहित वित्तीय वक्तव्यों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन, और अवलोकन कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्रस्तुत करते हैं।

हम अन्य मामलों में, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय, तथा महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों के साथ, आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों को शामिल करते हैं, जिसे हम अपने ऑडिट के दौरान पहचानते हैं।

हम अपने वक्तव्य के साथ शासन के उन आरोपों को भी प्रदान करते हैं जिनका हमने अनुपालन किया है यथा स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ, और उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के साथ संवाद करने के लिए जिन्हें हमारी स्वतंत्रता पर सहन करने के लिए उचित रूप से सोचा जा सकता है, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय।

हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्व के थे और इसलिए वे महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन इस मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण का प्रस्ताव नहीं देता है या जब अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले का संचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के दुष्परिणामों का यथोचित परिणाम अपेक्षित होगा।

मत

हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उपर्युक्त स्टैंडएलोन वित्तीय विवरण इस अधिनियम के अंतर्गत यथापेक्षित और दिनांक 31 मार्च 2020 को कंपनी की कार्यप्रणाली की भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखांकन मानकों के अनुरूप इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी परिवर्तन और रोकड़ प्रवाह विवरण का सही और उचित रूप प्रस्तुत किया गया है।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 143(3) की शर्तों के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर हम उल्लेख करते हैं कि:-

क) हमने वे सब सूचनाएं और स्पष्टीकरण मांगे व प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक हैं।

ख) हमारी राय में कंपनी ने विधि द्वारा अपेक्षित लेखा बही खातों का उचित रखरखाव किया है जैसा बही खातों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।

ग) इस रिपोर्ट में वर्णित तुलनपत्र और अन्य वृहत आय सहित लाभ-हानि का विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण एवं रोकड़ प्रवाह विवरण तथा इक्विटी परिवर्तन विवरण, बही खातों से मेल खाते हैं।

घ) हमारी राय में उपर्युक्त इंड एएस वित्तीय विवरण, कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम-7 के साथ पठित, अधिनियम के अनुच्छेद 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।

ङ) निदेशक मंडल द्वारा रिकार्ड पर लिए जाने हेतु दिनांक 31 मार्च 2021 को कंपनी के निदेशकों से प्राप्तलिखित अभ्यावेदन के आधार पर, कोई भी निदेशक अधिनियम की धारा 164(2) के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्ति होने के लिए दिनांक 31 मार्च 2021 को अयोग्य नहीं है।

च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की उपयुक्तता के संबंध में, ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनिक कुशलता के संबंध में हमारे अनुबंध-क में पृथक रिपोर्ट का संदर्भ लें। हमारी रिपोर्ट कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की उपयुक्तता और प्रचालनिक कुशलता पर गैर आशोधित मत अभिव्यक्त करती है।

छ) अधिनियम के खंड 197(16), यथासंशोधित की अपेक्षाओं के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जानेवाले अन्य मुद्दों के संबंध में: हमारेमतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारीऔर हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा अपने निदेशकों को भुगतान किए गए/उपलब्ध कराया गया पारिश्रमिक अधिनियम की धारा 197 के प्रावधानों के अनुसार है।

i. कंपनी का कोई मुकदमा लंबित नहीं है जो इसकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर रहा हो।

ii. डैरिवेटिव संविदाओं सहित कंपनी का कोई दीर्घकालीन संविदा नहीं है जिसके लिए किसी प्रकार की सामग्रीगत भावी हानियां थीं।

iii. ऐसी कोई राशियां नहीं थीं जिन्हें कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षा निधि में हस्तांतरित किए जाने की आवश्यकता हो।

2. अधिनियम के अनुच्छेद 143(11) की शर्तों के अनुसार कन्द्रीय सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ("आदेश") द्वारा यथापेक्षित हम अनुबंध ख प्रस्तुत करते हैं जो आदेश के पैरा-3 तथा 4 मे विनिर्दिष्ट मुद्दों का विवरण हैं।

अधिनियम के अनुच्छेद 143(5) द्वारा यथापेक्षित, और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निदेशों के अनुसार हम उल्लेख करते हैं कि:

क्र.सं	विवरण	लेखापरीक्षा का उत्तर
1.	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन संव्यवहारों की प्रक्रिया की प्रणाली विद्यमान है? यदि हां तो, वित्तीय परिणामों, यदि कोई हो, सहित लेखों की सत्यनिष्ठ पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखंकन संव्यवहारों की प्रक्रिया को क्रियान्वित किया या है, कृपया स्पष्ट करें।	कंपनी में सभी लेखांकन संव्यवहारों की प्रक्रिया के लिए टेलीप्रणाली विद्यमान है। कोई भी लेखांकन संव्यवहार आईटी प्रणाली से बाहर नहीं किया जाता है।

2.	कृपया बताएं कि क्या वहां ऋण/उधार/ब्याज आदि, यदि कोई हो, में छूट/बट्टा खाता डाले जाने पर कोई प्रतिबंध है। यदि हां तो इसके वित्तीय प्रभाव को स्पष्ट करें।	जी हां, कंपनी ने अपने लेनदार यथा धारक कंपनी मैसर्स इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेउ को ऋण की पुनरसंरचना हेतु तथा दिनांक 01.04.2020 से 31.03.2021 तक की अवधि के लिए 29.19 करोड़ रूपए की राशि के ब्याज पर छूट प्रदान करने के लिए आवेदन किया है। यह धारक कंपनी के विचाराधीन है।
3.	क्या केन्द्रीय/राज्य सरकार की एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए कोई निधियां प्राप्त/प्राप्य हैं जिनका उनका उनकी शर्तों और निबंधनों के अनुसार लेखांकन/उपयोग किया गा है? विपथन के मामलों की सूची बताएं।	कंपनी को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) से प्राप्य परियोजना हेतु इक्विटी सहायता के रूप में व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण प्राप्त हुआ है। कंपनी को एनएचएआई से यह आंशिक रूप में प्राप्त हुआ है और इसका लेखांकन/उपयोग करार की शर्तों और निबंधनों के अनुसार किया गया है।

कृते ए.एन गर्ग एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 004616एन

ह/-
ए.एन.गर्ग
(एफसीए साझेदार)
सदस्यता सं. 083687

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 15.06.2021
यूडीआईएन:20083687एएएएएफवी4177

<u>अनुबंध-क</u>

<u>स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट</u>

दिनांक 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च, 2021 तक की अवधि के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हमारी समतिथिक रिपोर्ट के शीर्षक "अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट" के अंतर्गत पैरा-1 में संदर्भित अनुबंध।

ऐसी जांचों के आधार पर, जिसेहम उपयुक्त मानते हैं और हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि:

i. (क) कम्पनी ने पूर्ण विवरण दर्शाते हुए अभिलेखों का उचित रखरखाव किया है जिनसे उसकी नियत परिसंपत्तियों का मात्रात्मक विवरणों और उसकी स्थिति का पता चलता है।

(ख) प्रबंधन द्वारा इन स्थिर परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन युक्तिसंगत अंतराल पर किया जाता है। ऐसे सत्यापनों पर किसी प्रकार की विसंगति को नोट नहीं किया गया था। हमारे ऑडिट की अवधि के दौरान कोविड-19 वैश्विक महामारी, राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन और केंद्र/राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा लगाए गए यात्रा प्रतिबंधों के कारण और जहां कहीं भी भौतिक पहुंच संभव नहीं हुई, वहां दूर से ऑडिट करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी।

(ग) अचल परिसंपत्त्यिों के टाइटल डीड कंपनी के नाम पर धारित हैं।

ii. कंपनी में कोई इन्वेंटरी नहीं है। इसलिए, कंपनी पर उक्त आदेश के खंड 3(ii) का प्रावधान लागू नहीं है।

iii. यथासूचित, प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा लेखा बहियों की हमारी जांचों के आधार पर, कंपनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अधीन रखे गए रजिस्टर में सूचीबद्ध कम्पनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों को/से रक्षित या अरक्षित किसी प्रकार का ऋण न लिया है न दिया है। इसलिए, आदेश के पैरा 3 (iii)(क), 3 (iii)(ख), तथा 3 (iii)(ग) के अधीन अपेक्षाएँ कम्पनी पर लागू नहीं होती हैं।

iv. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार ऐसे कोई ऋण, निवेश, गारंटियां, तथा प्रतिभूतियां के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 185 तथा 186 के प्रावधान का अनुपालन किया गया है (जहांकहीं यह कंपनी पर लागू हो)।

v. हमारे मतानुसार और हमें दी गई सूचनाओं और स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश और कम्पनी अधिनियम की धारा 73 से 76 या कोई अन्य संगत

प्रावधान तथा उनके अधीन बनाए गए नियम के अनुसार वर्ष के दौरान कोई जमाराशि स्वीकार नहीं की है।

vi. हमारे कंपनी अधिरियम, 2013 की धारा 148 के उपखंड (1) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित कंपनी (लागत रिकार्ड एवं लेखापरीक्षा) नियम, यथासंशोधित, के अनुसरण में कंपनी द्वारा अनुरक्षित लेखा रिकार्डों की वृहत समीक्षा की है, और हमारा मत है कि प्रथम दृष्टया, निर्धारित लागत रिकार्डों को तैयार तथा अनुरक्षित रखा गया है। तथापि, हमने लागत रिकार्डों की विस्तृत जांच की है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि वे विशुद्ध और पूर्ण हैं।

vii. (क) हमें दिए गए स्पष्टीकरण और बहियों तथा रिकार्डों की हमारी जांच के अनुसार, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, सीमा शुल्क, सम्पत्ति कर, बिक्री कर, जीएसटी, उत्पाद शुल्क, उपकर और अन्य सांविधिक देय सहित अविवादित सांविधिक देयों को नियमित रूप से उपयुक्त प्राधिकरणों में जमा किया गया है।

(ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के अंत में उनके देय होने छह महीनों की अवधि के लिए कोई भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, सीमा शुल्क, सम्पत्ति कर, बिक्री कर, जीएसटी, उत्पाद शुल्क, उपकर और अन्य सांविधिक देय सहित अविवादित सांविधिक देय राशियां देय नहीं है।

(ग) प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा उन पर हमारे द्वारा किए गए विश्वास के अनुसार आयकर, सीमाशुल्क, संपत्तिकर, बिक्रीकर उत्पाद शुल्क और उपकर के संबंध में कोई अविवादित देय नहीं है, जिन्हें जमा नहीं कराया गया है।

viii. हमारे मतानुसार और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने किसी वित्तीय संस्थान या बैंक या वित्तीय संस्थान के देयों के पुनर्भुगतान में कोई चूक नहीं की है। वर्ष के दौरान कंपनी का डिबेंचरों के संबंध में कोई बकाया नहीं।

ix. हमारे मतानुसार और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी पब्लिक ऑफर से कोई धन प्राप्त नहीं किया है। हमारे मतानुसार और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने ऋण का प्रयोग उस प्रयोजन हेतु किया है जिसके लिए वह लिया गया था।

x. कंपनी की बहियों और रिकार्डों की हमारी जांच के दौरान, जिसे भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन पद्धतियों के अनुसार किया गया है, और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी लेखापरीक्षा के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा या इसके अधिकारयों और कर्मचारियों द्वारा कंपनी पर जालसाजी का कोई मामला नहीं हुआ है।

xi. प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान या प्रावधान कंपनी द्वारा अधिनियम की अनुसूची-V के साथ पठित अनुच्छेद 197 के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है।

xii. प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के आधार पर हमारे मताअनुसार कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है, इसलिए इस आदेश के पैरा-3(xii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।

xiii. प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, संबंधित पक्षों के साथ सभी संव्यवहार कंपनी अधिनियम के अनुच्छेद 177 तथा 188 के अनुपालन में है, जहां कही लागू हो और इस प्रकार के संव्यवहारों का ब्यौरा वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है जैसा कि लागू लेखांकन मानकों के अनुसार अपेक्षित है।

xiv. कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान शेयरों या पूर्ण या आंशिक परिवर्तनीय डिबैंचरों का कोई वरियता आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है। इसलिए, आदेशक का पैरा-3 कंपनी पर लागू नहीं है।

xv. प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी संबंधित निदेशकों या व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद संव्यवहार नहीं किया है।

xvi. प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुच्छेद 45-1ए का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।

कृते ए.एन गर्ग एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 004616एन

ह/-
ए.एन.गर्ग
(एफसीए साझेदार)
सदस्यता सं. 083687

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 15.06.2021
यूडीआईएन:20083687एएएएएफवी4177

अनुबंध-ख

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

(हमारी सम-तिथिक रिपोर्ट के खंड "अन्यिविधिक एवं विनियामक अपेक्षाएं" के अंतर्गत पैरा के संदर्भ में)

कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") के खंड 143 के उप-खंड 3 के भाग (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड के सदस्यों हेतु

हमने इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के समायोजन में 31 मार्च 2021 को इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (कंपनी) की वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (''आईसीएआई'') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी दिशानिर्देश के नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना तथा अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में शामिल हैं - कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत यथा अपेक्षित कंपनी के नियमों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्त्यिों की सुरक्षा, जालसाजी और चूकों का निवारण औ संसूचन, लेखांकन रिकार्डों की सटीकता व संपूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय पर तैयार करने के साथ, अपने व्यवसाय के सुव्यवस्थित तथा कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कुशल रुप से प्रचालित हो रही आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अश्किल्प, क्रियान्वयन का अनुरक्षण शामिल हैं।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधर पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपना मत अभिव्यक्त करना है। हमने आईसीएआई द्वारा जारी, लेखांकन पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट (''दिशानिर्देश नोट'') के अनुसार लेखापरीक्षा की है और इसे शरतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के स्तर तक कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 143(10) के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। इन मानक तथा दिशानिर्देश नोट में अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं के साथ अनुपालन करें और इस प्रकार युक्तिसंगत आश्वासन

प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित औ अनुरक्षित किया गया है और क्या ऐसे नियंत्रण सभी सामग्रीगत पहलुओं में कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहे हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उनके प्रचालन की कुशलता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की निष्पादन प्रक्रिश्याएं शामिल हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में शामिल हैं - वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, इस जोखिम का आंकलन करना कि सामग्रीगत कमजोरी मोजूद है, तथा आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के अश्किल्प और प्रचालन कुशलता का परीक्षण और मूल्यांकन। चयनित प्रक्रियाएं वित्तीय विवरणों के सामग्रीगत दुर्विवरण, चाहे जालसाजी हो या त्रुटि, के जोखिम के आंकलन सहित लेखापरीक्षा के विवेक पर निर्भर करता है।

हम विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखापरीक्षा मत के लिए पर्याप्त और उपयुक्त आधार उपलब्ध कराता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रुप से स्वीकृत वित्तीय सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराने के लिए अश्किल्पित प्रकिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं (1) उन रिकार्डों के अनुरक्षण से संबंधित हैं, जो युक्तिसंगत ब्योरे में, कंपनी की परिसंपत्तियों के संव्यवहारों और निपटान का सटीक और उचित रुप से प्रदर्शित करता हैं। (2) युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराते हैं कि सामान्य रुप से स्वीकृत लेखांकन नीति के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए यथा आवश्यक रुप से संव्यवहारों को रिकार्ड किया गया है और कि कंपनी की पावतियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार ही किए गए हैं। (3) कंपनी की परिसंपत्ति के अप्राधिकृत अधिग्रहण, प्रयोग, निपटान के निवारण और समय पर संसूचन के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराना, जो वित्तीय विवरणों को वास्तविक रुप से प्रशवित कर सकते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमितताएं

चूंकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमितताओं में नियंत्रणों के टकराव या अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावनाएं शामिल हैं, इसलिए, चूक और जालसाजी के कारण सामग्रीगत दुर्विवरण हो सकता है और उसका पता नहीं लग पाएगा। इसके अतिरिक्ति, शवी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन का अनुमान इस जोखिम के मद्देनजर होगा कि आंतरिक रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अनुपयुक्त हो सकता है, या कि नीतियों और प्रतिक्रिया के अनुपालन का स्तर खराब हो सकता है।

मत

हमारे मतानुसार, नियंत्रण मापदंड के उद्देश्यों की उपलब्धि पर उपर्युक्त उल्लिखित सामग्रीगत खामियों के प्रभावं/संभावित प्रभावों को छोड़कर, कंपनी ने वित्तीय रिपोर्टिंग पर सही सामग्रीगत पहलुओं में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को अनुरक्षित किया है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शरत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नष्ट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित आंतरिक रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर 31 मार्च 2021 से कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहे हैं।

कृते ए.एन गर्ग एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 004616एन

ह/-
ए.एन.गर्ग
(एफसीए साझेदार)
सदस्यता सं. 083687

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 15.06.21
यूडीआईएन:20083687एएएएएफवी4177

डरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड
(सीआईएन - U45400DL2014GOI272220)
31 मार्च 2021 को तुलनपत्र

	विवरण	नोट सं.	(रूपए करोड़ में) 31 मार्च 2021 को		(रूपए करोड़ में) 31 मार्च 2020 को	
I.	**परिसंपत्तियां**					
1	**गैर चालू परिसिंपत्तियां**					
	(क) परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण	3	0.25		0.13	
	(ख) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	4	473.78		494.96	
	(ग) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	4	-		16.94	
	(घ) वित्तीय परिसंपत्तियां					
	(i) अन्य	5	0.03		1.00	
	(ड.) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	6	-		0.81	
	(च) अन्य गैर वित्तीय परिसंपत्तियां		-		-	
	कुल गैर-चालू परिसंपत्तिया			474.06		513.84
2	**चालू परिसंपत्तियां**					
	(क) दरसूची		-		-	
	(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां					
	(i) व्यापार प्राप्य	7.1	12.38		9.66	
	(ii) रोकड एवं रोकड समतुल्य	7.2	11.30		12.76	
	(iii) ऋण	7.3	0.08		-	
	(iv) अन्य	7.4	4.16		51.13	
	(ख) चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)	8	6.96		6.78	
	(ग) अन्य चालू परिसंपत्तियां	9	0.40		-	
	(e) बिक्री के लिए धारित परिसंपत्तियां		-		-	
	कुल चालू परिसंपत्तियां			35.28		80.33
	कुल परिसंपत्तियां			**509.34**		**594.17**
II.	**इक्विटी और देयताएं**					
1	**इक्विटी**					
	(क) इक्विटी शेयर पूंजी	10	165.00		165.00	
	(ख) अन्य इक्विटी	11	-36.76		-15.38	
	कुल इक्विटी			128.24		149.62
2	**देयताएं**					
(i)	**गैर चालू देयताएं**					
	(क) वित्तीय देयताएं	12				
	(i) कर्ज	12.1	297.04		379.29	
	(ii) व्यापार प्राप्य					
	- सूक्षम एवं लघ् उपक्रमों को कुल बकाया देय		-		-	
	- सूक्ष्म एवं लघ् उपक्रमों से इतर को कुल बकाया देय		-		-	
	(iii) अन्य वित्तीय देयताए		-		-	
	(ख) प्रावधान	13	17.76		-	
	(ग) आस्थगित कर देयता निवल	6	7.48		-	
	कुल गैर चालू देयताएं			322.28		379.29
(ii)	**चालू देयताएं**					
	(क) वित्तीय देयताएं	14				
	(i) व्यापार प्राप्य				-	
	(i) व्यापार प्राप्य					
	- सूक्षम एवं लघ् उपक्रमों को कुल बकाया देय	14.1	-		-	
	- सूक्ष्म एवं लघ् उपक्रमों से इतर को कुल बकाया देय		15.06		7.24	
	(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	14.2	43.72		42.22	
	(ख) अन्य चालू देयताएं	15	0.04		0.13	
	(ग) प्रावधान	13	-		15.67	
	कुल चालू देयताएं			58.82		65.26
	कुल इक्विटी एवं देयताएं			**509.34**		**594.17**
III.	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1 - 2				
IV.	वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट	3 - 37				

हमारी इसी तारीखा की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते ए.एन गर्ग एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएल- 004616एन

ह/-
ए.एन.गर्ग
एफसीए भागीदार
सं.सं: 083687
यूडीआईएन:20083687एएएडीवाई8630

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 15.6.2021

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

ह/-
(योगेश कुमार मिश्रा)
अध्यक्ष
डीआईएन: 07654014

ह/-
(बी.मुगुनथन)
निदेशक
डीआईएन: 8517013

ह/-
(आर.के.कामले)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

ह/-
(मीनाक्षी गर्ग)
मुख्य वित्त अधिकारी

ह/-
(अनुराधा कौशिक)
कंपनी सचिव

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (सीआईएन - U45400DL2014GOI272220)

(सीआईएन - U45400DL2014GOI272220)

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ और हानि विवरण

(रूपए करोड़ में) (रूपए करोड़ में)

	विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
I.	**राजस्व :**			
	प्रचालनों से राजस्व	16	54.86	70.40
II.	अन्य आय	17	0.44	0.33
III.	**कुल आय (I + II)**		**55.30**	**70.73**
IV.	**व्यय:**			
	परियोजना व्यय	18	42.70	42.00
	कर्मचारी लाभ व्यय	19	2.46	2.82
	वित्तीय लागते	20	0.01	19.95
	मूल्यह्रास, परिशोधन एवं हानि	21	23.08	23.04
	अन्य व्यय	18	0.14	0.08
	कुल व्यय (IV)		**68.39**	**87.89**
V.	आपवादिक मदों तथा कर पूर्व हानि (III - IV)		-13.09	-17.16
VI.	आपवादिक मदें		-	-
VII.	करपूर्व लाभ (V - VI)		-13.09	-17.16
VIII.	कर व्ययः			
	(1) चालू कर			
	- वर्ष हेतु		-	-
	- पूर्ववर्ती वर्षों हेतु (निवल)		-	0.01
	(2) आस्थगति कर (निवल)	6	8.29	-
	कुल कर व्यय		8.29	0.01
IX	**निरंतर प्रचालनों से अवधि हेतु हानि (VII - VIII)**		**-21.38**	**-17.17**
X	**अन्य वृहत आय**			
	क. (i) मदें जिन्हें लाभ या हानि में वगीकत नहीं किया गया है		-	-
	(ii) आय कर संबंधी मदें जिन्हें लाभ या हानि में वगीकृत नहीं किया गया है		-	-
	ख. (i) मदें जिन्हें लाभ या हानि में वगीकत किया गया है		-	-
	(ii) आय कर संबंधी मदें जिन्हें लाभ या हानि में वगीकृत किया गया है		-	-
			-	-
XI	**अवधि के लिए कुल वृहत आय (IXI +X) (जिसमें अवधि हेतु लाभ और अन्य वृहत आय शामिल हैं, कर का निवल)**		**-21.38**	**-17.17**
XII	प्रति शेयर प्रति आमदनी (निरंतर प्रचालनों हेतु)			
	(1) मूल	29	-1.30	-1.04
	(2) विलयित	29	-1.30	-1.04
	प्रति इक्विटी शेयर फेस मूल्य		10.00	10.00
XIII	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1 - 2		
XIV	वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट	3 - 37		

हमारी इसी तारीखा की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार **निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से**

कृते ए.एन गर्ग एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

एफआरएल- 004616एन

ह/-	**ह/-**		**ह/-**
ए.एन.गर्ग	**(योगेश कुमार मिश्रा)**		**(बी.मुगुनथन)**
एफसीए भागीदार	**अध्यक्ष**		**निदेशक**
सं.सं: 083687	**डीआईएन: 07654014**		**डीआईएन: 8517013**
यूडीआईएन:20083687एएएडीवाई8630			
	ह/-	**ह/-**	**ह/-**
स्थान : नई दिल्ली	**(आर.के.कामले)**	**(मीनाक्षी गर्ग)**	**(अनुराधा कौशिक)**
दिनांक: 15.6.2021	**मुख्य कार्यपालक अधिकारी**	**मुख्य वित्त अधिकारी**	**कंपनी सचिव**

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड
(सीआईएन - U45400DL2014GOI272220)
31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु रोकड़ प्रवाह विवरण

(रूपए करोड़ में) (रूपए करोड़ में)

विवरण		31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
प्रचालन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह			
कराधान पश्चात निवल लाभ		(13.09)	(17.17)
समायोजन			
मूल्यह्रास, परिशोधन एंव हानि		23.09	23.04
ऋण लागत		-	19.95
ब्याज आय		(0.30)	(0.31)
चालू/गैर-चालू परिसंपत्तियों और देयताओं से पूर्व प्रचालनिक लाभ	**(1)**	**9.70**	**25.51**
समायोजन			
व्यापार प्राप्त/वित्तीय परिसंपत्तियों- ऋण में कमी / (वृद्धि)		(2.80)	5.49
दरसूची में कमी / (वृद्धि)		-	-
अन्य परिसंपत्तियों एवं वित्तीय परिसंपत्तियों में कमी / (वृद्धि)		47.52	64.26
व्यापार प्राप्य में कमी / (वृद्धि)		8.05	4.36
अन्य देयताओं, वित्तीय देयताओं व प्रावधानों में कमी / (वृद्धि)		16.96	(137.85)
	(2)	**69.73**	**(63.74)**
प्रचालन से अर्जित रोकड़	**(1+2)**	**79.43**	**(38.23)**
आयकर भुगतान / धनवापसी प्राप्ति		0.18	2.15
प्रचालन गतिविधियों से निवल रोकड	**(क)**	**79.61**	**(36.08)**
निवेश गतिविधियों से निवल रोकड		-	
सीडब्ल्यूआईपी सहित परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण		(0.14)	(0.12)
अमूर्त परिसंपत्यिों/अमूत विकासाधीन परिसंपत्तियों की खरीद		(0.01)	(12.05)
प्राप्त ब्याज		0.30	0.30
निवेश गतिविधियों से निवल रोकड	**(ख)**	**0.15**	**(11.87)**
वित्तीय गतिविधियों से रोकड प्रवाह			
इरकॉन (धारक कंपनी) से ऋण		-	136.89
इरकॉन (धारक कंपनी) को ऋण का पुन: भुगतान		(81.22)	(57.52)
ऋण लागत		-	(19.95)
वित्तीय गतिविधियों से निवल रोकड़	**(ग)**	**(81.22)**	**59.42**
विदेशी मुद्रा रोकड़ और रोकड़ समतुल्य में रूपांतरण पर विनिमय अंतर का प्रभाव	**(घ)**	-	-
रोकड़ एवं रोकड़ समतुन्य से निवल कम	**(क+ख+ग+घ)**	**(1.46)**	**11.47**
आरंभिक रोकड़ एवं रोकड़ समतुन्य	**(ड.)**	**12.76**	**1.29**
रोकड़ शेष		-	-
बैंकों में शेष			
चालू बैंक खाते		1.11	0.44
फ्लैक्सी खातों में		11.65	0.85
समापन रोकड एवं रोकड़ समतुल्य	**(च)**	**11.30**	**12.76**
रोक्रड़ शेष		-	-
बैंकों में शेष			
चालू खातों में		2.13	1.11
फ्लैक्सी खातों में		9.17	11.65
रोकड़ एवं रोकड़ समतुन्य से निवल वृद्धि/(कम)	**(च-ड.)**	**(1.46)**	**11.47**

नोट:

1. राकड़ प्रवाह विवरण पर भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) - 7 में निर्धारित "अप्रत्यक्ष विधि" के तहत उपरोक्त रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार किया गया है।
2. प्रकाष्ठ में आंकडे रोकड के बाहरी प्रवाह को दर्शाते हैं।
3. जहां आवश्यक हुआ पिछले वर्ष के आंकडों को पुनसमूहित/पुन:निर्धारित किया गया है।

हमारी इसी तारीखा की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते ए.एन गर्ग एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएल- 004616एन

ह/-
ए.एन.गर्ग
एफसीए भागीदार
सं.सं: 083687
यूडीआईएन:20083687एएएडीवाई8630

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 15.6.2021

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

ह/-
(योगेश कुमार मिश्रा)
अध्यक्ष
डीआईएन: 07654014

ह/-
(बी.मुगुनथन)
निदेशक
डीआईएन: 8517013

ह/-
(आर.के.कामले)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

ह/-
(मीनाक्षी गर्ग)
मुख्य वित्त अधिकारी

ह/-
(अनुराधा कौशिक)
कंपनी सचिव

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (सीआईएन - U45400DL2014GOI272220)
31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु स्टैंडएलोन इक्विटी परिवर्तन विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु **(रूपए करोड में)**

विवरण	राशि
01 अप्रैल 2019 को शेष	**165.00**
लेखांकन नीति एंव पूर्व अवधि त्रुटियों में परिवर्तन	-
31 मार्च 2020 को शेष	**165.00**
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-
31 मार्च 2021 को शेष	**165.00**

ख. अन्य इक्विटी

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु **(रूपए करोड में)**

	आरक्षित निधि एवं अतिरेक			अन्य वृहत आय	
विवरण	**सामान्य आरक्षित निधि**	**प्रतिधारित आमदनी**	**पूंजी रिडेम्पशन आरक्षित निधि**	**विदेशी प्रचालनों के वित्तीय विवरण के अतरण पर विनिमय अंतर**	**कुल**
31 मार्च 2019 को शेष	**-**	**1.80**	**-**	**-**	**1.80**
लेखांकन नीति एंव पूर्व अवधि त्रुटियों में परिवर्तन	-	-	-	-	-
31 अप्रैल 2019 को शेष (पुन:विवरण)	**-**	**1.80**	**-**	**-**	**1.80**
वर्ष हेतु लाभ	-	(17.18)	-	-	**(17.18)**
अन्य वृहत आय					-
निर्धारित लाभ योजना का पुनर्मापन	-	-	-	-	-
विदेशी मुद्रा परिवर्तन अंतर	-	-	-	-	-
अवधि हेतु कुल वृहत आय	**-**	**(17.18)**	**-**	**-**	**(17.18)**
प्रदत्त लाभांश	-	-	-	-	-
लाभांश संवितरण कर	-	-	-	-	-
31 मार्च 2020 को शेष					**(15.38)**

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु **(रूपए करोड में)**

	आरक्षित निधि एवं अतिरेक			अन्य वृहत आय	
विवरण	सामान्य आरक्षित निधि	प्रतिधारित आमदनी	पूंजी रिडेम्पशन आरक्षित निधि	विदेशी प्रचालनों के वित्तीय विवरण के अतरण पर	कुल
1 अप्रैल 2020 को शेष	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
लेखांकन नीति एंव पूर्व अवधि त्रुटियों में परिवर्तन	-	-	-	-	-
31 अप्रैल 2019 को शेष	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
वर्ष हेतु लाभ	-	(21.38)	-	-	**(21.38)**
अन्य वृहत आय					-
निर्धारित लाभ योजना का पुनर्मापन	-	-	-	-	-
विदेशी मुद्रा परिवर्तन अंतर	-		-	-	-
अवधि हेतु कुल वृहत आय	**-**	**(21.38)**	**-**	**-**	**(21.38)**
प्रदत्त लाभांश	-	-	-	-	-
लाभांश संवितरण कर	-	-	-	-	-
31 मार्च 2021 को शेष					**(21.38)**

हमारी इसी तारीखा की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार **निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से**

कृते ए.एन गर्ग एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएल- 004616एन

ह/-	**ह/-**	**ह/-**
ए.एन.गर्ग	**(योगेश कुमार मिश्रा)**	**(बी.मुगुनथन)**
एफसीए भागीदार	**अध्यक्ष**	**निदेशक**
सं.सं: 083687	**डीआईएन: 07654014**	**डीआईएन: 8517013**
यूडीआईएन:20083687एएएडीवाई8630		

	ह/-	**ह/-**	**ह/-**
स्थान : नई दिल्ली	**(आर.के.कामले)**	**(मीनाक्षी गर्ग)**	**(अनुराधा कौशिक)**
दिनांक: 15.6.2021	**मुख्य कार्यपालक अधिकारी**	**मुख्य वित्त अधिकारी**	**कंपनी सचिव**

1. कंपनी का परिचय

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड ("इरकॉन पीबीटीएल") (सीआईएन) यू45400डीएल2014 जीओआई1272220), इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ("इरकॉन") की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है। कंपनी उस समय अस्तित्व में आई जब इसका निगमन इरकॉन द्वारा 30.09.2014 को एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में एक विशेष कार्य वाहन के रूप में किया गया था और इरकॉन पीबीटीएल का मुख्य उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-15 में किमी 55.250 से किमी 163.50 तक बीकानेर-फलौदी खंड को चौड़ा करने और सुदृढ़ीकरण की परियोजना को प्रदान करने के लिए 07 नवंबर 2014 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के साथ रियायत करार पर हस्ताक्षर की शर्तों के अनुसार निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (बीओटी)(टोल) आधार पर किया गया था। कंपनी ने व्यवसाय आरंभ करने के लिए प्रमाणपत्र प्रापत करने हेतु दिनांक 10 अक्तूबर 2014 को फॉर्म सं. 21 पर एमसीए को आवेदन प्रस्तुत किया और 14 नवंबर 2014 को उसे अनुमोदन प्राप्त हो गया था। तदनुसार एसपीवी ने 4 नवंबर 2014 को एनएचएआई के साथ रियायत करार पर हस्ताक्षर किए हैं। रियायत करार के अनुच्छेद 24, खंड 24.1 के प्रावधानों के अनुसार, रियायत ग्राही को करार की तिथि से 180 दिनों के भीतर वित्तीय समापन प्राप्त करना अपेक्षित है ताकि एनएचएआई परियोजना के वास्तविक कार्य आरंभ हाने से पूर्व वह नियुक्ति तिथि, जिसे निर्धारित तिथि कहते हैं, की अधिसूचना कर सके। रियायतग्राही द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान वित्तीय समापन पूरा कर लिया गया था; तदनुसार, एनएचएआई द्वारा 14 अक्तूबर 2015 को नियुक्ति तिथि निर्धारित की गई थी। निर्माण अवधि सहित 26 वर्ष की रियायत अवधि 14 को आरंभ हुई जैसा कि एनएचएआई द्वारा निर्धारित नियुक्ति अवधि के रूप में अधिसूचित किया गया है। रियायत करार के प्रावधानों के अनुसार एनएचएआई द्वारा 327.00 करोड़ रूपए के व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) उपलब्ध कराया जाएगा।

कंपनी को दिनांक 15 फरवरी 2019 को अनन्तिम वाणिज्यिक प्रचालन तिथि (डीओडी) प्राप्त हुई है और तत्पश्चात दूसरा अनन्तिम प्रमाणपत्रदिनांक 4 नवंबर 2020 को प्राप्त हुआ है।

कंपनी का प्रस्तुतीकरण और क्रियात्मक मुद्रा भारती रूपया है। है। वित्तीय विवरणों के आंकड़े करोड रूपए में हैं और उन्हें प्रति शेयर डाटा और अन्यथा उल्लिखित को छोड़ कर दो शनम्लब तक राउंड ऑफ किया गया है।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

2.1 तैयार करने का आधार

i. कम्पनी के वित्तीय विवरणों का निर्माण कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 (समय समय पर यथासंशोधित) के नियम 3 के साथ पठनीय कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 (इंड एएस अनुपालन अनुसूची–।।।) की अनुसूची–।।। के भाग–।।, वित्तीय विवरणों के संबंध में लागू, सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों का अनुसरण करके किया गया है।

ii. वित्तीय विवरणों का निर्माण गोइंग कंसर्न आधार पर प्रोद्भवन लेखांकन प्रणाली का अनुसरण करके किया गया है। कम्पनी ने परिसम्पतियों एवं देयताओं के लागत आधार के लिए ऐतिहासिक लागत को स्वीकार किया है जो उचित मूल्य पर मापन की गई निम्नलिखित परिसम्पतियों एवं देयताओं के अलावा है :–

- प्रावधान, जहां धन का समय मूल्य सामग्रीगत है वहां मापन वर्तमान मूल्य पर किया गया है।
- कतिपय वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं का मापन उचित मूल्य पर किया गया है।

2.2 चालू एवं गैर–चालू वर्गीकरण

1. कम्पनी द्वारा तुलन पत्र में परिसम्पतियों एवं देयताओं की प्रस्तुति चालू/गैर–चालू वर्गीकरण के आधार पर गई है।
2. किसी परिसम्पति को चालू तब माना जाता है जब :

- सामान्य परिचालन क्रम में बेची जानी हो अथवा बेचने के लिए आशित हो अथवा उपयोग किया जाना हो
- जो मुख्यतः व्यापार के उद्देश्य से धारित की गई है।
- जो रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात 12 माह के भीतर बेची जानी संभावित हो
- यदि विनिमय अथवा रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात कम से कम बारह माह में किसी देयता के निपटान के लिए उपयोग के लिए नहीं है तो रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य

3. कम्पनी ने अन्य सभी परिसम्पतियों का वर्गीकरण गैर–चालू परिसम्पति के रूप में किया है।

4. कोई देयता चालू तब होती है जब :

- उसका समाधान सामान्य प्रचालन क्रम में किया जाना हो
- जो मुख्यतः व्यापार के उद्देश्य से धारित की गई है।
- जो रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात 12 माह के भीतर समाधान की जानी संभावित हो
- जिसके प्रति रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति के पश्चात कम से कम बारह माह के लिए किसी देयता के समाधान को आस्थगित करने का अप्रतिबंधित अधिकार प्राप्त न हो।

5. कम्पनी ने अन्य सभी देयताओं का वर्गीकरण गैर–चालू देयता के रूप में किया है।

6. आस्थगित कर परिसम्पतियों एवं देयताओं का वर्गीकरण गैर–चालू परिसम्पति एवं देयताओं के रूप में किया गया है।

7. परिचालन क्रम प्रस्संकरण के लिए अधिगृहित गई परिसम्पतियों एवं रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य से होने वाली प्राप्ति के मध्य का समय काल है। कम्पनी ने परिचालन क्रम के लिए 12 माह निश्चित किए हैं।

2.3 रोकड प्रवाह विवरण

रोकड़ प्रवाह विवरण को अप्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते हुए प्रस्तुत किया जाता है, जिसके द्वारा गैर–रोकड़ प्रकृति के संव्यवहारों तथा भावी रोकड़ प्राप्तियों या भुगतानों के किसी आस्थगित या बीमांकक के संव्यवहारों को प्रभावित करने से पूर्व लाभ/(हानि को) समायोजित किया जाता है। कंपनी के प्रचालन, निवेश तथा वित्तीय गतिविधियों को उपलब्ध सूचना के आधार पर पृथक किया जाता है।

2.4 सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण

i. <u>स्वीकृति एवं प्रारंभिक मापन</u>

- सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण की स्वीकृति तब की जाती है जब ऐसी मद से संबद्ध भावी आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना हो तथा प्रत्येक मद का मापन विश्वसनीय रूप से

किया जा सकता हो। सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण का प्रारंभिक मापन लागत पर किया जाता है।

परिसम्पति की लागत में निम्नलिखित शामिल होता है :

क) क्रय मूल्य, किसी व्यापार छूट एवं रियायत का निवल

ख) ऋण लागतें यदि पूंजीयन मापदंड पूरे किए गए हैं

ग) परिसम्पति के अधिग्रहण से प्रत्यक्ष सम्बद्ध लागत जिसका वहन परिसम्पति को प्राप्त करने एवं आशित उद्देश्य से कार्यशील बनाने के लिए किया गया है।

घ) निर्माण अवधि के दौरान अप्रत्यक्ष निर्माण के भाग के रूप में पूंजीयन किए गए आनुषंगिक व्यय जो निर्माण से संबंधित व्यय से प्रत्यक्ष संबंधित है अथवा उसके संबंध में आनुषंगिक हैं।

ङ) यदि स्वीकृति मापदंड पूरे किए गए हैं तो मदों को अलग अलग करने तथा हटाए जाने तथा स्थल नवीकरण करने की अनुमानित लागत का वर्तमान मूल्य

फ्रीहोल्ड भूमि का वहन ऐतिहासिक लागत पर किया गया है।

ii. ***अनुवर्ती मापन***

- सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण का अनुवर्ती मापन संचित मूल्य ह्रास एवं संचित अक्षमता हानियों, यदि कोई हों, के साथ लागत पर किया जाता है। अनुवर्ती व्यय का पूंजीयन तब किया जाता है जब ऐसे व्यय से संबद्ध भावी आर्थिक लाभ कम्पनी को प्राप्त होने की संभवना हो तथा व्यय की लागत का मापन विश्वसनीयता के साथ किया जा सकता हो।

- दीर्घकालिक निर्माण परियोजना के लिए प्रतिस्थापना, प्रमुख जांच, महत्वपूर्ण पूर्जों की मरम्मत तथा ऋण लागतों का पूंजीयन स्वीकृति मापदंड पूरे होने पर किया जाता है।

- मशीनरी के अतिरिक्त पूर्जों का पूंजीयन स्वीकृति मापदंड पूरे होने पर किया जाता है।

iii. मूल्यह्रास एवं उपयोज्यता काल

- सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण का मूल्यह्रास, बिना मिआद वाले पट्टे पर प्राप्त फ्रीहोल्ड भूमि एवं पट्टाधारित भूमि को छोड़कर, कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची में निर्दिष्ट

परिसम्पतियों के अनुमानित उपयोज्यता काल के अनुसार सीधी रेखा आधार पर किया गया है।

भवन/फ्लैट आवासीय/ गैर–आवासीय	60
संयंत्र एवं मशीनरी	8–15
सर्वेक्षण उपकरण	10
कम्प्यूटर्स	3–6
कार्यालय उपकरण	5 –10
फर्नीचर एवं जुड़नार	10
कारवां, कैम्प एवं अस्थाई शैड	3–5
वाहन	8–10

अवधि के दौरान आनुपातिक आधार पर परिसम्पति के उपयोग के लिए उपलब्ध होने की तिथि से निपटान किए जाने की तिथि तक पर सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण में किए गए आवर्धन / घटाव का मूल्यह्रास आनुपातिक आधार पर किया गया है।

- सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण के प्रत्येक भाग का मूल्यह्रास, यदि भाग मद की लागत के योग के संबंध में महत्वपूर्ण है तथा ऐसे भाग का उपयोज्यता काल शेष परिसम्पतियों के उपयोज्यता काल से भिन्न है, अलग से लागत पर किया गया है। मिआद मुक्त पट्टे पर प्राप्त की गई पट्टाधारित भूमि का परिशोधन नहीं किया गया है।

- अवधि के दौरान अधिगृहित की गई सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण, जिनकी अलग अलग लागत 5000/– रूपए है, का पूर्ण मूल्यह्रास निर्धारण के तौर पर 1 रूपए के टोकन मूल्य के साथ कर लिया गया है। तथापि, कर्मचारियों को उपलब्ध करवाए गए मोबाइल फोन, उनके मूल्य को संज्ञान में लिए बिना, लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किए गए है।

- मूल्यह्रास विधियां, उपयोज्यता काल एवं अवशेष मूल्य की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है तथा उचित समझे जाने की स्थिति में उत्तरव्यापी प्रभाव से समायोजन किए जाते है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 2 में किए गए उल्लेख के अनुसार ''सामान्यतः किसी परिसम्पति का अवशेष मूल्य परिसम्पति की लागत से 5 प्रतिशत तक होता है।''

iv. *स्वीकृति समाप्ति*

- सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण की किसी मद तथा उसके विशिष्ट भाग की प्रारंभिक स्वीकृति की स्वीकृति समाप्ति उसका निपटान किए जाने तथा तथा उसके निपटान से भविष्य में उससे किसी प्रकार के आर्थिक लाभ प्राप्त न होने की संभावना होने पर किए जाते है। किसी परिसम्पति की स्वीकृति समाप्ति से प्राप्त होने लाभ अथवा हानि (निपटान से प्राप्त धन तथा परिसम्पति की वहन राशि के अंतर के अनुसार आकलन) को परिसम्पति की स्वीकृति समाप्त होने पर लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

2.5 पूंजीगत कार्य प्रगति पर

पूंजीगत कार्य प्रगति पर से पूंजीगत परियोजनाओं के संबंध में किए गए व्यय एवं लागत शून्य संचित अक्षमता हानि, यदि कोई हो, पर अग्रेशित किए गए व्यय प्रतिबिंबित होते हैं।

2.6 निवेश परिसम्पतियां

i. स्वीकृति एवं प्रारंभिक मापन

- निवेश सम्पति की स्वीकृति सम्पति से संबद्ध भावी आर्थिक लाभों की प्राप्ति कम्पनी को होने तथा सम्पति का मापन विश्वसनीय रूप से कर लिए जाने की संभावना होने पर की जाती है।
- निवेश परिसम्पति में पूर्ण सम्पति, निर्माणाधीन सम्पति तथा पट्टे पर धारित वह सम्पति शामिल है जिसका धारण साधारण व्यावसायिक प्रक्रिया में बिक्री किए जाने अथवा उत्पादन अथवा प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए उपयोग में लाए जाने के स्थान पर किराया अथवा पूंजी लाभ अथवा दोनों अर्जित करने के लिए किया गया है। निवेश सम्पतियों का प्रारंभिक मापन संव्यवहार लागतों सहित लागत पर किया जाता है।
- लागत वह राशि है जो नकद अथवा नकद समतुल्य के रूप में अथवा अन्य क्रियाओं के उचित मूल्य पर किसी सम्पति का अधिग्रहण करने अथवा निर्माण अथवा, जो भी लागू हो, के समय चुकता की जाती है, ऐसी सम्पति से सम्बद्ध राशि की प्रारंभिक स्वीकृति अन्य इंड एएस की विशिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार की जाती है।

ii. अनुवर्ती मापन एवं मूल्यह्रास

- निवेश सम्पतियों की प्रस्तुति संचित मूल्य ह्रास एवं संचित अक्षमता हानि,यदि कोई हैं, को घटाकर लागत पर की गई है। अनुवर्ती लागत को स्वीकृत मापदंड पूरे होने पर ही जोड़ा गया है। कम्पनी निवेश सम्पति के भवन घटक का मूल्य ह्रास क्रय / निर्माण की मूल तिथि से 60 वर्षों में सीधी रेखा आधार पर करती है। निर्माणाधीन फ्रीहोल्ड भूमि एवं सम्पति का परिशोधन नहीं किया गया है।

- बिना मिआद वाले पट्टे पर प्राप्त पट्टाधारित भूमि का परिशोधन नहीं किया गया है।

- निवेश सम्पति के अवशेष मूल्यों, उपयोज्यता काल एवं मूल्यह्रास की विधियों की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है तथा उत्तरव्यापी प्रभाव से समायोजन, यदि उचित हों, किए जाते हैं।

- कम्पनी अपनी निवेश सम्पति का मापन लागत आधारित मापन के आधार पर करती है, तो भी निवेश सम्पति के उचित मूल्य का प्रकटीकरण टिप्पणियों में किया गया है। उचित मूल्य का निर्धारण वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर अधिकृत बाह्य स्वतंत्र मूल्यांककों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकार्य मूल्यांकन मॉडल के अनुसार किया जाता है।

3. स्वीकृति समाप्ति

निवेश सम्पतियों की स्वीकृति या तो तब समाप्त की जाती है जब उनका निपटान किया जाता है अथवा तब की जाती है जब वे स्थाई रूप से उपयोग में नहीं लाई जाती है तथा उनके निपटान से किसी प्रकार के आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना नहीं होती है। निवल निपटान प्राप्यों, यदि कोई हों, तथा परिसम्पति की वहन राशि के मध्य के अंतर को स्वीकृति समाप्त किए जाने की अवधि के लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

2.7 अमूर्त परिसम्पतियां

i. स्वीकृति एवं प्रारंभिक मापन

- अमूर्त परिसंपत्तियों की स्वीकृति तब की जाती है जब ऐसी परिसम्पति से संबद्ध भावी आर्थिक लाभ कम्पनी को प्राप्त होने की संभावना हो तथा परिसम्पति का मापन विश्वसनीयता से किया जा सकता हो। अलग से अधिगृहित की गई अमूर्त परिसम्पतियों का लागत पर प्रारंभिक मापन किया जाता है। लागत में क्रय मूल्य, ऋण लागत, यदि

पूंजीयन के मापदंड पूर्ण किए गए हैं, तथा परिसम्पति को आशित उद्देश्य से कार्यशील बनाने के लिए किए गए व्यय शामिल होते हैं। आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त परिसम्पतियों, पूंजीयन की गई विकास लागतों के अलावा, तथा सम्बद्ध व्यय की प्रस्तुति उस अवधि के लाभ एवं हानि विवरण में की गई है जिस अवधि में व्यय किया गया है। तुलन पत्र तिथि को आशित उपयोग के तैयार न हुई अमूर्त परिसम्पतियों का प्रकटीकरण ''विकासाधीन अमूर्त परिसम्पतियां'' के रूप में किया गया है।

ii. अनुवर्ती मापन एवं परिशोधन

अमूर्त परिसम्पतियों की प्रारंभिक स्वीकृति के लिए संचित परिशोधन एवं संचित अक्षमता हानियों,यदि कोई हों, को कम करके उनकी लागत का वहन किया जाता है। प्रत्येक मामले में 1 लाख रूपए मूल्य तक साफ्टवेयर का परिशोधन क्रय के वर्ष में निर्धारण के लिए 1 रूपए के टोकन मूल्य के साथ किया जाता है।

- पूंजीगत साफ्टवेयर का परिशोधन अधिग्रहण किए जाने की तिथि से 36 माह में किया जाता है।
- अवधि के दौरान अमूर्त परिसम्पतियों में होने वाले आवर्धन / घटाव का परिशोधन करके उसे आनुपातिक आधार पर परिसम्पति उपलब्ध की तिथि से/ निपटान की तिथि तक प्रभारित किया जाता है।
- परिशोधन विधियों, उपयोज्यता काल एवं अवशेष मूल्यों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में की जाती है तथा उचित समझे जाने पर उत्तरव्यापी प्रभाव से समायोजन किए जाते हैं।

iii. स्वीकृति समाप्ति

- अमूर्त परिसम्पतियों की स्वीकृति या तो तब समाप्त की जाती है जब उनका निपटान किया जाता है अथवा तब की जाती है जब वे स्थाई रूप से उपयोग में नहीं लाई जाती है तथा उनके निपटान से किसी प्रकार के आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना नहीं होती है। अमूर्त परिसम्पतियों की स्वीकृति समाप्त किए जाने पर प्राप्त होने वाले लाभ अथवा हानि का मापन निवल निपटान प्राप्यों, यदि कोई हों, तथा परिसम्पति की वहन राशि के मध्य के अंतर को स्वीकृति समाप्त किए जाने की अवधि के लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

iv. टोल एकत्रण अधिकार (टोल रोड सेवा रियायत करार)

क) निर्माण-प्रचालन-अंतरण(बीओटी) आधार पर सार्वजनिक निजी व्यवस्थाओं (पीपीए) के संबंध में, अमूर्त परिसंपत्तियों अर्थात टोल/टैरिफ को एकत्र करने का अधिकार तब स्वीकृत होत है जब कंपनी को टोल/टैरिफ वसूलने के अधिकार दिए गए हों। ऐसी सार्वजनिक सेवाओं और इस तरह के अधिकारों के उपयोगकर्ता नकद या किसी अन्य वित्तीय परिसंपत्ति को प्राप्त करने के लिए कंपनी पर बिना शर्त के अधिकार नहीं देते हैं और जब यह संभावित होता है कि अधिकारों से जुड़े भावी आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे।

ख) कंपनी एक सार्वजनिक सेवा प्रदान करने के लिए बुनियादी ढांचे (निर्माण या उन्नयन सेवाओं) का निर्माण करती है या निर्दिष्ट अवधि के लिए उस बुनियादी ढांचे (प्रचालन सेवाओं) का प्रचालन और अनुरक्षण करती है। इन व्यवस्थाओं में सार्वजनिक-से-निजी सेवा रियायत व्यवस्था में उपयोग किए जाने वाले बुनियादी ढांचे को इसके संपूर्ण उपयोगी जीवनकाल के लिए शामिल किया जा सकता है।

ग) रियायत समझौतों के तहत, जहां कंपनी को सार्वजनिक सेवा के उपयोगकर्ताओं को प्रभारित करने का अधिकार मिला है, ऐसे अधिकारों को इंड एएस 115 - सेवा रियायत व्यवस्था के परिशिष्ट-ग के अनुसार "अमूर्त परिसंपत्तियों" के रूप में स्वीकार और वर्गीकृत किया जाता है।

घ) धनराशि प्राप्त करने का इस प्रकार का अधिकार बिनाशर्ता अधिकार नहीं होता है क्योंकि यह मात्रा उस सीमा तक आकस्मिक है कि जनता सेवा का उपयोग किस स्तर तक करती है और इस प्रकार इसे अमूर्त संपत्ति के रूप में स्वीकार और वर्गीकृत किया जाता है। इस तरह की अमूर्त संपत्ति को कंपनी द्वारा लागत पर स्वीकार किया जाता है (जो प्रस्तुत निर्माणत सेवाओं के लिए प्राप्त या प्राप्य उचित मूल्य है) और इसे तब पूंजीकृत किया जाता है जब परियोजना सभी मामलों में पूर्ण होती है और जब कंपनी रियायत समझौते में निर्दिष्ट अनुसार प्राधिकरण से परियोजना पूरा होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करती है।

ड.) रियायत व्यवस्था के तहत ली गई संपत्ति को निपटान पर या उसके भविष्य के उपयोग

या निपटान से कोई भविष्य के आर्थिक लाभ की आशा नहीं की जाती है।

च) सेवा रियायत की व्यवस्था जो अमूर्त संपत्ति की परिभाषा को पूरा करती है, संचयी निर्माण लागत पर स्वीकार की जाती है। परियोजना के निर्माण के पूरा होने तक, इस तरह की व्यवस्था को "विकास के तहत अमूर्त संपत्ति" के रूप में स्वीकार किया जाता है और संचयी निर्माण लागत पर मान्यता प्राप्त होती है।

छ) कंपनी इक्विटी सहायता की प्रक़ति में व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) को स्वीकार करती है। वीजीएफ की कुल संभावित राशि को विकासाधान अमूर्त परिसंपत्तियों (सेवा रियायत करार के अंतर्गत सृजित) से कम किया जाता है और चालू वित्तीय परिसंपत्त्यिों के अंतर्गत प्राप्यों को स्वीकार किया जाता है। वीजीएफ के प्रति प्राप्त किसी राशि को तत्पश्चात चालू वित्तीय परिसंपत्तियों से कम किया जाता है।

ज) सेवा रियायत व्यवस्था में एक अमूर्त संपत्ति का अनुमानित उपयोगी जीवन वह अवधि है जहां से कंपनी रियायत अवधि के अंत तक बुनियादी ढांचे के उपयोग के लिए जनता को चार्ज करने में सक्षम है।

झ) टोल एकत्रण अधिकार को रियायती अवधि की समाप्ति के लिए सेवा में लाए गए अधिकार के अतिरिक्त या उक्त तिथि से प्रो-राटा के आधार पर सीधी रेखा पद्धति का उपयोग करके परिशोधित किया जाता है।

ट) परिशोधन के तरीकों और उपयोगी जीवनकाल की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में की जाती है, जिसमें अनुमानित आधार पर अनुमानित परिवर्तन किए जाते हैं।

ठ) अमूर्त परिसंपत्ति के वहन मूल्य की प्रतिवर्ष या उससे अधिक बार हानि के लिए समीक्षा की जाती है यदि घटनाओं या परिस्थितियों में परिवर्तन यह दर्शाता है कि वहन मूल्य पुनर्प्राप्त करने योग्य नहीं है।

2.8 नकद एवं नकद समतुल्य

नकद एवं नकद समतुल्य में नकदी, बैंकों में जमा नकदी एवं अल्पकालिक जमा जिनकी मूल परिपक्वता तीन माह अथवा कम है तथा जो नकदी की ज्ञात राशियों के लिए तत्काल

परिवर्तित किए जा सकते हैं तथा जो मूल्य में परिवर्तन के प्रति महत्वपूर्ण जोखिम के अध्याधीन हैं।

नकदी प्रवाह विवरण के उद्देश्य से नकदी एवं नकदी समतुल्यों में ऊपर दी गई परिभाषा के अनुसार अप्रबंधित नकदी एवं अल्पकालिक जमा शामिल किए गए हैं क्योंकि उन्हें कम्पनी के रोकड़ प्रबंधन का अभिन्न अंग माना गया है।

2.9 प्रावधान, आकस्मिक परिसम्पतियां एवं आकस्मिक देयताएं

i) प्रावधान

(क) प्रावधान को स्वीकृति तब प्रदान की जाती है जब किसी पूर्व घटना के परिणामस्वरूप कम्पनी का कोई वर्तमान दायित्व (विधिक अथवा तर्कसाध्य) हो तथा ऐसी संभावना हो कि दायित्व के निपटान, जिसके संबंध में विश्वसनीय अनुमान लगाए जा सकते हैं, के लिए संसाधनों का बर्हिप्रवाह अपेक्षित है। प्रावधान के रूप में स्वीकृत राशि रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्तमान दायित्व के निपटान के लिए अपेक्षित विचार, दायित्व से जुड़े जोखिम एवं अनिश्चितताओं पर विचार, के पश्चात आंके गए उत्तम अनुमान के अनुसार होती है।

(ख) जब धन के समय मूल्य का वस्तुगत होने की संभावना होती है तो प्रावधान राशि को दायित्व से सम्बद्ध जोखिम की प्रस्तुति करने वाली,जब उचित हो, पूर्व कर दर के उपयोग से कम कर दिया जाता है। समय के परिवर्तन को वित्त लागत के रूप में विचार में लिए जाने के कारण डिस्काउंटिंग के उपयोग के पश्चात प्रावधान अधिक कर दिए जाते हैं।

(ग) कम्पनी द्वारा स्वीकृत किए जाने वाले प्रावधानों में अनुरक्षण, विघटन, डिजाइन गारंटी, विधिक मामले, निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर), दुर्वह संविदा एवं अन्य शामिल हैं।

ii) दुर्वह संविदाएं

(क) दुर्वह संविदा वह संविदा है जिसमें संविदा के अंतर्गत दायित्वों को पूरा करने की वे अपरिहार्य लागतें (अर्थात वे लागतें जिनकी संविदा के कारण कम्पनी अनदेखी नहीं कर

सकती है) आती हैं जो उससे प्राप्त होने वाले संभावित आर्थिक लाभों से अधिक होती हैं। किसी संविदा के अंतर्गत अपरिहार्य लागतें संविदा की विद्यमान न्यूनतम लागत की प्रस्तुति करते हैं जो इसके निष्पादन की लागत एवं इसे निष्पादित न किए जाने के मुआवजे अथवा उत्पन्न होने वाली शास्तियों से कम हैं। यदि कम्पनी की कोई दुर्वह संविदा है तो संविदा के अंतर्गत दायित्व की स्वीकृति एवं मापन के लिए प्रावधान किए जाते हैं। तथापि, दुर्वह संविदा के लिए अलग प्रावधान करने से पूर्व कम्पनी किसी अक्षमता हानि की स्वीकृति करती है जो ऐसी संविदा के लिए नियत की गई परिसम्पतियों के संबंध में हुई है।

(ख) इन अनुमानों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में करके चालू उत्तम अनुमान के अनुसार समायोजन प्रस्तुत किए गए हैं।

iii) आकस्मिक देयताएं

(क) ऐसे आकस्मिक दायित्वों के संबंध में प्रकटीकरण किया जाता है जब संभावित दायित्व अथवा वर्तमान दायित्वों के संबंध में सन्निहित आर्थिक लाभों के संसाधनों का बर्हिप्रवाह अपेक्षित होने होने की संभावना होती है, परन्तु नहीं भी हो सकती है, अथवा ऐसे दायित्वों की राशि का मापन विश्वसनीयता से नहीं किया जा सकता है। जब किसी संभावित दायित्व अथवा विद्यमान दायित्व के संबंध में सन्निहित आर्थिक लाभों के संसाधनों का बर्हिप्रवाह होने की संभावना काफी होती है तो कोई प्रावधान अथवा प्रकटीकरण नहीं किए जाते हैं।

(ख) इनकी समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को की जाती है तथा चालू उत्तम अनुमानों के अनुसार इनका समायोजन किया जाता है।

iv) आकस्मिक परिसम्पतियां

आकस्मिक परिसम्पतियों की स्वीकृति नहीं की जाती है अपितु आर्थिक लाभों के प्रवाह की विश्वसनीयता होने पर इनका प्रकटीकरण किया जाता है।

2.10 राजस्व स्वीकृति

i. कंपनी इंड एएस-115 "ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व" के अनुसार निर्माण से राजस्व को स्वीकार कराती है और मापन करती है।

ii. कंपनी को प्राप्त या प्राप्य धनराशि वित्तीय परिसंपत्ति और अमूर्त परिसंपत्ति का अधिकार है। कंपनी रोकड़ को प्राप्त करने के अशर्त अधिकार के स्तर तक वित्तीय परिसंपत्ति को स्वीकार करती है, जो निर्माण सेवाओं के लिए प्रदाता के निदेश पर या से विशिष्ट निर्धारणीय राशि है और कंपनी अमूर्त परिसंपत्ति को उस स्तर तक स्वीकार करती है, जो उसे सार्वजनिक सेवा के प्रयोक्ताओं से प्रभार वसूलने के एकमात्र और विशिष्ट अधिकार है।

iii. कंपनी प्रदाता को संवर्धित सेवा के अंतरण द्वारा निष्पादन दायित्व के संतोष पर संविदागत राजस्व को स्वीकार करती है। कंपनी का कार्यनिष्पादन परिसंपत्ति का सृजन या संवर्धन करती है इसलिए, कंपनी समय के साथ नियंत्रण को अंतरित करती है और समय के साथ निष्पादन दायित्व को संतुष्ट करती है।

iv. संव्यवहार मूल्य (इसमें महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक शामिल नहीं है) वह मूल्य है जो सेवाओं के प्रावधान के लिए ग्राहक के साथ अनुबंधित है। राजस्व को लेनदेन के मूल्य पर मापा जाता है जो निष्पादन दायित्व के लिए आवंटित किया जाता है और इसमें तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशि शामिल नहीं है जैसे जीएसटी और इसे परिवर्ती धराशि के साथ समायोजित किया जाता है।

v. कंपनी की संविदा की प्रकृति मूल्य वृद्धि तथा तरलता क्षतियों सहित विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों को उत्पन्न करती है।

vi. संव्यवहार के मूल्य में किसी प्रकार का अनुवर्ती परिवर्तन संविदा में निष्पादन के दायित्वों के लिए उसी आधार पर आवंटित किया जाता है, जैसा संविदा के निर्धारण के समय होता है।

vii. कंपनी परिवर्ती धनराशि हेतु राजस्व को स्वीकार करती है, जब यह संभावना है कि संचयी रूप से स्वीकृत राजस्व राशि में कोई महत्वपूर्ण व्युत्क्रम उत्पन्न नहीं होगा। कंपनी सर्वाधित संभावित राशि पत्रति का प्रयोग करके परिवर्ती धनराशि के रूप में राजस्व अनुमान राशि को स्वीकार करेगी।

viii. इसके परिणामस्वरूप, संतुष्ट निष्पादन दायित्व के लिए आवंटित राशि को राजस्व के रूप में या राजस्व की कमी के रूप में स्वीकार किया जाता है, जिस अवधि में लेनदेन में परिवर्तन होता है।

ix. कंपनी निष्पादन दायित्व को संतुष्ट करती है और समय पर राजस्व को स्वीकार है, यदि किसी भी निम्नलिखित मानदंडों को पूरा किया जाता है:

- ग्राहक साथ ही साथ इकाई निष्पादन के रूप में इकाई के कार्यनिष्पादन द्वारा प्रदान किए गए लाभों को प्राप्त और उपभोग करता है।
- इकाई का निष्पादन परिसंपत्ति का निर्माण या संवर्धन करता है (उदाहरण के लिए, प्रगतिरत कार्य) जिसे ग्राहक द्वारा परिसंपत्ति के निर्माण या वृद्धि पर नियंत्रित किया जाता है।
- इकाई का निष्पादन इकाई के लिए वैकल्पिक उपयोग हेतु परिसंपत्ति नहीं बनाता है और इकाई को आज तक पूरा किए गए कार्यनिष्पादन के भुगतान के लिए लागू करने योग्य अधिकार है।

x. समय के साथ संतुष्ट कार्यनिष्पादन दायित्व के लिए, स्वीकृत राजस्व प्रगति का माप, प्रतिशत पूर्णता पद्धति का उपयोग करके, प्रदर्शन निष्पादन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की ओर किया जाता है। प्रगति को आज की तारीख तक वास्तविक लागत के अनुपात के अनुसार कार्यनिष्पादन दायित्व के प्रति कुल अनुमानित लागत पर मापा जाता है।

xi. निष्पादन दायित्व को इनपुट विधि के अनुप्रयोग द्वारा मापा जाता है। जहाँ संविदाओं में निष्पादन दायित्व को इनपुट विधि द्वारा मापा नहीं जा सकता है वहां आउटपुट विधि लागू की जाती है, जो समग्र रूप से निष्पादन दायित्व कके पूर्ण संतोष के स्तर पर कंपनी के निष्पादन को प्रदर्शित करता है।

xii. संविदागत आशोधनों को तब लेखांकित किया जाता है जब पर स्वीकृत संवर्धन, विलोपन या परिवर्तन किए गए हों।

xiii. संविदाओं में संशोधन के लिए लेखांकन में यह आकलन करना शामिल है कि क्या मौजूदा संविदा में शामिल की गई सेवाएं अलग-अलग हैं और मूल्य निर्धारण बिक्री मूल्य पर है या नहीं। शामिल की गई सेवाएं जो पृथक नहीं हैं, उनका संचयी कैच-अप आधार पर लेखांकित किया जाता है, जबकि जो सेवाएं पृथक होती हैं, उन्हें या तो पृथक संविदा के रूप में देखा जाता है, यदि अतिरिक्त सेवाओं का मूल्य स्टैंडएलोन विक्रय मूल्य पर या मौजूदा संविदा की समाप्ति के रूप में निर्धारित किया जाता है, यदि स्टेंडएलोन बिक्री मूल्य पर मूल्यांकित नहीं किया गया है।

xiv. **संविदा शेष**

- **संविदा परिसम्पतियां :** किसी संविदा परिसम्पति के संबंध में ग्राहक को प्रतिफल के विनिमय के प्रति माल एवं सेवाओं का अंतरण का अधिकार प्राप्त है। यदि कम्पनी द्वारा ग्राहक के लिए किया जाने वाला निष्पादन माल एवं सेवाओं के अंतरण के लिए ग्राहक द्वारा प्रतिफल दिए जाने से पूर्व अथवा प्रतिफल देय होने से पूर्व किया जाता है तो संविदा परिसम्पति की स्वीकृति अर्जित प्रतिफल, जो सशर्त है, के लिए की जाती है।
- **व्यापार प्राप्य :** प्राप्य से कम्पनी का किसी प्रतिफल के रूप में किसी राशि की प्राप्ति का अधिकार अभिप्रेत है जो किसी शर्त के बिना है (अर्थात प्रतिफल के भुगतान से पूर्व केवल थोड़ा समय अपेक्षित होता है)।
- **संविदागत दायित्व** : संविदागत दायित्व वे दायित्व हैं जो कम्पनी को ग्राहक से प्राप्त प्रतिफल (अथवा प्रतिफल की कोई देय राशि) के प्रति ग्राहक को माल एवं सेवाओं के अंतरण के लिए हैं। यदि कोई ग्राहक कम्पनी द्वारा माल एवं सेवाओं का अंतरण ग्राहक को करने से पूर्व प्रतिफल का भुगतान करता है तो संविदा दायित्व की पूर्ति भुगतान किए जाने पर अथवा भुगतान देय होने पर (जो भी पहले हो) होती है। संविदागत देयताों की राजस्व में स्वीकृति तब की जाती है जबकि कम्पनी द्वारा संविदा के प्रति निष्पादन कर लिया जाता है।

xv) टोल एकत्रण से राजस्व

कंपनी टोल एकत्रक को तब स्वीकार करती है जबकभी इसे संव्यवहार मूल्य पर एकत्र किया जाता है यथा प्रयोग शुल्क, जो कि तीसरे पक्षों की ओर से एकत्र राशि से अलग है।

xvi) अन्य आय

- लाभांश आय की स्वीकृति भुगतान प्राप्ति का अधिकार स्थापित होने पर की गई है।
- ब्याज आय की स्वीकृति प्रभावी ब्याज दर के उपयोग से की गई है।
- विविध आय की स्वीकृति निष्पादन दायित्व पूरे कर लिए जाने तथा संविदा शर्तों के अनुसार आय की प्राप्ति का अधिकार प्राप्त होने पर की गई है।

2.11 गैर–वित्तीय परिसम्पतियों का परिशोधन

(i) प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को कम्पनी द्वारा मूल्यांकन करके किसी परिसम्पति को परिशोधित करने अथवा किसी परिसम्पति का वार्षिक परिशोधन परीक्षण किए जाने की अपेक्षा होने के संकेत ज्ञात करके ऐसी परिसम्पतियों से वसूली योग्य राशि के अनुमान लगाए जाते हैं। किसी परिसम्पति की वसूली योग्य राशि किसी परिसम्पति अथवा रोकड़ उत्पति यूनिट (सीजीयू) के उचित मूल्य, निपटान की लागत को घटाकर, तथा उसके उपयोग मूल्य से अधिक होती है। यदि कोई परिसम्पति ऐसी रोकड़ उत्पति यूनिट नहीं है जो परिसम्पतियों अथवा परिसम्पतियों के समूह से पूरी तरह भिन्न हो तो किसी वैयक्तिक परिसम्पति की वसूलीयोग्य राशि के निर्धारण किए जाते हैं। जब किसी परिसम्पति अथवा रोकड़ उत्पति यूनिट की वहन राषि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक होती है तो परिसम्पति को परिशोधित मान लिया जाता है तथा उसकी मालसूचियों के परिशोधन सहित उसकी वसूलीयोग्य राशि एवं परिशोधन हानि को ह्रासित करके लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृति की जाती है।

(ii) उपयोग मूल्य के मूल्यांकन पूर्व–कर छूट दर, जिससे धन के समय मूल्य के चालू बाजार मूल्यांकन एवं परिसम्पति से संबद्ध जोखिम प्रस्तुत होते हैं, के उपयोग से उसके वर्तमान को अनुमानित रोकड़ प्रवाह से कम करके किए जाते हैं।

(iii) साख के अलावा परिसम्पतियों का मूल्यांकन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को यह निर्धारण करने के लिए किया जाता है कि क्या संज्ञान में ली जा चुकी अक्षमता हानि के संकेत अभी भी हैं अथवा वे कम हो गए हैं। यदि ऐसे संकेत होते हैं तो कम्पनी परिसम्पति अथवा रोकड़ उत्पति यूनिट की वसूली योग्य राशि के अनुमान लगाती है। संज्ञान में ली जा चुकी अक्षमता हानि का व्युत्क्रमण तभी किया जाता है जब पहले आंकी गई अक्षमता हानि के पश्चात से परिसम्पति की वसूलीयोग्य राशि के लिए लगाए गए अनुमानों में किसी प्रकार के परिवर्तन प्रतीत हों। व्युत्क्रमण सीमित होते हैं जिससे कि परिसम्पति की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से न तो अधिक हो और न ही यह पूर्वावधि की परिसम्पति से संबंधित अक्षमता हानि न होने की स्थिति में निर्धारित की जाने वाली वहन रशि, मूल्यह्रास का निवल, से अधिक न हो सके। ऐसे व्युत्क्रमण लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत किए जाते हैं।

2.12 मालसूचियां

i) मालसूचियों (स्क्रैप सहित) का मूल्यन उनकी न्यून लागत एवं निवल प्राप्य मूल्य पर आंका जाता है। लागत में मालसूचियों को वर्तमान स्थल एवं स्थिति में लाने के लिए व्यय की गई क्रय लागत, परिवर्तन लागत एवं अन्य लागतें शामिल होती हैं। लागत का निर्धारण प्रथम आवक प्रथम जावक (एफआईएफओ) आधार पर किया जाता है। व्यापार की साधारण प्रक्रिया में निवल वसूलीयोग्य मूल्य पूर्णता लागतों तथा बिक्री के लिए आवश्यक अनुमानित के अनुमान को घटाकर आंका गया अनुमानित बिक्री मूल्य है।

ii) निर्माण कार्य प्रगति पर का मूल्यन ऐसे समय तक के लिए लागत पर किया गया है जब तक कार्य से प्राप्त होने वाले प्रतिफल का विश्वसनीय रूप से पता नहीं चलता है।

iii) नई परियोजनाओं पर संचलन के लिए किए गए प्रारंभिक संविदा व्यय को संबंधित वर्ष में निर्माण कार्य प्रगति पर के रूप में स्वीकृति दी गई है तथा उसे आनुपातिक आधार पर परियोजना के लाभ एवं हानि विवरण में रिपोर्टिंग अवधि के अंत संविदा के पूर्ण होने के चरण के समान प्रतिशत पर संबंधित अवधि में प्रभारित किया गया है। स्थल संचलन व्यय का बट्टा करने के स्थान पर लागत पर मूल्यन किया गया है।

iv) नो कास्ट प्लस संविदा , जिनमें संविदा की शर्तों के अनुसार सभी सामग्रियों, अतिरिक्त पूर्जों एवं भंडार की लागत की धनवापसी नहीं होती होती है, का मूल्यन उपर्युक्त (क) के अनुसार मालसूची के रूप में किया गया है।

v) अवधि के दौरान किए गए लूज पूर्जों का उपयोग कर लिया गया है।

2.13 ऋण लागत

ऋण लागत में ब्याज एवं कम्पनी द्वारा निधियों की प्राप्ति के संबंध में व्यय की गई अन्य लागतें शामिल हैं। ऋण लागतों की सम्बद्धता प्रत्यक्ष रूप से किसी अधिग्रहण, निर्माण अथवा उत्पादन से होती है जो परिसम्पति की लागत के पूंजीयन के लिए आशित उद्देश्य से उपयोग अथवा बिक्री के लिए किसी निश्चित अवधि में पूर्ण अथवा निर्मित की जानी अपेक्षित होती है। अन्य सभी ऋण लागतों की स्वीकृति उनके व्यय के अनुसार लाभ एवं हानि विवरण में की गई है।

ऋण लागतों में ऐसी विनिमय भिन्नता भी शामिल हैं जिन्हें ऋण लागतों के समायोजन के लिए उपयोग किया गया है।

2.14 कर्मचारी लाभ

i) अल्पकालिक कर्मचारी लाभ

वेतन, अल्पकालिक प्रतिपूर्ति छुट्टी एवं निष्पादन सम्बद्ध वेतन (पीआरपी) जैसे बारह माह की पूर्ण सेवा के पश्चात प्रदान किए जाने वाले लाभों का वर्गीकरण अल्पकालिक कर्मचारी लाभ के रूप में किया गया है तथा ऐसे लाभों की गैर–डिस्काउंटिड राशि को उस अवधि से संबंधित लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया गया है जिन अवधियों में कर्मचारी द्वारा सम्बद्ध सेवाएं प्रदान की गई हैं।

ii) सेवानिवृत्ति पश्चात लाभ तथा दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ

सेवानिवृत्ति पश्चात लाभ तथा दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ का प्रावधान धारक कंपनी, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा किए जाते हैं क्योंकि कंपनी में कर्मचारी धारक कंपन से प्रतिनियुक्ति पर आए हैं।

2.15 पट्टे

कम्पनी द्वारा संविदा के प्रारंभ में ऐसे मूल्यांकन किए जाते हैं कि क्या संविदा पट्टा, अथवा अंतर्विष्ट पट्टा, है अथवा नहीं है। इसका अर्थ है कि क्या संविदा में संज्ञान में ली गई परिसम्पति के संबंध में किसी अवधि में उपयोग के नियंत्रण का अधिकार प्रतिफल के विनिमय के प्रति उपलब्ध है।

1) पट्टेदार के रूप में कम्पनी

कम्पनी द्वारा अल्पकालिक पट्टों तथा न्यून मूल्य की परिसम्पतियों के पट्टों के अलावा सभी पट्टों के संबंध में एकल स्वीकृति एवं मापन विधि का उपयोग किया जाता है। कम्पनी पट्टा दायित्वों की स्वीकृति पट्टा भुगतानों तथा उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों के रूप में करती है जिससे अंतर्निहित परिसम्पतियां उपयोग अधिकार की प्रस्तुति करती हैं।

क) उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियां

- कम्पनी उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों की स्वीकृति पट्टा प्रारंभ होने की तिथि (अथवा वह तिथि जब अंतर्निहित परिसम्पति उपयोग के लिए उपलब्ध होती है) के अनुसार करती है। उपयोग अधिकार वाली परिसम्पति का मापन किसी प्रकार के संचित मूल्यह्रास तथा क्षमता हानियों को घटाकर एवं पट्टा दायित्वों के किसी पुनःमापन में समायोजन करके लागत पर किया जाता है। उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों की लागत में स्वीकृत पट्टा देयता क राशि, प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागतें, एवं किसी प्रकार के प्राप्त पट्टा प्रोत्साहनों को घटाकर प्रारंभ तिथि को अथवा उससे पूर्व किए गए पट्टा भुगतान शामिल हैं। उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों का मूल्यह्रास पट्टा काल को कम करके तथा परिसम्पति के अनुमानित उपयोज्यता काल के अनुसार किया जाता है।

- यदि पट्टा की गई परिसम्पतियां पट्टा काल के अंत में कम्पनी को अंतरित की जाती है अथवा प्रस्तुत लागत में क्रय विकल्प का उपयोग मूल्य होता है तो मूल्यह्रास का आकलन परिसम्पति के अनुमानित उपयोज्यता काल के अनुसार किया जाता है।

- उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियां अक्षमता की शर्त पर भी होती है।

ख) पट्टा दायित्व

- कम्पनी द्वारा पट्टे की प्रारंभ तिथि को पट्टा काल के लिए चुकता किए जाने वाले पट्टा के वर्तमान मूल्य के अनुसार मापन किए गए पट्टा दायित्वों को स्वीकृति दी जाती है। पट्टा भुगतानों में किसी प्रकार के प्राप्य प्रोत्साहन घटाकर नियत भुगतान (सारभूत नियत भुगतान में शामिल), परिवर्तनीय पट्टा भुगतान जो सूचकांक अथवा किसी दर पर निर्भर हैं, तथा अवशेष मूल्य गारंटियों के अंतर्गत चुकता की जाने वाली संभावित राशियां शामिल है। पट्टा भुगतानों में क्रय विकल्प का उपयोग मूल्य भी शामिल होता है जिसका औचित्यपरक निश्चितता के साथ कम्पनी उपयोग कर सकती है, तथा पट्टों समाप्त करने, यदि पट्टा काल शर्तों में शास्तियों के भुगतान की व्यवस्था है, के विकल्प का उपयोग कर सकती है। व्यय

के रूप में स्वीकृत किसी सूचकांक अथवा दर पर निर्भर न होने वाले परिवर्तनीय पट्टा भुगतान (यदि वे मालसूचियों के उत्पादन के लिए व्यय नहीं किए गए हैं) उनकी उत्पति की अवधि अथवा भुगतान किए जाने की स्थिति में किए जाते हैं।

- पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य का आकलन करते हुए कम्पनी पट्टा प्रारंभ तिथि से आवर्धित ऋण दर का उपयोग करती है क्योंकि पट्टे में अंतर्निहित ब्याज दर का सुगमता से निर्धारण नहीं किया जा सकता है। प्रारंभ तिथि के पश्चात पट्टा दायित्वों की राशि में ब्याज अभिवृद्धि की प्रस्तुति के लिए वृद्धि हो जाती है तथा किए गए पट्टा भुगतान कम हो जाते हैं। इसके अलावा, पट्टा दायित्वों के वहन मूल्य का पुनःमापन किसी प्रकार का संशोधन किए जाने, पट्टा काल में परिवर्तन किए जाने, पट्टा भुगतानों में परिवर्तन किए जाने (अर्थात पट्टा भुगतानों के निर्धारण के लिए प्रयुक्त किसी सूचकांक अथवा दर में परिवर्तन के परिणामस्वरूप भावी भुगतानों में परिवर्तन) अथवा अंतर्निहित परिसम्पति के क्रय के विकल्प के मूल्यांकन में परिवर्तन किए जाने की स्थिति में किया जाता है।

- कम्पनी के पट्टा दायित्वों को वित्तीय दायित्वों में शामिल किया जाता है।

ग) अल्पकालिक पट्टे तथा न्यून मूल्य वाली परिसम्पतियों के पट्टे

- कम्पनी द्वारा आवासीय परिसरों तथा कार्यालयों (अर्थात वे पट्टे जिनका पट्टा काल प्रारंभ की तिथि से 12 माह अथवा कम है तथा जो क्रय विकल्प के साथ नहीं हैं) के अपने अल्पकालिक पट्टा अनुबंधों में अल्पकालिक पट्टा स्वीकृति के लिए छूट का उपयोग किया जाता है। कम्पनी द्वारा कार्यालय उपकरणों, जो न्यून मूल्य के रूप में विचार में नहीं लिए गए हैं, के पट्टों के लिए पट्टे की न्यून मूल्य परिसम्पति छूट का उपयोग भी किया जाता है। अल्पकालिक पट्टों के पट्टा भुगतान तथा न्यून मूल्य परिसम्पतियों के पट्टों की स्वीकृति पट्टा काल के लिए सीधी रेखा आधार पर व्यय के रूप में की जाती है।

- कम्पनी द्वारा पट्टा लेखांकन में किए समायोजन इंड एएस 116 के अनुसार किए गए हैं जो 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी है तथा सभी सम्बद्ध आंकड़ों का पुनःवर्गीकरण /पुनःसमूहन इंड एएस116 की अपेक्षाओं के प्रभाव से किया गया है।

ii) पट्टाकार के रूप में कम्पनी

वे पट्टे जिनमें कम्पनी मुख्य रूप से परिसम्पति से संबद्ध सभी जोखिम तथा प्रतिफल अंतरित नहीं करती है उनका वर्गीकरण परिचालन पट्टे के रूप में किया गया है। पट्टे के काल की अवधि के लिए सीधी रेखा आधार पर लेखांकित पट्टे से उत्पन्न किराया को उसकी परिचालन प्रकृति के कारण राजस्व के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में शामिल किया गया है। परिचालन पट्टे के परक्रामण एवं व्यवस्थापन के दौरान व्यय की गई प्रत्यक्ष लागतें पट्टाकृत परिसम्पति की वहन राशि में जोड़ी गई हैं तथा उनकी स्वीकृति ब्याज आय के समान आधार पर पट्टा काल के लिए की गई है। आकस्मिक किरायों की स्वीकृति राजस्व के रूप में उनकी उत्पति होने पर की गई है।

2.16 चालू आय कर

- चालू आय कर एवं देयताओं का मापन सम्बद्ध कर विनियमों के अंतर्गत कराधान प्राधिकरणों से संभावित प्राप्य अथवा चुकता की जाने वाली राशियों के अनुसार किया गया है । चालू कर निर्धारण अवधि के लिए देय आय कर के संबंध में कर देयता के रूप में किया गया है तथा इसका आकलन सबंधित कर विनियमों के अनुसार किया गया है। चालू आय कर की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में की गई है जिसमें लाभ एवं हानि के ाह्य स्वीकृत की गई मदों को शामिल नहीं किया गया है तथा इन मदों की स्वीकृति लाभ एवं हानि से बाह्य (अन्य व्यापक आय अथवा इक्विटी में) की गई है। चालू कर मदों की स्वीकृति सम्बद्ध संव्यवहार के संदर्भ में या तो अन्य व्यापक आय में की गई है या इन्हें प्रत्यक्ष रूप से इक्विटी में शामिल किया गया है। प्रबंधन द्वारा आवधिक रूप से कर विवरणियों में अपनी उन स्थितियों के संबंध में आवधिक मूल्यांकन किए जाते हैं जिनके लिए लागू कर विनियम व्याख्या तथा यथा लागू स्थापित प्रावधानों के अध्याधीन हैं।

- चालू कर परिसम्पतियों एवं कर दायित्वों का समंजन उन स्थितियों के लिए किया गया है जिनके संबंध में कम्पनी के पास समंजन का विधिक प्रवर्तनीय अधिकार है अथवा उनके संबंध में कम्पनी की मंशा निवल आधार पर उनका निपटान करने अथवा परिसम्पति की बिक्री करके एक साथ दायित्व का समाधान करने करने की है।

2.17 आस्थगित कर

- आस्थगित कर देयताओं की स्वीकृति परिसम्पतियों एवं देयताओं के कर आधारों तथा रिपोर्टिंग तिथि को वित्तीय रिपोर्टिंग के उद्देश्य से उनकी वहन राशियों के मध्य अस्थाई भिन्नताओं के संबंध में देयता विधि के उपयोग से की गई है।

- आस्थगित कर परिसम्पतियों का मापन उन कर दरों पर किया गया है जिनका उपयोग उस अवधि के लिए किया जाना संभावित है जब परिसम्पति का निपटान अथवा दायित्व का समाधान कर दरों के आधार (तथा कर विधियों) पर किया गया था जो प्रवर्तित हैं अथवा रिपोर्टिंग तिथि को प्रवर्तित किए गए हैं।

- आस्थगित कर परिसम्पतियों की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में की गई है जिसमें लाभ एवं हानि के बाह्य स्वीकृत की गई मदों को शामिल नहीं किया गया है तथा इन मदों की स्वीकृति लाभ एवं हानि से बाह्य (अन्य व्यापक आय अथवा इक्विटी में) की गई है। आस्थगित कर मदों की स्वीकृति सम्बद्ध संव्यवहार के संदर्भ में या तो अन्य व्यापक आय में की गई है अथवा इन्हें प्रत्यक्ष रूप से इक्विटी में शामिल किया गया है।

- आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को की जाती है और उस स्तर तक इसे कम किया जाता है जहां यह संभावना न रहे कि उपयोग की जाने वाली आस्थगित आयकर परिसंपत्ति या उसका भाग उपयुक्त कर लाभ के लिए उपलब्ध होगा। स्वीकृत न की गई आस्थगित कर परिसम्पतियों का पुनः मूल्यांकन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को किया जाता है तथा इनकी स्वीकृति उस स्तर तक की जाती है जिस स्तर तक यह संभावना बनी रहे कि इससे प्राप्त भावी करयोग्य लाभ से आस्थगित कर परिसम्पतियों की वसूली की जा सकेगी।

- आस्थगित कर परिसम्पतियों एवं देयताओं का समंजन तब किया जाता है जब चालू कर परिसम्पतियों एवं देयताओं के समंजन के लिए प्रवर्तनीय विधिक अधिकार उपलब्ध हो तथा जब आस्थगित कर परिसम्पतियों के शेष समान कराधान प्राधिकरण से संबंधित हों।

2.18 प्रचालन सेगमेंट

प्रचालन सेगमेंट को इस रूप में रिपोर्ट किया जाता है जो मुख्य प्रचालन निर्णय निर्धारक को उपलब्ध आंतरिक रिपोर्टिंग के अनुसार हो। तदनुसार, कंपनी ने भौगोलिक स्थल के आधार पर एक प्रचालनिक रिपोर्टिंग सेगमेंटों की पहचान की है।

219 प्रति शेयर आमदनी

प्रति शेयर मूल आमदनी निर्धारित करने के लिए, समूह इक्विटी शेयरधारकों के प्रति निवल लाभ पर विचार करता है। प्रति शेयर मूल आमदनी के परिकलन में प्रयुक्त शेयरों की संख्या उस अवधि के दौरान बकार्यों शेयरों की संख्या का औसत है।

प्रति शेयर विलयित आमदनियों के निर्धारण के लिए, इक्विटी शेयरधारकों के प्रति निवल लाभ और इस अवधि के दौरान बकार्यों शेयरों की औसत संख्या को सभी विलयित संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभाव के लिए समायोजित किया जाता है।

2.20 विदेशी मुद्राएं

(i) कार्यात्मक एवं उपयोग की मुद्रा

- वित्तीय विवरणों में शामिल मदों का मापन उस प्राथमिक आर्थिक परिवेश की मुद्रा में किया गया है जिसमें इकाई अपने परिचालन (''कार्यात्मक मुद्रा'') करती है। वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति भारतीय रूपए में की गई है जो कम्पनी की कार्यात्मक एवं उपयोग की मुद्रा भी है।

(ii) संव्यवहार एवं शेष

- विदेशी मुद्रा संव्यवहार कार्यात्मक मुद्रा में रिकार्ड किए गए हैं जिसके लिए संव्यवहार की तिथि के अनुसार कार्यात्मक मुद्रा एवं विदेशी मुद्रा के मध्य की विनिमय दर का उपयोग किया गया है।
- रिपोर्टिंग तिथि को बकाया विदेशी मुद्रा वाली मौद्रिक मदों को कार्यात्मक मुद्रा में क्लोजिंग दर (देयताओं के लिए क्लोजिंग बिक्री दर तथा परिसम्पतियों के लिए क्लोजिंग खरीद दर) पर परिवर्तित किया गया है। विदेशी मुद्रा के मूल्य वर्ग वाली गैर–मौद्रिक मदों का वहन उनकी ऐतिहासिक लागत पर संव्यवहार की तिथि की विनिमय दर पर किया गया है।

- मौद्रिक मदों के समाधान से उत्पन्न विनिमय दर भिन्नताओं, अथवा रिपोर्टिंग तिथि को की गई पुनःप्रस्तुति, के अनुसार उन दर भिन्नताओं पर किया गया है जो प्रारंभ में रिकार्ड की गई थी तथा लाभ एवं हानि विवरण में इनकी स्वीकृति इनकी उत्पति की अवधि में की गई थी। इन विनिमय भिन्नताओं की लाभ एवं हानि में प्रस्तुति निवल आधार पर की गई है।

2.21 उचित मूल्य मापन

(i) कम्पनी द्वारा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वित्तीय उपकरणों का उचित मूल्य पर मापन किया जाता है।

(ii) उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी परिसम्पति को बेचने अथवा किसी देयता को अंतरित करने के लिए दिए जाने के लिए बाजार प्रतिभागियों के साथ मापन की तिथि को प्राप्त होता है। उचित मूल्य मापन ऐसे अनुमान पर आधारित है जो परिसम्पति को बेचने के संव्यवहार अथवा देयता का अंतरण करने के उद्देश्य से या तो :

(क) उत्तम बाजार में परिसम्पतियों अथवा देयताओं के लिए; अथवा

(ख) उत्तम बाजार न होने पर परिसम्पतियों एवं देयताओं के अत्यधिक लाभकारी बाजार में। उत्तम अथवा लाभकारी बाजार कम्पनी की पहुंच के दायरे में होना चाहिए।

(iii) किसी परिसम्पति अथवा देयता के उचित मूल्य का मापन बाजार प्रतिभागियों के ऐसे अनुमानों के अनुसार यह मानकर किया जाता है कि वे इसमें आर्थिक उत्तम हित में बाजार प्रतिभागी क्रिया कर रहे हैं।

(iv) किसी गैर–वित्तीय परिसम्पति के उचित मूल्य का मापन उच्चतर एवं बेहतर उपयोग से परिसम्पति का उपयोग आर्थिक लाभों की उत्पति के संबंध में बाजार प्रतिभागियों की क्षमता को विचार में लेकर अथवा इसकी बिक्री किसी अन्य बाजार कर करके, जो परिसम्पति का उपयोग उच्चतर एवं बेहतर ढंग से कर सकता है, किया जाता है।

(v) कम्पनी द्वारा मूल्यांकन तकनीकी का उपयोग किया जाता है ऐसी परिस्थितियों के लिए उचित हैं तथा जिनके संबंध में वह पर्याप्त डेटा उचित मूल्य के मापन के उद्देश्य से उपलब्ध है, जिनसे सम्बद्ध प्रेक्षण योग्य इनपुट का अधिकतम उपयोग किया जा सकेगा तथा गैर–प्रेक्षण योग्य इनपुट का उपयोग न्यूनतम किया जा सकेगा।

(vi) सभी परिसम्पतियां एवं देयताओं, जिनके संबंध में उचित मूल्य पर मापन अथवा वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण किया गया है, का वर्गीकरण उचित मूल्य की तारतम्यता का अनुसरण करके किया गया है जो न्यूनतम स्तर के इनपुट पर आधारित है तथा पूर्ण रूप से उचित मूल्य पर मापन के लिए महत्वपूर्ण हैं:–

(क) स्तर 1–समान प्रकार की परिसम्पतियों अथवा देयताओं के सक्रिय बाजारों में उद्धृत (गैर–समायोजित) बाजार मूल्य

(ख) स्तर 2–मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए न्यूनतम स्तर के इनपुट हैं जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रेक्षण योग्य उचित मूल्य मापन के लिए उपयोगी हैं।

(ग) स्तर 3– मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए न्यूनतम स्तर के इनपुट हैं जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से गैर–प्रेक्षण योग्य उचित मूल्य मापन के लिए उपयोगी हैं।

(vii) ऐसी परिसम्पतियों एवं देयताओं के संबंध में, जो आवर्ती आधार पर वित्तीय विवरणों में स्वीकृत की गई हैं, कम्पनी द्वारा स्तरों के मध्य के स्तरों पर तारतम्यता में अंतरण किए जाने के निर्धारण (न्यूनतम स्तर इनपुट पर आधारित जो पूर्ण उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण हैं) प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में किए जाते हैं।

(viii) महत्वपूर्ण परिसम्पतियों एवं देयताओं, यदि कोई हों, के लिए बाह्य मूल्यांककों की सेवाएं प्राप्त की जाती हैं। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को कम्पनी द्वारा उन परिसम्पतियों एवं देयताओं के मूल्य के संचलनों का विश्लेषण किया जाता है जिनका मापन अथवा पुनःमापन कम्पनी की लेखांकन नीतियों के अनुसार किया जाना अपेक्षित होता है।

(ix) उचित मूल्य के प्रकटीकरण के लिए कम्पनी द्वारा परिसम्पतियों एवं देयताओं के वर्ग उनकी प्रकृति, विशिष्टताओं एवं परिसम्पति अथवा देयता से जुड़े जोखिमों तथा ऊपर स्पष्ट की गई तारतम्यता के अनुसार उचित मूल्य के स्तर के आधार पर किए जाते हैं।

(x) ऊपर उचित मूल्य के लिए लेखांकन नीतियों का संक्षेप प्रस्तुत किया गया है। उचित मूल्य से संबंधित अन्य प्रकटीकरण सम्बद्ध नोटों में किए गए हैं।

2.22 शेयरधारकों को लाभांश

कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों को वार्षिक लाभांश के संवितरण को उस अवधि के लिए देयता के रूप में स्वीकार किया जाता है जिस अवधि में लाभांश को स्वीकृति प्रदान की गई है। किसी अंतरिम लाभांश को निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत अनुसार देयता के रूप में स्वीकार किया जाता है। देय लाभांश और लाभांश संवितरण कर को प्रत्यक्ष रूप से इक्विटी के रूप में स्वीकार किया जाता है।

2.23 वित्तीय उपकरण

- वित्तीय उपकरण अनुबंध होते हैं जो किसी इकाई की वित्तीय परिसम्पति तथा किसी अन्य इकाई के किसी दायित्व अथवा वित्तीय उपकरण के संव्यवहार के लिए किए जाते हैं।

i) वित्तीय परिसम्पतियां

(क) <u>प्रारंभिक स्वीकृति एवं मापन</u>

- वित्तीय परिसम्पतियों को उचित मूल्य जमा या घटा संव्यवहार लागतों पर स्वीकृत किया जाता है जो प्रत्यक्ष रूप से वित्तीय परिसम्पतियों (लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापण की गई परिसम्पतियों के अलावा) के अधिग्रहण या जारी करने से संबंधित हैं। वित्तीय परिसम्पतियों अथवा वित्तीय देयताओं से प्रत्यक्ष सम्बद्ध संव्यवहार लागतों को उनके उचित मूल्य पर लाभ एवं हानि के माध्यम से तुरंत लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृति दी जाती है।

(ख) <u>अनुवर्ती मापन</u>

- अनुवर्ती मापन के उद्देश्य वित्तीय परिसम्पतियों को चार वर्गों में वर्गीकृत किया गया है:

क. <u>परिशोधन लागत पर नामे उपकरण</u>

- निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होने पर ऋण उपकरण का मापन परिशोधित लागत पर किया जाता हैं:

क) परिसंपत्ति व्यवसाय मॉडल के अनुसार ही धारित है जिसे परिसंपत्ति से संविदागत

रोकड़ प्रवाह एकत्रित करने के उद्देश्य से धारित किया गया है और

ख) परिसंपत्ति की संविदागत शर्तें रोकड़ प्रवाह के लिए विशिष्ट तिथियों को निर्धारित करती हैं जो विशिष्ट रूप से बकार्यों मूल राशि पर मूल और ब्याज का भुगतान है।

- ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन प्रभावी ब्याज दर विधि घटा हानि, यदि कोई हो, का प्रयोग करके परिशोधित लागत पर किया जाता है। ईआईआर परिशोधन को लाभ और हानि विवरण में वित्तीय आय में शामिल किया गया है। क्षमता हानि से उत्पन्न होने वाली हानियों को लाभ अथवा हानि में स्वीकृति दी जाती है। यह वर्ग सामान्यत व्यापार एवं अन्य प्राप्यों के लिए उपयोग में लाया जाता है।

ख. अन्य वृहत आय के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण उपकरण (एफवीटीओसीआई)

- निम्नलिखित दोनों मापदंड पूरे होने पर ऋण उपकरण का वर्गीकरण अन्य वृहत आय के माध्यम से उचित मूल्य पर किया जाता है :

  क. व्यवसाय मॉडल का उद्देश्य संविदागत रोकड़ प्रवाहों को एकत्रित करके तथा वित्तीय परिसंपत्तियों के बेचकर दोनों माध्यमों द्वारा प्राप्त किया जाता है, और

  ख. परिसंपत्ति की संविदागत शर्तें रोकड़ प्रवाह विशिष्ट रूप से मूल और ब्याज के भुगतान (एसपीपीआई) को प्रस्तुत करती हैं।

- एफवीटीओसीआई श्रेणी के शामिल ऋण उपकरणों को उचित मूल्य पर आरंभिक स्तर पर तथा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मापा जाता है। उचित मूल्य संचलनों को अन्य वृहत आय (ओसीआई) में स्वीकार किया जाता है। तथापि, लाभ और हानि विवरण में कंपनी ब्याज आय, परिशोधित हानियों और प्रतिक्रमों तथा विदेशी विनिमय लाभ या हानि को स्वीकार करती है। परिसंपत्तियों को गैर–स्वीकार करने पर ओसीआई में पूर्व में स्वीकृत संचित लाभ या हानि को लाभ और हानि विवरण में इक्विटी से पुनःवर्गीकृत किया जाता है। अर्जित ब्याज को ईआईआर विधि का प्रयोग करते हुए स्वीकार किया जाता है।

ग. लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) पर ऋण उपकरण

- एफवीटीपीएलप ऋण माध्यमों के लिए अवशिष्ट श्रेणी है। कोई भी ऋण माध्यम, जो परिशोधित लागत या एफवी ओसीआई के रूप में श्रेणीकरण के मापदंड को पूरा नहीं करता है, को एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

- एफवीटीपीएल के वर्ग में शामिल ऋण उपकरणों का मापन लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर किया गया है।

ध. <u>इक्विटी उपकरण</u>

- इंड एएस 109 के कार्य क्षेत्र में इक्विटी निवेश का मापन उचित मूल्य पर किया जाता है। जो इक्विटी उपकरणएफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत व्यापार के लिए धारित किए गए हैं। अन्य सभी उपकरणों के लिए कम्पनी द्वारा उचित मूल्य पर अनुवर्ती परिवर्तन पर अन्य व्यापक आय में प्रस्तुत करने का अशोध्य चयन किया गया है। कम्पनी द्वारा ऐसे चयन उपकरण – वार आधार पर किए जाते हैं। ऐसे वर्गीकरण प्रारंभिक स्वीकृति पर किए जाते हैं तथा ये अशोध्य होते हैं।

- यदि कम्पनी किसी इक्विटी उपकरण का वर्गीकरण एफवीटीओसीआई के रूप में करने का निर्णय लेते है तो लाभांशों के अलावा उपकरण के सभी उचित मूल्य परिवर्तनों की स्वीकृति अन्य व्यापक आय में की जाती है। निवेश की बिक्री के पश्चात भी अन्य व्यापक आय में से राशियों का पुनःचक्रण लाभ एवं हानि विवरण में नहीं किया जाता है। तथापि, कम्पनी इक्विटी में संचित लाभ एवं हानि का अंतरण कर सकती है।

- एफवीटीपीएल वर्ग में शामिल इक्विटी उपकरणों का मापन उनके उचित मूल्य पर लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत सभी परिवर्तनों के साथ किया जाता है।

ड. <u>वित्तीय परिसम्पतियों की अक्षमता</u>

ईसीएल उन सभी संविदागत नकद प्रवाहों के मध्य का अंतर है जो कम्पनी संविदा के अंतर्गत देय हैं तथा जो ऐसे नकद प्रवाहों से संबंधित हैं जिनकी प्राप्ति की प्रत्याशा इकाई (अर्थात सभी नकद न्यूनताएं), तथा जो मूल ईआईआर पर न्यून किए गए हैं।

इंड एएस 109 के अनुसरण में कम्पनी द्वारा निम्नलिखित वित्तीय परिसम्पतियों एवं क्रेडिट ऋण जोखिमों से संबंधित प्रत्याशित क्रेडिट हानि (ईसीएल) मॉडल को मापन एवं अक्षमता हानि में स्वीकृति के लिए उपयोग किया गया हैः

क. वित्तीय परिसम्पतियां जो ऋण उपकरण हैं तथा जिनका मापन परिशोधन लागत अर्थात ऋण, डेब्ट सिक्योरिटियों, जमा, व्यापार प्राप्यों एवं बैंक शेष के लिए किया गया है।

ख. वित्तीय परिसम्पतियां जो ऋण उपकरण हैं तथा एफवीटीओसीआई पर मापन की गई हैं।

ग. इंड एएस 116 के अंतर्गत पट्टा प्राप्य

घ. व्यापार प्राप्य अथवा अन्य संविदागत अधिकार के अंतर्गत प्राप्त नकदी अथवा अन्य वित्तीय परिसम्पति जो ऐसे संव्यवहार से प्राप्त हो जो इंड एएस 115 के दायरे में है।

ङ. ऋण प्रतिबद्धताएं जिनका मापन एफवीटीपीएल के अनुसार नहीं किया गया है।

च. वित्तीय गारंटी अनुबंध जिनका मापन एफवीटीपीएल के अनुसार नहीं किया गया है।

- कम्पनी द्वारा निम्नलिखित के संबंध में अक्षमता हानि भत्ते की स्वीकृति के लिए ''सरल एप्रोच' का अनुसरण किया गया हैः

  क. व्यापार प्राप्यों अथवा अनुबंध राजस्व प्राप्यों; तथा

  ख. सभी ऐसे पट्टा प्राप्यों जिनके संव्यवहार इंड एएस 116 के दायरे में हैं।

- सरल एप्रोच की उपयोज्यता के लिए कम्पनी को क्रेडिट जोखिम में ट्रैक परिवर्तन नहीं करने होते हैं। इसके स्थान पर प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को लाइफटाइम ईसीएल पर आधारित क्षमता हानि भत्तों का उपयोग प्रारंभिक स्वीकृति की तिथि से किया जाता है।

- वित्तीय परिसम्पतियों एवं ऋण जोखिम पर क्षमता हानि के संज्ञान के लिए कम्पनी यह निर्धारण करती है कि क्या प्रारंभिक स्वीकृति के पश्चात से क्रेडिट जोखिम में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है अथवा नहीं हुई है। यदि क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है तो 12 माह की ईसीएल का उपयोग क्षमता हानि के प्रावधान के लिए किया जाता है। तथापि, यदि क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि होने पर लाइफटाइफ ईसीएल का उपयोग किया जाता है। यदि किसी अनुवर्ती अवधि में उपकरण की क्रेडिट गुणवत्ता में सुधार आता है तथा प्रारंभिक संज्ञान के पश्चात से क्रेडिट जोखिम में कोई महत्वपूर्ण बढ़त नहीं होती है तो इकाई द्वारा 12 माह की ईसीएल पर आधारित क्षमता ानि भत्ते को समाप्त कर दिया जाता है।

- लाइफटाइम ईसीएल वे प्रत्याशित क्रेडिट हानियां हैं जो वित्तीय परिसम्पति के संभावित उपयोज्यता काल में संभव चूक घटनाओं के कारण उत्पन्न होती हैं। 12 माह ईसीएल

लाइफटाइम ईसीएल का वह भाग है जो रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात 12 माह के दौरान संभावित चूक घटनाओं से उत्पन्न हुए हैं।

- ईसीएल क्षमता हानि भत्ता (अथवा रिवर्सल) की स्वीकृति आय/व्यय के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है। इस राशि की प्रस्तुति ''अन्य व्यय'' शीर्ष के अंतर्गत लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है। विभिन्न वित्तीय उपकरणों के अंतर्गत तुलन पत्र की प्रस्तुति का वर्णन नीचे किया गया हैः–

- परिशोधित लागत पर मापन की गई वित्तीय परिसम्पतियां, संविदागत राजस्व प्राप्य एवं पट्टा प्राप्यः ईसीएल की प्रस्तुति एक भत्ते के रूप में अर्थात तुलन पत्र में ऐसी परिसम्पतियों के मापन के अभिन्न भाग के रूप में की जाती है। निवल वहन राशि में से भत्ता घटा दिया जाता है। परिसम्पति द्वारा बट्टा मापदंड पूरे न किए जाने तक कम्पनी सकल वहन राशि में से क्षमता हानि भत्ते को कम नहीं करती है।
- ऋण प्रतिबद्धताएं एवं वित्तीय गारंटी संविदा : ईसीएल की प्रस्तुति तुलन पत्र में एक प्रावधान अर्थात एक दायित्व के रूप में की गई है।
- ऋण उपकरण का मापन एफवीटीओसीआई के अनुसार : ऋण उपकरणों का मापन एफवीओसीआई के अनुसार किया गया है, संभावित क्रेडिट हानियों से तुलन पत्र में वहन राशि कम नहीं हुई है जिससे यह उचित मूल्य पर होती है। परिसम्पति का मापन अन्य व्यापक आय में स्वीकृत परिशोधन लागत पर ''संचित परिशोधन राशि'' के रूप में करने की स्थिति में इसके स्थान पर भत्ते के समतुल्य एक राशि उत्पन्न होगी।
- कम्पनी द्वारा क्षीण क्रेडिट वाली वित्तीय परिसम्पतियों (पीओसीआई), अर्थात ऐसी परिसम्पतियां जिनका क्रेडिट क्रय / व्युत्पति पर क्षीण है, का क्रय अथवा व्युत्पति नहीं की गई है।

च. वित्तीय परिसम्पतियों की स्वीकृति समाप्ति

(क) किसी वित्तीय परिसम्पति (अथवा जहां लागू हो वित्तीय परिसम्पतियों का भाग अथवा समान प्रकार की वित्तीय परिसम्पतियों के समूह का भाग) की स्वीकृति तब समाप्त की जाती है जब वित्तीय परिसम्पतियों से प्राप्त होने वाले रोकड़ प्रवाहों के संविदागत

अधिकार समाप्त हो जाते हैं अथवा जब वित्तीय परिसम्पतियां एवं अन्य सभी महत्वपूर्ण जोखिम एवं प्रतिफल अंतरित कर दिए जाते हैं।

(ख) वहन राशि एवं प्रतिफल के रूप में प्राप्त/प्राप्य राशि के मध्य के अंतर को लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृति दी जाती है।

ii) वित्तीय देयताएं

(क) प्रारंभिक स्वीकृति एवं मापन

- सभी वित्तीय देयताओं की स्वीकृति प्रारंभ में उचित मूल्य पर, तथा ऋण एवं उधार तथा देयताओं के मामले में संव्यवहार लागतों से प्रत्यक्ष सम्बद्ध निवल के अनुसार की जाती है।

- कम्पनी की वित्तीय देयतों में व्यापार एवं अन्य देयताएं,ऋण एवं उधार, अन्य वित्तीय देयताएं इत्यादि शामिल हैं।

(ख) अनुवर्ती मापन

- वित्तीय देयताओं का मापन नीचे प्रस्तुत विवरण के अनुसार उनके वर्गीकरण पर निर्भर है:

(क) लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएं

कम्पनी के पास एफवीटीपीएल के अंतर्गत किसी प्रकार की वित्तीय देयताएं नहीं हैं।

(ख) परिशोधन लागत पर वित्तीय देयताएं

क. ऋण, उधार, व्यापार देय एवं अन्य वित्तीय देयताएं

- प्रारंभिक स्वीकृति के पश्चात ऋण, उधार, व्यापार देय एवं अन्य वित्तीय देयताओं का अनुवर्ती मापन ईआईआर विधि के उपयोग से परिशोधन लागत पर किया जाता है। लाभ एवं हानियों को लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृति तब प्रदान की जाती है जब ईआईआर परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम देयताओं की स्वीकृति समाप्त कर दी जाती है। परिशोधन लागत का आकलन किसी प्रकार की छूट अथवा अधिग्रहण प्रीमियम तथा शुल्क अथवा लागतों, जो ईआईआर का अभिन्न अंग हैं, को लेखे में लेकर किया जाता

है। ईआईआर परिशोधन में लाभ एवं हानि विवरण की वित्त लागतों को शामिल किया जाता है।

ख. वित्तीय देयताओं की स्वीकृति समाप्ति

- किसी वित्तीय देयता की स्वीकृति तब समाप्त होती है जब देयता के दायित्व पूरे कर लिए जाते हैं अथवा रद्द हो जाते हैं अथवा कालातीत हो जाते हैं। जब कोई विद्यमान वित्तीय देयता के स्थान पर समान ऋणदाता से महत्वपूर्ण भिन्न शर्तों पर अथवा विद्यमान देयताओं की शर्तों की संशोधित शर्तों पर कोई बदलाव किया जाता है तो ऐसे विनिमय अथवा सुधार को मूल देयता की स्वीकृति समाप्ति मानकर नई देयता के प्रति स्वीकृति की जाती है। सम्बद्ध वहन राशियों की भिन्नताओं को लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत किया जाता है।

iii) वित्तीय गारंटी संविदाएं

कंपनी द्वारा जारी वित्तीय गारंटी संविदाएं वे संविदाएं हैं जिनमें कंपनी को ऋण माध्यम की शर्तों के अनुसार देय होने पर विशिष्ट ऋणदाता द्वारा भुगतान करने में विफल रहने की स्थिति में धारक को हुए घाटे की प्रतिपूर्ति किए जाने के लिए भुगतान की अपेक्षा होती है। वित्तीय गारंटी संविदाओं को आरंभिक तौर पर लागतों के संव्यवहारों के लिए समायोजित उचित मूल्य पर देयता के रूप में स्वीकार किया जाता है, को प्रत्यक्ष रूप से गारंटी के जारी किए जाने से संबंधित है। तत्पश्चात, देयता को इंड एएस 109 की हानि अपेक्षाओं के अनुसार निर्धारित घाटा भत्ते के राशि तथा स्वीकृत राशि घटा संचित परिशोधन, जो कोई भी अधिक हो, पर मापा जाता है।

iv) वित्तीय परिसम्पतियों का पुनःवर्गीकरण

कम्पनी वित्तीय परिसम्पतियों एवं देयताओं का वर्गीकरण प्रारंभिक स्वीकृति के समय निर्धारित करती है। प्रारंभिक स्वीकृति के पश्चात उन वित्तीय परिसम्पतियों का पुनःवर्गीकरण नहीं किया जाता है जो इक्विटी उपकरण अथवा वित्तीय देयता होते हैं। ऋण उपकरणों की वित्तीय परिसम्पतियों के एि पुनःवर्गीकरण तभी किया जाता है जब ऐसी परिसम्पतियों के प्रबंधन के व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन हुआ हो। व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन की संभावना कभी कभार होती है। व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन तब होता है जब कम्पनी या किसी ऐसे क्रियाकलाप का

निष्पादन करना प्रारंभ करती है अथवा समाप्त करती है जो उसके परिचालनों के लिए महत्वपूर्ण है। यदि कम्पनी वित्तीय परिसम्पतियों का वर्गीकरण करती है तो ऐसा पुनःवर्गीकरण उत्तरव्यापी प्रभाव से अगली रिपोर्टिंग अवधि के तत्काल निकट अगले दिन से व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन करके किया जाता है। कम्पनी स्वीकृत लाभों, हानियों (क्षमता लाभ अथवा हानियों सहित) अथवा ब्याज की पुनः प्रस्तुति नहीं करती है।

iv) वित्तीय माध्यमों की ऑफसेटिंग

स्वीकृत राशियों का समंजन करने के संबंध में चालू प्रवर्तनीय संविदागत विधिक अधिकार होने तथा परिसम्पतियों से प्राप्ति एवं साथ ही साथ देयताओं का निपटान निवल आधार पर करने की मंशा होने की स्थिति में वित्तीय परिसम्पतियों एवं वित्तीय देयताओं, एवं तुलन पत्र में सूचित की गई राशियों का समंजन किया जाएगा।

2.24 बिक्री के लिए धारित गैर–चालू परिसम्पतियां

(क) जब किसी परिसम्पति का धारण उसकी वहन लागत की वसूली मूलतः बिक्री संव्यवहार के लिए किया जाता है तथा बिक्री संव्यवहार की संभावना काफी विश्वसनीय होती है तो गैर–चालू परिसम्पतियां (अथवा निपटान समूह) का वर्गीकरण बिक्री के लिए धारित परिसम्पतियों के रूप में किया जाता है। किसी बिक्री को काफी विश्वसनीय तब माना जाता है जब परिसम्पति अथवा निपटान समूह अपनी वर्तमान स्थिति में बिक्री के लिए उपलबध हो तथा बिक्री न होने की संभावना न हो एवं बिक्री की प्रकिया वर्गीकरण किए जाने से एक वर्ष में की जानी संभावित हो। बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत निपटान समूहों को उल्लिखित वहन राशि से कम मूल्य पर तथा बिक्री की लागतों को घटाकर उचित मूल्य किया जाता है। बिक्री के धारित का वर्गीकरण करने के पश्चात सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण, निवेश सम्पति एवं अमूर्त परिसम्पतियों का मूल्यह्रास अथवा परिशोधन नहीं किया जाता है। बिक्री / वितरण के वर्गीकृत के साथ धारित परिसम्पतियों की प्रस्तुति तुलन पत्र में अलग से की जाती है।

(ख) यदि इंड एएस 105 ''बिक्री के लिए धारित गैर–चालू परिसम्पतियां'' के उल्लिखित मापदंडों को पूरा नहीं किया जाता है तो बिक्री के लिए धारित निपटान समूहों का वर्गीकरण समाप्त कर दिया जाता है। वर्गीकरण समाप्त की गई बिक्री के लिए धारित गैर–चालू परिसम्पतियों का मापन

(1) बिक्री के लिए धारित गैर–चालू परिसम्पति के रूप में वर्गीकरण से पूर्व उसकी वहन राशि, मूल्यह्रास के समायोजन के पश्चात जो तब किया जाता जब बिक्री के धारित परिसम्पति का वर्गीकरण न होगा, तथा

(2) उस तिथि की उसकी वसूली योग्य राशि जब निपटान समूह का वर्गीकरण बिक्री के धारित के लिए समाप्त किया गया था, से न्यून किया जाता है।

मूल्यह्रास रिर्वसल समायोजन से संबंधित सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण, निवेश परिसम्पति तथा अमूर्त परिसम्पतियों को उस अवधि के लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता जिस अवधि में गैर–चालू परिसम्पतियों का धारण बिक्री के लिए किए जाने के मापदंड पूरे नहीं हो पाते हैं।

2.25 पूर्वावधि समायोजन

चालू वर्ष में पूर्वावधि से संबद्ध चूक / अकरण पाई जाने पर यदि प्रत्येक एवं अकरण का औसत कम्पनी के पिछले लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार कुल परिचालन राजस्व के 0.50 प्रतिशत से अधिक नहीं होता है तो उसका उपचार सारहीन रूप से किया जाता है तथा उसका समायोजन चालू वर्ष में किया जाता है।

2.26 महत्वपूर्ण लेखांकन अनुमान एवं निर्धारण

- उक्त वित्तीय विवरणों के निर्माण के लिए उपयोग में लाए गए अनुमानों का अनवरत मूल्यांकन कम्पनी द्वारा किया जाता है तथा ये ऐतिहासिक अनुभव एवं विभिन्न अन्य अनुमानों एवं कारकों (भावी घटनाओं की संभावनाओं सहित), जिनके प्रति कम्पनी का विश्वास विद्यमान परिस्थितियों के कारण औचित्यपरक रूप से है, पर आधारित होते हैं।

- ऐसे अनुमान ऐसे तथ्यों एवं घटनाओं पर आधारित होते हैं जो रिपोर्टिंग तिथि को विद्यमान हैं अथवा जिनका आस्तित्व इस तिथि के पश्चात हुआ है परन्तु विद्यमान स्थितियों के अनुसार रिपोर्टिंग तिथि को इनका आस्तित्व होने के अतिरिक्त प्रमाण उपलब्ध हैं। तथापि, कम्पनी द्वारा ऐसे अनुमानों, वास्तविक परिणामों का नियमित मूल्यांकन किया जाता है परन्तु ऐसे अनुमान आंके जाने के समय औचित्यपरक होते हुए इनके वास्तविक परिणाम सामग्रीगत रूप से भिन्न हो सकते हैं तथा ऐसे परिणाम ऐतिहासिक अनुभव अथवा अनुमानों से भिन्न होने पर भी पूरी तरह से सटीक नहीं होते

हैं। अनुमानों में होने वाले परिवर्तनों की स्वीकृति उस अवधि के वित्तीय विवरणों में की जाती है जिस अवधि में ये ज्ञात होते हैं।

- रिपोर्टिंग तिथि को भावी एवं अन्य प्रमुख स्रोतों के अनुमानों की अनिश्चितता से संबंधित प्रमुख अनुमान, जिनमें अगले वित्तीय वर्ष में परिसम्पतियों एवं देयताओं की वहन राशियों में सामग्रीगत समायोजन की उत्पति का महत्वपूर्ण जोखिम व्याप्त है, का वर्णन नीचे किया गया है। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

(i) संग्रहित न किए गए व्यापार प्राप्यों के लिए प्रावधान

- व्यापार प्राप्यों के साथ ब्याज नहीं होता है तथा इनकी प्रस्तुत उनके सामान्य मूल्यों पर अनुमानित वसूलीयोग्य राशि पर छूट करके प्रदान की जाती है जो प्राप्य शेष एवं ऐतिहासिक अनुभवों पर आधारित होती है। व्यापार प्राप्यों का अलग अलग बट्टा तब किया जाता है जब प्रबंधन को उनकी वसूली संभव प्रतीत नहीं होती है।

(ii) आकस्मिताएं

- कम्पनी के प्रति व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के दौरान आकस्मिक देयताओं की उत्पति न्यायिक मामलों एवं अन्य दावों के परिणामस्वरूप होती है। ये ऐसे दायित्व होते हैं जिनके संबंध में प्रबंधन सभी उपलब्ध तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर संबंधित भुगतान अथवा कठिनाई के परिमाण के अनुमान विश्वसनीयता से नहीं आंक सकती है तथा ऐसे दायित्वों को आकस्मिक दायित्व मानकर इनका प्रकटीकरण नोटों में किया गया है। इस प्रकार, कम्पनी के फसाव वाली विधिक प्रक्रियाओं के अंतिम प्रतिफल का ऐसा कोई निश्चित प्रमाण नहीं है जिससे आकस्मिकताओं का सामग्रीगत प्रभाव का कम्पनी की वित्तीय स्थिति पर होने के विश्वसनीय अनुमान लगाए जा सके।

(iii) वित्तीय परिसम्पतियों की अक्षमता

- वित्तीय परिसम्पतियों के लिए अक्षमता प्रावधान चूक जोखिमों एवं संभावित हानि दरों के अनुमानों पर आधारित होते हैं। कम्पनी अपने विवेक का उपयोग करके ऐसे अनुमान लगाकर अक्षमता इनपुट का आकलन करती है जो कम्पनी के पूर्व इतिहास, बाजार स्थितियों के आधार एवं प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लगाए जाने वाले वाले भावी अनुमानों पर आधारित होते हैं।

(iv) कर

- जटिल कर विनियमों की व्याख्या, कर विधियों में बदलाव एवं राशि एवं भावी करयोग्य आय के संबंध में अनिश्चितताएं व्याप्त होती हैं। व्यापार के स्वरूप के कारण वास्तविक परिणाम एवं लगाए गए अनुमानों अथवा ऐसे अनुमानों में भावी परिवर्तनों से होने वाली भिन्नताओं के कारण पहले से रिकार्ड की गई कर आय एवं व्यय में भविष्य में समायोजन करने पड़ सकते हैं। कम्पनी द्वारा ऐसे औचित्यपरक अनुमानों के आधार पर प्रावधान स्थापित किए गए हैं। ऐसे प्रावधानों की राशि पूर्व कर लेखापरीक्षा के अनुभव एवं करयोग्य इकाईयों द्वारा की गई कर की भिन्नताओं की व्याख्या जैसे विभिन्न कारकों पर आधारित होती है। व्याख्या में भिन्नता के कारण कम्पनी के कार्यक्षेत्र में व्याप्त परिस्थितियों से विभिन्न प्रकार के अनेक मामले उत्पन्न हो सकते हैं।

- आस्थगित कर परिसम्पतियों की स्वीकृति अप्रयुक्त कर हानियों के लिए उस विस्तार तक की जाती है जहां तक ऐसी विश्वसनीयता हो कि इससे करयोग्य लाभ प्राप्त होंगे जिनके प्रति हानियों का उपयोग किया जा सकेगा। आस्थगित कर परिसम्पतियों की राशि के स्वीकृति योग्य निर्धारण करने के लिए महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय की आवश्यकता होती है जो समय की अनुकूलता एवं भावी करयोग्य लाभ के स्तर के साथ साथ भावी कर योजना रणनीतियों पर आधारित होते हैं।

(v) गैर–वित्तीय परिसम्पतियों की अक्षमता

- अक्षमता तब उत्पन्न होती है जब किसी परिसम्पति रोकड़ उत्पति यूनिट का वहन मूल्य उसकी वसूलीयोग्य राशि से अधिक हो जाता है तथा जो उसकी निपटान लागतों एवं उपयोग मूल्य को घटाकर उचित मूल्य से अधिक होता है। उचित मूल्य घटाकर निपटान लागत के आकलन आर्म लैंथ पर किए गए बाध्यकारी बिक्री संव्यवहारों से उपलब्ध डेटा पर आधारित होते हैं जो परिसम्पति के निपटान की आवर्धित लागतों को घटाकर समान प्रकार की परिसम्पतियों अथवा प्रत्यक्ष बाजार मूल्यों के अनुसार होते हैं। उपयोग मूल्य का आकलन डीसीएफ मॉडल पर आधारित होता है।

(vi) बिक्री के लिए धारित गैर–चालू परिसम्पतियां

- जब किसी परिसम्पति का धारण उसकी वहन लागत की वसूली मूलतः बिक्री संव्यवहार के लिए किया जाता है तथा बिक्री संव्यवहार की संभावना काफी विश्वसनीय होती है तो गैर–चालू परिसम्पतियां (अथवा निपटान समूह) का वर्गीकरण बिक्री के लिए धारित परिसम्पतियों के रूप में किया जाता है। किसी बिक्री को काफी विश्वसनीय तब माना जाता है जब परिसम्पति अथवा निपटान समूह अपनी वर्तमान स्थिति में बिक्री के लिए उपलबध हो तथा बिक्री न होने की संभावना न हो एवं बिक्री की प्रक्रिया वर्गीकरण किए जाने से एक वर्ष में की जानी संभावित हो।

(vii) पट्टे – आवर्धित ऋण दर के अनुमान

- कम्पनी पट्टे की अंतर्निहित ब्याज दरों का निर्धारत तत्परता से नहीं कर सकती है, तदनुसार, कम्पनी द्वारा अपनी पट्टा देयताओं के मापन के लिए अपनी आवर्धित ऋण दर (आईबीआर) का उपयोग किया जाता है। आवर्धित ऋण दर वह ब्याज दर है जो कम्पनी को समान प्रकार की शर्तों पर, समान प्रकार की सुरक्षा के साथ, समान मूल्य पर परिसम्पति की प्राप्ति के लिए आवश्यक निधियों की प्राप्ति पर समान आर्थिक परिवेश में उपयोग अधिकार वाली परिसम्पति के लिए आवश्यक ऋण के प्रति भुगतान के लिए करने होते हैं।

(viii) नवीकरण एवं समापन विकल्प के साथ पट्टे के अनुबंध काल का निर्धारण–पट्टेदार के रूप में कम्पनी

- कम्पनी पट्टा काल का निर्धारण पट्टे को रद्द न किए जाने की शर्त के साथ करती है जिसमें पट्टे की किन्हीं अवधियों को विस्तारित करने, यदि इसका उपयोग करने की औचित्यपरक निश्चितता हो, अथवा पट्टे का समापन करने के विकल्प के साथ शामिल अवधियों, यदि इसका उपयोग न करने की औचित्यपरक निश्चितता हो, का समावेश होता है।

- कम्पनी द्वारा ऐसे पट्टा अनुबंध किए गए हैं जिनमें विस्तार एवं समापन के विकल्प हैं। कम्पनी अपने विवेक से यह ज्ञात करती है कि क्या किसी पट्टे का नवीकरण करने अथवा उसका समापन करने के विकल्प के उपयोग के प्रति किसी प्रकार के औचित्यपरक कारक हैं अथवा नहीं हैं। इस प्रकार के सभी सम्बद्ध कारकों पर विचार से

कम्पनी के सम्मुख नवीकरण करने अथवा समापन करने के विकल्प के उपयोग का आर्थिक कारण प्रस्तुत हो जाता है। प्रारंभ तिथि के पश्चात कम्पनी पट्टा काल का मूल्यांकन करके यह ज्ञात करती है कि क्या परिस्थितियों में किसी प्रकार की ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं अथवा बदलाव हुए हैं जो उसके नियंत्रण में हैं तथा जिनके प्रभाव से कम्पनी को नवीकरण अथवा समापन करने के विकल्प का उपयोग करना पड़ सकता है अथवा नहीं करना पड़ सकता है (अर्थात महत्वपूर्ण पट्टाधारित सुधार अथवा पट्टाधारित परिसम्पतियों में महत्वपूर्ण बदलाव)।

(ix) राजस्व स्वीकृति

- कम्पनी की एक राजस्व मान्यता नीति है, जो 2.10 पर उपलब्ध है, जिसके उपयोग से कम्पनी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में निर्वाह किए गए कार्यों का मूल्यांकन करके प्रभाव ज्ञात करती है।

- इन नीतियों में किए गए अनुबंधों के प्रतिफल से संबंधित पूर्वानुमान किए जाने की अपेक्षा की गई है जिसके लिए कार्यक्षेत्र एवं दावों तथा भिन्नताओं के संबंध मूल्यांकन एवं निर्णय लिए जाने अपेक्षित होते हैं।

- अनेक ऐसी दीर्घकालिक एवं जटिल परियोजनाएं हैं जिनके लिए कम्पनी द्वारा अनुबंध पात्रताओं के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय निर्धारण किए गए हैं। इनके संभावित प्रतिफलों के परिणाम से इनकी लाभप्रदत्ता एवं नकदी प्रवाह में होने वाले सामग्रीगत सकारात्मक अथवा नकारात्मक परिवर्तन हो सकते हैं।

  अनुबंध के नीचे उल्लिखित कारकों के संबंध में भी अनुमान लगाए जाने अपेक्षित होते हैं।

- कार्य की पूर्णता के चरण का निर्धारण
- परियोजना पूर्ण होने की तिथि के अनुमान
- संभावित हानियों के लिए प्रावधान
- दावों एवं भिन्नताओं सहित कार्य निष्पादन के लिए कुल राजस्व एवं कुल अनुमानित लागतों के अनुमान

- इनकी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को समीक्षा की जाती है और चालू सर्वोत्तम अनुमानों को प्रदर्शित करने के लिए समायोजित किया जाता है।

अनुबंध से संबंधित लागतों एवं राजस्व का संज्ञान अनुबंध क्रियाकलापों की पूर्ति के चरण के अनुसार रिपोर्टिंग अवधि के अंत में किया जाता है जो अनुमानित कुल अनुबंध लागतों की संबंधित तिथियों तक निष्पादित किया गया है जो कि इसकी पूर्णता का चरण नहीं माना जाना है। अनुबंध कार्य की भिन्नताओं तथा दावों को इस विस्तार तक शामिल किया जाता है जिससे इसकी राशियों से मापन विश्वसनीयता के साथ किया जा सके तथा उनकी प्राप्ति की पूर्ण संभावना हो। जब अनुबंध लागतें कुल अनुबंध राजस्व से अधिक होने की संभावना होती है तो तत्काल संभावित हानि की स्वीकृति व्यय के रूप में की जाती है।

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (सीआईएन - U45400DL2014GOI272220)

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणों के नोट

3 परिसंपत्ति , संयंत्र और उपकरण

(रूपए करोड में)

विवरण	**कंप्युटर**	**कार्यालय उपकरण**	**फर्नीचर व फिक्सचर**	**वाहन**	**कुल**
क) सकल वहन राशि (लागत पर)					
31 मार्च 2019 को	**0.01**	**0.02**	**-**	**-**	**0.03**
संवर्धन	0.04	0.08	-	-	0.12
निपटान/समायोजन	-	-	-	-	-
31 मार्च 2020 को	**0.05**	**0.10**	**-**	**-**	**0.15**
संवर्धन	0.00	0.13	0.01	-	0.14
निपटान/समायोजन	-	-	-	-	-
31 मार्च 2021 को	**0.05**	**0.23**	**0.01**	**-**	**0.29**
ख) मूल्यह्रास एवं हानि					
31 मार्च 2019 को	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
वर्ष के लिए प्रभारित मूल्यह्रास	0.01	0.01	-	-	0.02
हानि	-	-	-	-	-
31 मार्च 2020 को	**0.01**	**0.01**	**-**	**-**	**0.02**
वर्ष के लिए प्रभारित मूल्यह्रास	0.01	0.01	-	-	0.02
31 मार्च 2021 को	**0.02**	**0.02**	**-**	**-**	**0.04**
ग) निवल बही मूल्य					
31 मार्च 2021 को	**0.03**	**0.21**	**0.01**	**-**	**0.25**
31 मार्च 2020 को	**0.04**	**0.09**	**-**	**-**	**0.13**

फंटनोट

i) लाभ और हानि विवरण के नामे वर्ष के लिए परिसंपत्ति , संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास और परिशोधन

विवरण		**31 मार्च 2021 को**	**31 मार्च 2021 को**
मूर्त परिसंतियों पर हानि		0.02	0.01
हांने घाटा		-	-
कुल		**0.02**	**0.01**

ii) कंपनी की लेखा नीतियों के अनुसार, "इस अवधि के दौरान पहचान के लिए 1 रुपये को टोकन मूल्य के रूप में रखते हुए अर्जित संपत्ति संयंत्र और उपकरण, व्यक्तिगत रूप से रु. 5000/ - तक की लागत को पूरी तरह से मूल्यह्रास किया जाता है, " वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, कुछ निश्चित संपत्तियों को कंपनी द्वारा अधिग्रहित किया गया है और 1 रुपये मूल्य पर पूंजीकृत किया गया है। इन संपत्तियों को पूरी तरह से मूल्यह्रास नहीं किया गया है और पहचान उद्देश्योंके लिए 1 रुपये पर ले जाया गया है।

-

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (सीआईएन - U45400DL2014GOI272220)
31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणों के नोट

4 अमूर्त परिसंपत्तियां

विवरण	विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां (संदर्भ नोट 23) (रूपए करोड़ में)	अमूर्त परिसंपत्ति (टोल रोड)(संदर्भ नोट 23) (रूपए करोड़ में)	अन्य अमूर्त (साफ्टवेयर) (रूपए करोड़ में)
सकल ब्लॉक			
1 अप्रैल 2019 को अंतिम शेष	**4.89**	**520.76**	-
वर्ष के दौरान संवर्धन	25.20	-	-
वर्ष के दौरान पूंजीकरण	-	-	-
वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन#	13.15	-	-
वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	**16.94**	**520.76**	-
31 मार्च 2020 को अंतिम शेष	0.01	1.88	-
वर्ष के दौरान संवर्धन	1.88	-	-
वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन##	15.07	-	-
31 मार्च 2021 को अंतिम शेष	-	**522.64**	-
## एनएचएआई से इक्विटी सहायता को अमूर्त परिसंपत्तियों से कम			
##टोल रोड और समवर्ती संपत्ति के लिए ईपीसी संविदा के कारण सृजित अतिरिक्तऽ प्रावधान को बट्टेखाते किया गया है			
<u>परिशोधन एवं हानि</u>			
1 अप्रैल 2019 को अंतिम शेष	-	**2.77**	-
वर्ष के दौरान परिशोधन	-	23.03	-
वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन	-		-
31 मार्च 2020 को अंतिम शेष	-	**25.80**	-
वर्ष के दौरान परिशोधन	-	23.06	-
वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन	-		
31 मार्च 2021 को अंतिम शेष	-	**48.86**	-
निवल बही मल्य			
31 मार्च 2021 को	-	**473.78**	-
31 मार्च 2020 को	**16.94**	**494.96**	-
नोटः-			

1. अमूर्त परिसंपत्तियों (टोल रोड) में टोल रोड के ईपीसी कार्यों सहित टोल रोड के लिए अनिवार्य साफ्टवेयर सहित आईओ अवसंरचना का मूल्यि भी शमिल है। इसकी अलग से गणना नहीं की गई हे और यह परिसंपत्ति का अभिन्न अंग है।

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (सीआईएन - U45400DL2014GOI272220)
31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणों के नोट

5 गैर चालू परिसंपत्तियां - अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (रूपए करोड़ में) (रूपए करोड़ में)

विवरण	**31 मार्च 2021 को**	**31 मार्च 2020 को**
क) वसूली योग्य: अरक्षित		
प्रतिभूति जमा राशियां		
अन्य	0.03	0.04
संविदागत परिसंपत्तियां		
ग्राहकों के पास प्रतिधारण राशि (संदर्भ नोट 33(ग)(ii))	-	0.96
कुल (क)	**0.03**	**1.00**
ख) संदिग्ध समझे गए	-	-
कुल - अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां - संदिग्ध (ख)	-	-
सकल योग - अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (क+ख)	**0.03**	**1.00**

6 अस्थगित कर परिसंपत्तियों और आय कर

इंड एएस 13 "आयकर" के अनुसरण में प्रकटन

(क) 31 मार्च 2021 तथा 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु आय कर व्यय के प्रमुख घटक हैं:

(रूपए करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	को समाप्त वर्ष हेतु	
		31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
1	**लाभ और हानि खंड**		
	चालू आय कर:		
	चालू आय कर प्रभार	-	-
	पिछले वर्ष के चालू आयकर के संबंध में समायोजन	-	0.01
	आस्थगित कर:		
	अस्थायी अंतरों के समायोजन एंव प्रतिक्रम से संबंधित	8.29	-
	लाभ और हानि खंड में प्रस्तुत आयकर व्यय	**8.29**	**0.01**
2	**अन्य वृहत आय (ओसीआई) खंड**		
	वर्ष के दौरान ओसीआई में स्वीकृत मदों से संबंधित आयकर		
	निर्धारित लाभ योजनाओं के पुनःमापन पर निवल घाटा/(लाभ)	-	-
	विदेशी प्रचालन अंतरण पर निवल घाटा/(लाभ)	-	-
	ओसीआई खंड में प्रस्तुत आयकर व्यय	-	-

(ख) 31 मार्च 2021 तथा 31 मार्च 2020 के लिए भारत के घरेलू कर दर द्वारा गुणा कर व्यय और लेखांकन लाभ का समायोजन:

(रूपए करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	को समाप्त वर्ष हेतु	
		31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
1	आयकर से पूर्व लेखांकन लाभ	(13.11)	(17.17)
2	आयकर अधिनियम,1961 के अनुसार निगमित कर दर	26%	26%
3	लेखांकन लाभ पर कर (3) = (1) * (2)	-	-
4	कर समायोजन प्रभाव:		
(i)	पूर्ववर्ती वर्षों के चालू आयकर के संबंध में समायोजन	-	0.01
(ii)	पिछले अस्वीकृत कर घाटों का उपयोग	-	-
(iii)	दर अंतर प्रभाव	-	-
(iv)	कर से छूट प्राप्त आय पर कर	-	-
(v)	कर प्रयोजनों हेतु गैर कटौती योग्य व्यय		
	अन्य देशों के अतिरिक्त कर	-	-
	अन्य गैर कटौती योग्य व्यय	-	-
(vi)	विभिन्न अन्य मदों पर प्रभाव	8.29	-
5	**लाभ एवं हानि विवरण में प्रस्तुत आयकर व्यय**	**8.29**	**0.01**
6	प्रभावी कर दर		

(ग) तुलन पत्र और लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत आस्थगित कर (परिसंपत्तियां) और देयताएं

(रूपए करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	तुलनपत्र		लाभ हानि विवरण	
		31 मार्च 2021	31 मार्च 2020	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
1	परिसंपत्ति , संयंत्र और उपकरण (अमूर्त सहित) : बही में अंतर-मूल्यह्रास	(56.12)	(39.84)	16.28	39.84
2	प्रावधान	0.54	-	(0.54)	-
3	अन्य/व्यवसाय घाटा	48.10	40.65	(7.45)	(39.84)
4	आयकर अधिरियम, 1961 की धारा 43बी के अंतर्गत अस्वीकृत मदें	-	-	-	-
5	चालू वर्ष और पूर्ववर्ती वर्षों में लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित व्यय	-	-	-	-
6	वित्तीय माध्यमों का उचित मूल्यांकन	-	-	-	-
7	एफवीटीओसीआई इक्विटी प्रतिभूतियों और एफवीटीपीएल म्यूचुवल फंड	-	-	-	-
	निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियां /(देयताएं)	**(7.48)**	**0.81**	**8.29**	-

(घ) तुलन पत्र में प्रदर्शित निम्नानुसार:

(रूपए करोड़ में)

क्र.सं	विवरण	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
1	आस्थगित कर परिसंपत्तियां	48.64	40.65
2	आस्थगित कर देयताएं	(56.12)	(39.84)
	आस्थगित कर परिसंपत्तियां /(देयताएं) (निवल)	**(7.48)**	**0.81**

नोट: आस्थगित कर परिसंपत्तियों और आस्थगित कर देयताओं को ऑफसेट किया गया है क्योंकि वे समान शासी नियमों से संबंधित हैं।

(ड.) आस्थगित कर (देयताओं) और परिसंपत्तियों का समायोजन :

31 मार्च 2021 को

(रूपए करोड़ में)

क्र.सं	विवरण	1 अप्रैल 2020 को शेष (निवल)	लाभ व हानि विवरण में स्वीकृत	ओसीआई में स्वीकृत	31 मार्च 2021 को शेष (निवल)
1	परिसंपत्ति , संयंत्र और उपकरण (अमूर्त सहित) : बही में अंतर-मूल्यह्रास एवं आयकर मूल्यह्रास	(39.84)	16.28	-	(56.12)
2	प्रावधान	-	(0.54)	-	0.54
3	अन्य/व्यवसाय घाटा	40.65	(7.45)	-	48.10
4	आयकर अधिरियम, 1961 की धारा 43बी के अंतर्गत अस्वीकृत मदें	-	-	-	-
5	चालू वर्ष और पूर्ववर्ती वर्षों में लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित व्यय का प्रभाव किन्त् भ्गतान आधार पर कर प्रयोजन हेत् स्वीकार्य।	-	-	-	-
6	वित्तीय माध्यमों का उचित मूल्यांकन	-	-	-	-
7	एफवीटीओसीआई इक्विटी प्रतिभूतियों और एफवीटीपीएल म्यूचुवल फंड पर अप्रयुक्त लाभ/हानि	-	-	-	-
	निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियां /(देयताएं)	0.81	8.29	-	(7.48)

31 मार्च 2020 को

(रूपए करोड़ में)

क्र.सं	विवरण	1 अप्रैल 2019 को शेष (निवल)	लाभ व हानि विवरण में स्वीकृत	ओसीआई में स्वीकृत	31 मार्च 2020 को शेष (निवल)
1	परिसंपत्ति , संयंत्र और उपकरण (अमूर्त सहित) : बही में अंतर-मूल्यह्रास एवं आयकर मूल्यह्रास	-	39.84	-	(39.84)
2	प्रावधान	-	-	-	-
3	अन्य/व्यवसाय घाटा	0.81	(39.84)	-	40.65
4	आयकर अधिरियम, 1961 की धारा 43बी के अंतर्गत अस्वीकृत मदें	-	-	-	-
5	चालू वर्ष और पूर्ववर्ती वर्षों में लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित व्यय का प्रभाव किन्त् भ्गतान आधार पर कर प्रयोजन हेत् स्वीकार्य।	-	-	-	-
6	वित्तीय माध्यमों का उचित मूल्यांकन	-	-	-	-
7	एफवीटीओसीआई इक्विटी प्रतिभूतियों और एफवीटीपीएल म्यूचुवल फंड पर अप्रयुक्त लाभ/हानि	-	-	-	-
	निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियां /(देयताएं)	0.81	-	-	0.81

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणों के नोट

चालू परिसंपत्तियां -वित्तीय परिसंपत्तियां

7.1 चालू वित्तीय परिसंपत्तियां - व्यापार प्राप्य **(रूपए करोड़ में)** **(रूपए करोड़ में)**

विवरण	**31 मार्च 2021 को**	**31 मार्च 2020 को**
वसूली योग्य - अरक्षित	12.38	9.66
संदिग्ध समझे गए - अरक्षित	-	-
घटा : संदिग्ध ऋणों के लिए हानि प्रावधान	-	-
कुल	**12.38**	**9.66**

7.2 चालू वित्तीय परिसंपत्तियां - रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य **(रूपए करोड़ में)** **(रूपए करोड़ में)**

विवरण	**31 मार्च 2021 को**	**31 मार्च 2020 को**
बैंकों में शेष:		
- चालू खातों में ^	2.13	1.11
- फ्लैक्सी चालू खातों में ^	9.17	11.65
कुल	**11.30**	**12.76**

^ उपर्युक्त शेष एस्क्रो खाते से संबंधित है, जो एनएचएआई के साथ किए गए रियायत करार के अनुसार निर्धारित निधि है।

7.3 चालू वित्तीय परिसंपत्तियां - ऋण **(रूपए करोड़ में)** **(रूपए करोड़ में)**

विवरण	**31 मार्च 2021 को**	**31 मार्च 2020 को**
(क) - वसूली योग्य : रक्षित		
वसूली योग्य : रक्षित	-	-
(ख) - वसूली योग्य : अरक्षित		
(i) अन्य:		
स्टाफ ऋण और अग्रिम	0.08	-
कुल (ख) - वसूली योग्य : अरक्षित (i)	**0.08**	-
ग. संदिग्ध समझे गए		
कुल (ग) - संदिग्ध ऋण	-	-
कुल	**0.08**	-

7.4 चालू परिसंपत्तियां - अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां **(रूपए करोड़ में)** **(रूपए करोड़ में)**

विवरण	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
क. वसूली योग्यः रक्षित		
संचित ब्याजः		
- बैंकों में जमा राशि	0.01	0.02
संविदागत परिसंपतियां		
- बिलयोग्य राजस्व/प्राप्य पर अदेय {संदर्भ नोट (i) और नोट 33(ग)(ii)}	0.83	-
- ग्राहकों से आहरित राशि (संदर्भ 33(ग)(ii))	-	0.88
- ग्राहकों के पास प्रतिभूति जमा राशियां (संदर्भ 33(ग)(ii))	0.96	-
अन्य (संदर्भ नोट 37 (ड) व (च))	2.36	50.23
वसूली योग्यः अरक्षित	-	-
कुल	**4.16**	**51.13**

(i) 0.83 करोड़ रुपये का बिल योग्य राजस्व उस कार्य के मूल्य को दर्शाता है जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) से प्राप्त हुआ है, किन्तु अगले वित्तीय वर्ष में ग्राहक को बिल किया जाएगा।

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (सीआईएन - U45400DL2014GOI272220)
31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणों के नोट

8 चालू परिसंपतियां - चालू कर परिसंपत्यिां (निवल) **(रूपए करोड़ में)** **(रूपए करोड़ में)**

विवरण	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
टीडीएस एवं अग्रिम कर सहित प्रदत्त कर (कर हेतु प्रावधान का निवल)	6.96	6.78
घटाः		
कर हेतु प्रावधान	-	-
चालू कर परिसंपत्यिां (निवल)	**6.96**	**6.78**

चालू कर परिसंपत्यिां (निवल)

विवरण	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
प्रदत्त करः		
आयकर - टीडीएस	-	-
अग्रिम आयकर	6.96	6.78
मांग के प्रति आयकर विभाग में जमा राशि	-	-
घटाः कर हेतु प्रावधान	-	-
कुल	**6.96**	**6.78**

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (सीआईएन - U45400DL2014GOI272220)

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणों के नोट

9 **अन्य चालू परिसंपत्तियां** **(रूपए करोड़ में) (रूपए करोड़ में)**

विवरण	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
वसूली योग्य : अरक्षित		
पूंजी अग्रिमों से इतर अग्रिम		
- वस्तु एवं सेवा कर	0.31	-
पूर्व प्रदत्त व्यय	0.09	-
संदिग्ध समझे गए: अरक्षित	-	-
कुल	**0.40**	**-**

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (सीआईएन - U45400DL2014GOI272220)
31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणों के नोट

10 इक्विटी शेयर पूंजी **(रूपए करोड़ में)**

विवरण	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
प्राधिकृत शेयर पूंजी		
प्रति 10 रूपए के 17,50,00,000 (31 मार्च 2020 को प्रति 10 रूपए के 17,50,00,000)	175.00	175.00
	175.00	175.00
जारी/अंशदायी और प्रदत्त पूंजी		
प्रति 10 रूपए के 16,50,00,000 के पूर्णत प्रदत्त इक्विटी शेयर (31 मार्च 2020 को प्रति 10 रूपए के 16,50,00,000 के पूर्णत प्रदत्त इक्विटी शेयर)	165.00	165.00
	165.00	165.00

(क) कंपनी के 5 प्रतिशत से अधिक शेयरों के शेयरधारकों का ब्यौरा

शेयर धारक का नाम	31 मार्च 2021		31 मार्च 2020	
	शेयरों की संख्या	श्रेणी में प्रतिशत धारिता	शेयरों की संख्या	श्रेणी में प्रतिशत धारिता
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड - धारक कंपनी (इरकॉन)	165,000,000	100.00%	165,000,000	100.00%

(ख) वर्ष के आरंभ और अंत में इक्विटी शेयरों की संख्या और बकाया शेयर पूंजी का विनियोजन

शेयर धारक का नाम	31 मार्च 2021 को		31 मार्च 2020 को	
	शेयरों की संख्या	करोड़ रूपए में	शेयरों की संख्या	करोड़ रूपए में
वर्ष के आरंभ में जारी/अंशदायी और प्रदत्त इक्विटी शेयर	165,000,000	165.00	165,000,000	165.00
जमाः वर्ष के दौरान जारी शेयर	-	-	-	-
घटाः वर्ष के दौरान बाय बैक शेयर	-	-	-	-
वर्ष के अंत में जारी/अंशदायी और प्रदत्त इक्विटी शेयर	**165,000,000**	**165.00**	**165,000,000**	**165.00**

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (सीआईएन - U45400DL2014GOI272220)
31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणों के नोट

11 अन्य इक्विटी **(रूपए करोड में)** **(रूपए करोड में)**

विवरण	**31 मार्च 2021 को**	**31 मार्च 2020 को**
प्रतिधारण आमदनी	(36.76)	(15.38)
कुल	**(36.76)**	**(15.38)**

i) निम्नानुसार संचलन

(क) प्रतिधारण आमदनी

आरंभिक शेष	(15.38)	1.80
लाभ और हानि विवरण में अतिरेक से अंतरित	(21.38)	(17.18)
समापन शेष	**(36.76)**	**(15.38)**

ii) <u>अन्य आरक्षित निधि की प्रकृति और प्रयोजन:</u>

प्रतिधारित आमदनियां
प्रतिधारित आमदनियां कंपनी के अवितरित लाभों को दर्शाती हैं।

12 गैर चालू देयताएं - वित्तीय देयताएं

12.1 गैर चालू वित्तीय देयताएं - ऋण

(रूपए करोड में) (रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020
रक्षित:		
(क) धारक कंपनी से ऋण (इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड) (नीचे प्रस्तुत नोट व 14.2 का संदर्भ लें)	297.04	379.29
कुल	**297.04**	**379.29**

नोट:-

(क) अन्य अल्पकाली ऋणों के लिए पनर्भुगतान की शर्तों और अन्य रक्षित दीर्घकालीन ऋणों के संबंध में उपलब्ध प्रा

प्रतिभूति का विवरण और शर्तें	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (रक्षत ऋण) - सभी अचल संपत्तियों द्वारा सुरक्षित और उधारकर्ता की चल संपत्ति का दृष्टिबंधक, शुल्क, राजस्व, परियोजना समझौता, बीमा दावा, अमूर्त संपत्ति , एस्क्रो खाता और अन्य संपत्ति (नीचे नोट-ख देखें)	336.00	417.22
घटा: चालू परिपक्वताएं (अगले वित्तीय वर्ष में पुन:देय राशि) नोट 14.2- वित्तीय देयताएं चालू ऋण में प्रदर्शित	38.96	37.93
गैर चालू वित्तीय देयताओं के अंतर्गत दर्शाई गई राशि	**297.04**	**379.29**

(ख) कंपनी ने दिनांक 01.07.2019 से शुरू होकर 12 वर्षों की संरचित तिमाही किश्तों में ऋण की अदायगी के लिए 15.12.2020 को विवरण जारी किया है। कंपनी ने 30.09.2019 तक 19.94 करोड़ रुपये के ऋण पर ब्याज प्रदान किया है, हालांकि 01.10.2019 से 31.03.2021 तक की अवधि के लिए ब्याज की छूट का प्रस्ताव होल्डिंग कंपनी के विचाराधीन है।

13 प्रावधान **(रूपए करोड में)**

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020
कर्मचारी लाभ हेत् प्रावधान		-	-
अन्य प्रावधान	13.1	17.76	15.67
कुल		**17.76**	**15.67**
चालू		**-**	**15.67**
गैर चालू		**17.76**	**-**

13.1 अन्य प्रावधानः

विवरण	अनुरक्षण	अन्य व्यय	कुल
31 मार्च 2019 को	-	**150.21**	**150.21**
चालू	-	150.21	150.21
गैर चालू	-	0.00	0.00
वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	-	24.82	24.82
घटाः वर्ष के दौरान उपयोग	-	(159.36)	(159.36)
घटाः वर्ष के दौरान बट्टाखाता	-	0.00	0.00
31 मार्च 2020 को	**-**	**15.67**	**15.67**
चालू	-	15.67	15.67
गैर चालू	-	0.00	0.00
वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	17.76	2.93	20.69
घटाः वर्ष के दौरान उपयोग	-	(0.60)	(0.60)
घटाः वर्ष के दौरान बट्टाखाता	-	(18.00)	(18.00)
31 मार्च 2021 को	**17.76**	**-0.00**	**17.76**
चालू	-	-	-
गैर चालू	**17.76**	-	**17.76**

^^= राइट बैक में विकास के तहत अमूर्त संपत्ति के कारण लेखांकित प्रावधानों के 15.07 करोड़ रुपये शामिल हैं, जिन्हें पिछले वर्षों में अनुमान के आधार पर माना जाता था, अब इसकी आवश्यकता नहीं है।

14 चालू देयताएं - वित्तीय देयताएं

14.1 चालू वित्तीय देयताएं - व्यापार प्राप्य (रूपए करोड में) (रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020
(क) सूक्ष्म, लघु एंव मध्यम उपक्रम (संदर्भ नोट 35)	-	-
(ख) सूक्ष्म, लघु एंव मध्यम उपक्रम से इतर		
(i) ठेकेदार व आपूर्तिकर्ता	0.14	2.20
(ii) संबंधित पक्ष (संदर्भ नोट 28)	14.92	5.04
कुल	**15.06**	**7.24**

14.2 चालू देयताएं - अन्य वित्तीय देयताएं

विवरण	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020
जमा राशियां, प्रतिधारण राशि और आहरित राशि	0.60	-
फास्ट टेग उल्लंघन के कारण ग्राहक (एनएचएआई) को देय राशि	0.31	-
अन्य देय (स्टाफ देय सहित)	3.85	4.29
अन्य वित्तीय देयताएं - देय चालू ऋण किश्तें - धारक कंपनी	38.96	37.93
पट्टादेयताएं	-	-
कुल	**43.72**	**42.22**

15 अन्य चालू देयतएं (रूपए करोड में) (रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020
क) अन्य		
सांविधिक देय राशियां	0.04	0.13
कुल	**0.04**	**0.13**

क) सांविधिक देय में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी, टीडीएस, भविष्य निधि तथा अन्य सांविधिक देय शामिल हैं।

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (सीआईएन - U45400DL2014GOI272220)

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणों के नोट

16 प्रचालनों से राजस्व (रूपए करोड में) (रूपए करोड में)

	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
एससीए के अंतर्गत निर्माण सविदा राजस्व (संदर्भ नोट 23)	0.01	25.20
निर्माण संविदा राजस्व - कार्यक्षत्र में परिवर्तन (संदर्भ नोट-23)	11.66	-
टोल प्रचालनों से राजस्व (संदर्भ नोट 23 व 33)	43.19	45.20
कुल	**54.86**	**70.40**

17 अन्य आय

	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
ब्याज आय:		
बैंक ब्याज सकल	0.30	0.30
घटा: ग्राहकों को अग्रेषित ब्याज	-	-
	0.30	0.30
अन्य:		
विविध आय	0.14	0.03
कुल	**0.44**	**0.33**

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (सीआईएन - U45400DL2014GOI272220)
31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणों के नोट

18 परियोजना एवं अन्य व्यय

(रूपए करोड में)

विवरण	परियोजना व्यय		अन्य व्यय	
	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
कार्य व्यय	0.60	163.93	-	-
टोल रोड व्यय	8.02	8.75		
कार्य उप ठेके(कार्यक्षेत्र में परिवर्तन)	11.66	0.25	-	-
निरीक्षण, भू-तकनीकी अन्वेषण एवं सर्वेक्षण व्यय आदि	0.60	0.84	-	-
मशीनरी का मरम्मत और अनुरक्षण	0.14	0.01	-	-
मशीनों का किराया प्रभार	0.78	-	-	-
किराया - गैर आवासीय	0.04	0.08	-	-
दरें और कर	0.01	-	-	-
ऊजा विद्युत और जल प्रभार	1.66	1.81	-	-
बीमा	1.76	0.69	-	-
यात्रा एवं कन्वेयेंस	0.01	0.03	-	-
मुद्रण एवं स्टेशनरी	0.01	0.02	-	-
पोस्टेज, टेलीफोन व टैलेक्स	0.10	0.04	-	-
विधिक एवं व्यावसायिक प्रभार	0.11	0.08	-	-
बट्टाखाता - विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	15.07	-	-	-
लेखापरीक्षक पारिश्रमिक (नीचे का संदर्भ लें)	-	-	0.02	0.01
विज्ञापन और प्रचार	-	-	0.12	0.07
विविध व्यय	0.04	0.01	-	-
प्रावधान (जमा- पश्चलिखित) (संदर्भ नोट 13)	2.69	24.82	-	-
उपयुक्त प्रावधान (संदर्भ नोट 13)	(0.60)	(159.36)	-	-
कुल	**42.70**	**42.00**	**0.14**	**0.08**

नोटः- सांविधिक लेखापरीक्षकों को भुगतानः

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
(क) लेखापरीक्षा शुल्क - चालू	0.009	0.01
(ख) कर लूखापरीक्षा शुल्क - चालू वर्ष	0.003	-
(ग) तिमाही सीमित समीक्षा हेतु शुल्क	0.004	-
(घ) प्रमाणन शुल्क	0.003	-
(ड.) यात्रा और आउट ऑफ पॉकेट भत्ता		
- यात्रा व्यय	-	-
- आउट ऑफ पॉकेट भत्ता	-	-
कुल	**0.02**	**0.01**

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (सीआईएन - U45400DL2014GOI272220)
31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणों के नोट

19 कर्मचारी परिश्रमिक और लाभ (संदर्भ नोट 26) **(रूपए करोड़ में)**

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु			31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु		
	परियोजना व्यय	अन्य व्यय	कुल	परियोजना व्यय	अन्य व्यय	कुल
वेतन, परिश्रमिक और बोनस	2.12	-	2.12	2.42	-	2.42
भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान	0.14	-	0.14	0.15	-	0.15
विदेशी सेवा अंशदान	-	-	-	-	-	-
सेवानिवृत्ति लाभ	0.20	-	0.20	0.25	-	0.25
कर्मचारी कल्याण	-	-	-	-	-	-
कुल	**2.46**	**-**	**2.46**	**2.82**	**-**	**2.82**

(i) संदर्भ नोट 28 - निदेशकों और प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों का पारिश्रमिक

20 वित्तीय लागत **(रूपए करोड़ में)**

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	
ब्याज व्यय (संदर्भ नोट सं 38-के)	-		19.94	
घटाः ऋण निधि पर अर्जित ब्याज	-	-	-	19.94
अन्य ऋण लागत				
- बैंक गारंटी व अन्य प्रभार		0.01		0.01
कुल		**0.01**		**19.95**

21 मूल्यह्रास परिशोधन एवं हानि **(रूपए करोड़ में)**

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
परिसंपत्ति , संयंत्र और उपकरण	0.02	0.01
अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन	23.06	23.03
कुल	**23.08**	**23.04**

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (यूडीआईएन:20083687एएएएडीवाई8630)
दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के नोट
नोट: - 22
क. उचित मूल्य मापन
(i) **वित्तीय साधनों का श्रेणीवार वर्गीकरण**

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को इन वित्तीय विवरणों में उचित मूल्य पर मापा जाता है और उचित मूल्य पदानुक्रम के तीन स्तरों में वर्गीकृत किया जाता है। तीन स्तरों को माप के लिए महत्वपूर्ण आदानों के अवलोकन के आधार पर परिभाषित किया गया है:

स्तर 1: समान संपत्ति या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में कोट किया गया मूल्य (असमायोजित)।

स्तर 2: स्तर 1 के भीतर शामिल कोट की गई कीमतों के अतिरिक्त अन्य इनपुट जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपत्ति या देयता के लिए अवलोकन योग्य हैं।

स्तर 3: संपत्ति या देयता के लिए अप्रचलित इनपुट।

क**)** दिनांक 31 मार्च, 2021 तक श्रेणियों द्वारा वित्तीय साधनों के उचित मूल्य और उचित मूल्य इस प्रकार हैं: *

(रूपए करोड में**)**

विवरण	वहन मल्य	उचित मूल्य स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्त्यिां म्युचुवल फंड में निवेश	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-
परिशाधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां				
(i) निवेश		-	-	-
(ii) ऋण		-	-	-
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां		-	-	-
	0.08	-	-	-
	4.20	-	-	-
कुल	**4.28**	-	-	-

(रूपए करोड में)

विवरण	वहन मल्य	उचित मूल्य स्तर1	स्तर 2	स्तर 3
परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं				
(i) ऋण	336.00	-	-	
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	4.76	-	-	
कुल	**340.76**			

(ख) दिनांक 31 मार्च 2020 को श्रेणी द्वारा वित्तीय माध्यमों का वहन मूल्य एवं उचित मूल्य निम्नानुसार है: *

(रूपए करोड में)

विवरण	वहन मल्य	उचित मूल्य स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्त्यिां (एफवीटीपीएल)	-	-	-	-
म्युचुवल फंड में निवेश				
कुल	-	-	-	-
परिशाधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां		-	-	
		-	-	
(i) निवेश		-	-	
(ii) ऋण	0.00	-	-	
(iii) अन्य व्यापार परिसंपत्तियां	52.13	-	-	
कुल	**52.13**	-	-	-

(रूपए करोड में)

विवरण	वहन मल्य	उचित मूल्य स्तर1	स्तर 2	स्तर 3
परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां				
(i) ऋण	417.22	-	-	
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	4.30		-	
कुल	**421.52**	**-**	-	

प्रबंधन ने मूल्यांकन किया है कि रोकड़ और रोकड़ समतुल्य, व्यापार प्राप्य, व्यापार देय, बैंक ओवरड्राफ्ट और अन्य चालू वित्तीय देयताओं की वहन राशियां मुख्य रूप से अल्पावधि की हैं।

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के उचित मूल्यों को उस मूल्य के रूप में परिभाषित किया जाता है जो किसी परिसंपत्ति की बिक्री पर प्राप्त होता है या माप तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में देयता को स्थानांतरित करने के लिए भुगतान किया जाता है। निष्पक्ष मूल्यों का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित विधियों और मान्यताओं का उपयोग किया गया था:

i) म्यूचुअल फंड इकाइयों में निवेश का उचित मूल्य नेट एसेट वैल्यू (उचि एनएवी) पर आधारित है, जैसा कि तुलनपत्र की तारीख में प्रकाशित विवरणों में इन म्यूचुअल फंड इकाइयों के जारीकर्ताओं द्वारा प्रकट किया गया है। एनएवी उस मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है जिस पर जारीकर्ता म्यूचुअल फंड की आगे की इकाइयाँ जारी करेगा और जिस मूल्य पर जारीकर्ता ऐसी इकाइयों को निवेशकों से भुनाएगा।

ii) सहायक और संयुक्त उपक्रमों में निवेश को वर्गीकृत किया जाता है क्योंकि इक्विटी निवेश का ऐतिहासिक लागत पर लेखांकन किया जाता है। चूंकि ये माप के उद्देश्यों के लिए इंड एएस 109 के दायरे से बाहर हैं, इसलिए उपरोक्त तालिका में इसका प्रकटन नहीं किया गया है।

* वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2019-20 के दौरान, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के उचित मूल्य मापों के बीच कोई स्थानान्तरण नहीं हुआ।

ख. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देनदारियां, ऋण और अन्य वित्तीय देनदारियां हैं। इन वित्तीय देनदारियों का मुख्य उद्देश्य कंपनी के प्रचालन को वित्तपोषित करना है। कंपनी की प्रमुख वित्तीय परिसंपत्तियों में एनएचएआई से रोकड़ और रोकड़ समतुल्य और वसूली योग्य राशियां शामिल हैं जो सीधे इसके प्रचालन से प्राप्त होते हैं। कंपनी की गतिविधियाँ विभिन्न प्रकार के वित्तीय जोखिमों को प्रस्तुत करती हैं: जैसे बाजार जोखिम, ऋण जोखिम और तरलता जोखिम।

क) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम है जो बाजार की कीमतों में परिवर्तन के कारण वित्तीय साधनों के भावी रोकड़ प्रवाह के उचित मूल्य में उतार-चढ़ाव उत्पन्न करता है। बाजार जोखिम में ब्याज दर जोखिम शामिल है। बाजार जोखिम से प्रभावित वित्तीय साधनों में व्यापार प्राप्य, व्यापार देय और अन्य गैर-डेरिवेटिव वित्तीय साधन शामिल हैं।

(i) विदेशी मुद्रा जोखिम

कंपनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचालन करती है और उसे विदेशी मुद्रा जोखिम का खतरा बना रहता है। कंपनी के महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा जोखिम स्वाभाविक रूप से सुरक्षित हैं।

दिनांक 31 मार्च, 2021 और 31 मार्च, 2020 तक, संबंधित विदेशी मुद्रा की प्रत्येक 1% वृद्धि या कमी से हमारे लाभ को क्रमश: शून्य रूपए और शून्य रूपए का प्रभाव पड़ा है।

(ii) ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जो बाजार के ब्याज दर में परिवर्तन के कारण वित्तीय साधनों के भावी रोकड़ प्रवाह के उचित मूल्य में उतार-चढ़ाव उत्पन्न करता है। कंपनी अपने ब्याज जोखिम का प्रबंधन कंपनियों की नीतियों और जोखिम उद्देश्य के अनुसार करती है। ब्याज दर जोखिम से प्रभावित वित्तीय साधनों में बैंकों के साथ कर मुक्त बांड और जमा राशियां शामिल हैं। इन वित्तीय साधनों पर ब्याज दर का जोखिम बहुत कम है क्योंकि वित्तीय साधनों की अवधि के लिए ब्याज दर निर्धारित है। इसके अतिरिक्त, कंपनी को ऋण / उधार पर कोई ब्याज जोखिम नहीं है क्योंकि यह ब्याज की निश्चित दर है।

ख) ऋण जोखिम

कंपनी की ग्राहक प्रोफ़ाइल में भारत और विदेश में रेल मंत्रालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियां शामिल हैं। तदनुसार, कंपनी का ग्राहक ऋण जोखिम कम है। कंपनी का औसत परियोजना निष्पादन चक्र लगभग 24 से 36 महीने है। सामान्य भुगतान शर्तों में एकत्र अग्रिम, 45 से 60 दिनों की ऋण अवधि के साथ मासिक प्रगति भुगतान और परियोजना के अंत में जारी किए जाने वाले कुछ अवधारण शामिल हैं। कुछ मामलों में बैंक / कॉरपोरेट गारंटी के साथ प्रतिधारण प्रतिस्थापित किया जाता है। कंपनी के पास संगठन के भीतर विभिन्न स्तरों पर अतिदेय ग्राहक प्राप्तियों की एक विस्तृत समीक्षा तंत्र है, जो उचित ध्यान और प्राप्ति के लिए ध्यान केंद्रित करना सुनिश्चित करता है।

व्यापार और अन्य प्राप्य

ऋण जोखिम के लिए कंपनी का जोखिम मुख्य रूप से प्रत्येक ग्राहक की व्यक्तिगत विशेषताओं से प्रभावित होता है। ग्राहक की जनसांख्यिकी, जिसमें उद्योग और उस देश का डिफ़ॉल्ट जोखिम शामिल है जिसमें ग्राहक संचालित होता है, का भी ऋण जोखिम मूल्यांकन पर प्रभाव पड़ता है।

ऋण जोखिम का खतरा

(रूपए करोड में)

विवरण	**31/03/2021**	**31/03/2020**
वित्तीय परिसंपत्तियां जिसके लिए जीवनकाल संभावित ऋण हानियों (एलईसीएल) के प्रयोग द्वारा प्रावधान को मापा गया		
गैर चालू निवेश	-	-
गैर चालू ऋण	-	-
अन्य गैर चालू वित्तीय परिसंपत्तियां	0.03	0.04
चालू निवेश	-	-
रोकड एवं रोकड समतुल्य	11.30	12.76
अन्य बैंक शेष	-	-
चालू ऋण	0.08	0.00
अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियां	2.38	50.25
सरलीकरण परिदृश्य का उपयोग करके स्वीकृति मापन हेतु वित्तीय परिसंपत्तियां	-	-
व्यापार प्राप्य	12.38	9.66
संविदागत परिसंपत्तियां	1.79	1.84

सरलीकरण परिदृश्य का उपयोग करके हानि प्रावधान में परिवर्तन का सार

विवरण	**31/03/2021**	**31/03/2020**
आरंभिक प्रावधान	-	-
वर्ष हेतु प्रावधान	-	-
वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
बट्टा खता राशि	-	-
समापन प्रावधान	-	-

वर्ष के दौरान, कंपनी ने शून्य रुपये (31 मार्च, 2020: शून्य रूपये) की हानि को स्वीकार किया है के नुकसान भत्ते को मान्यता दी है।

जीवनकाल संभावित ऋण घाटा (एलईसीएल) दृष्टिकोण का उपयोग करके हानि भत्ते में परिवर्तन का सारांश

विवरण	31/03/2021	31/03/2020
आरंभिक प्रावधान	-	-
वर्ष हेतु प्रावधान	-	-
वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
बट्टा खता राशि	-	-
(विनिमय लाभ)/हानि	-	-
समापन प्रावधान	-	-

रिपोर्टिंग अवधि के दौरान अनुमान तकनीकों या अनुमानों में कोई महत्पूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है।
वर्ष के दौरान, कंपनी ने शून्य रुपये (31 मार्च, 2020: शून्य रूपए) की हानि को स्वीकार किया है के नुकसान भत्ते को मान्यता दी है।

ग) तरलता जोखिम

"कंपनी पर्याप्त नकदी और विपणन योग्य प्रतिभूतियों को बनाए रखने और प्रतिबद्ध क्रेडिट लाइनों की पर्याप्त मात्रा के माध्यम से वित्तपोषण तक पहुंच बनाकर तरलता जोखिम का प्रबंधन करती है। वित्त विभाग नियमित रूप से नकद और नकद समकक्षों की स्थिति की निगरानी करता है। तरलता की स्थिति की समीक्षा करते समय वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के प्रोफाइल और तुलनपत्र में तरलता अनुपात के अनुरक्षण पर विचार किया जाता है।
कंपनी का वरिष्ठ प्रबंधन अपनी निवेश नीति की निगरानी करता है और अपने निवेश उद्देश्यों को प्राप्त करता है। कंपनी का वरिष्ठ प्रबंधन अपनी निवेश नीति का अनुरक्षण करती है और अपने निवेश उद्देश्यों को प्राप्त करती है। कंपनी आमतौर पर भारत सरकार के बॉन्ड और म्यूचुअल फंड में निवेश करती है। प्रमुख हानि के संभावित जोखिम को कम करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ, इस नीति में आमतौर पर निवेश ग्रेड की आवश्यकता होती है।
नीचे दी गई तालिका 31 मार्च 2021 तथा 31 मार्च 2020 तक महत्वपूर्ण वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता का विवरण प्रस्तुत करती है:

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2021 को		
	1 वर्ष से कम	**1-2** वर्ष	2 वर्ष और अधिक
ऋण	-	79.37	256.63
व्यापार प्राप्य	15.07	-	-
अन्य वित्तीय देयताएं	4.76	-	-

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2020 को		
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2 वर्ष और अधिक

ऋण	79.37	97.00	
340.85			
व्यापार प्राप्य	7.24	-	-
अन्य वित्तीय देयताएं	4.30	-	-

घ) अत्यधिक जोखिम एकाग्रता

जब कई समकक्ष समान व्यावसायिक गतिविधियों, या एक ही भौगोलिक क्षेत्र में गतिविधियों में लगे होते हैं, जो आर्थिक, राजनीतिक या अन्य स्थितियों में परिवर्तन से प्रभावित होने के लिए संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने की उनकी क्षमता का कारण बनती हैं। जोखिम किसी विशेष उद्योग को प्रभावित करने वाले विकास हेतु कंपनी के निष्पादन की सापेक्ष संवेदनशीलता को दर्शाती है।

ग) पूंजी प्रबंधन

कंपनी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी क्षमता को बनाए रखने और सुरक्षित रखने की क्षमता के रूप में अपनी पूंजी का प्रबंधन करना है ताकि कंपनी शेयरधारकों को अधिकतम रिटर्न प्रदान कर सके और अन्य हितधारकों को लाभ दे सकें। कंपनी ने निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार लाभांश का भुगतान इस प्रकार किया है: -

कंपनी ने परियोजना के वित्तपोषण के लिए अपनी धारक कंपनी से दीर्घकालीन ऋण के रूप में वित्त वर्ष में शून्य रूपए (वित्त वर्ष 2019-20 तक संचित रूप से 417,22,000) प्राप्त किए हैं।

ऋण इक्विटी अनुपात :- **(**रूपए करोड में**)**

विवरण	**31-मार्च-2021**	**31-मार्च-2020**
ऋण (नोट सं 12.1 व 14.2)	336.00	417.22
दीर्घकालीन ऋण	**336.00**	**417.22**
इक्विटी (नोट सं.10)	165.00	165.00
अन्य इक्विटी (नोट सं.11)	(36.76)	(15.38)
कुल इक्विटी	**128.24**	**149.62**
ऋण इक्विटी अनुपान	**2.62**	**2.79**

नोट 23: इंड एएस-115 "ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व संबंधी सेवा रियायत व्यवस्थाएं (एससीए)

सार्वजनिक-से-निजी सेवा रियायत व्यवस्थाओं को परिशिष्ट "ग" - सेवा रियायत व्यवस्था, इंड एएस-115 से "ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व" के अनुसार रिकार्ड की गया है। । यह एससीए इस परिशिष्ट के कार्यक्षेत्र में आता है जिसकी दोनों शर्तें नीचे दी गई हैं:

क) गारंटर इस बात को नियंत्रित या विनियमित करता है कि प्रचालक को अवसंरचनात्मक सुविधाओं के साथ कौन सी सेवाएं प्रदान करनी चाहिए, किससे उन्हें प्रदान करना चाहिए, और किस कीमत पर; तथा

ख स्वामित्व, लाभकारी पात्रता, या अन्यथा- व्यवस्था की अवधि के अंत में बुनियादी ढांचे में कोई महत्वपूर्ण अवशिष्ट ब्याज के माध्यम से नियंत्रित करता है।

अमूर्त परिसंपत्ति को आरंभिक स्तर पर उस लागत पर स्वीकार किया जाता है जो प्रचालक को सार्वजनिक सेवा के उपयोगकर्ताओं को प्रभारित करने का अधिकार प्राप्त होता है, बशर्ते कि ये शुल्क उस स्तर तक सशर्त हों, जिस पर सेवा का उपयोग किया जाता है।

इन अमूर्त संपत्तियों को आरंभिक तौर पर लागत पर स्वीकार किया जाता है, जिसे सेवा के उचित मूल्य के रूप में समझा जाए और साथ ही साथ इसमें प्रचालन के लिए उत्तरदायी अन्य लागत भी शामिल हैं। तत्पश्चात उन्हें रियायत की अवधि में परिशोधन किया जाता है।

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (पीबीटीएल) (प्रचालक) ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के साथ दिनाक 7 नवंबर 2014 को एक सेवा रियायत व्यवस्था में प्रवेश किया है, जिसके संदर्भ में एनएचएआई (अनुदानदाता) ने कंपनी को बीकानेर पलौदी खंड के चार लेन की परियोजना केविकास, वित्तपोषण, डिजाइन के इंजीनियर, प्रापण, निर्माण, प्रचालन और रखरखाव लिए अधिकृत किया है और इसके पूरा होने पर अधिकारों, शक्तियों, लाभों, विशेषाधिकारों और प्राधिकारों का प्रयोग और/या लाभ प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया है। उक्त समझौते के संदर्भ में, आईपीबीटीएल का दायित्व है कि वह बीकानेर-पलौदी खंड की चार लेन की परियोजना का निर्माण पूरा करे और परियोजना की परिसंपत्तियों को उन सभी परियोजनाओं परिसंपत्तियों सहित उचित कार्यशील स्थिति में रखे, जिनकी जीवन अवधि समाप्त हो चुकी है।

रियायत की अवधि नियुक्ति तिथि से 26 वर्ष होगी, जो दिनांक 14 अक्टूबर 2015 से आरंभ होगी। रियायत अवधि के अंत में, परिसंपत्तियां भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को वापस स्थानांतरित कर दी जाएंगी। समझौते के संदर्भ में सामग्री के उल्लंघन के मामले में एनएचएआई और इरकॉन पीबीटीएल के पास इस समझौते के अनुसार चूक की घटना को ठीक करने में सक्षम नहीं होने पर समझौते को समाप्त करने का अधिकार है।

कंपनी राजस्व और लागत को निर्माण के पूरा होने के चरण के संदर्भ में इंड एएस-115 के अनुसार स्वीकार करती है। कंपनी संदिवा राजस्व को उचित मूल्य पर मापती है। व्यवस्था के निर्माण के चरण के दौरान, कंपनी की 522.64 करोड़ की संपत्ति (अपने संचित अधिकार का प्रतिनिधित्व करते हुए निर्माण सेवाएं प्रदान करने के लिए भुगतान किया जाता है, जिसे एनएचएआई से इक्विटी का समर्थन प्राप्त है) को एक अमूर्त संपत्ति (बुनियादी ढांचे के उपयोगकर्ता को प्रभारित करने के लिए लाइसेंस) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। दिनांक 04.11.20 को 100% भौतिक समापन के लिए अनंतिम सीओडी प्राप्त किया गया है, उस सीमा तक अमूर्त संपत्ति बनाई गई है। इस स्तर तक अमूर्त परिसंपत्तियों को सृजित किया गया है। कंपनी ने 31.03.201 तक की अवधि के लिए सेवा रियायत करार के अंतर्गत अपमूर्त परिसंपत्तियों के निर्माण पर 0.01 करोड़ रुपये के राजस्व को स्वीकार किया है। सेवा रियायत समझौते के तहत अमूर्त संपत्तियों के निर्माण पर 356.07 करोड़ रुपये और 338.17 करोड़ रुपये शामिल हैं, सेवाओं के दायरे में परिवर्तन के लिए निर्धारित सेवाओं (सीओएस) के रूप में आगे 13.16 करोड़ रुपये है, एनएचएआई द्वारा जो दिनांक 31.03.19 को समाप्त वर्ष के लिए वसूलीयोग्य है। कंपनी ने सेवा रियायत व्यवस्था के तहत अमूर्त संपत्ति के निर्माण पर शून्य लाभ को स्वीदकार किया है। सेवा रियायत व्यवस्था के तहत अमूर्त संपत्ति के निर्माण के संबंध में स्वी कार्य राजस्व सेवा रियायत व्यवस्था के तहत अमूर्त संपत्ति के निर्माण के लिए प्रदान की गई सेवाओं के उचित मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। टोल रोड के 95.96% भौतिक समापन के बाद टोल रोड का प्रचालन दिनांक 15 फरवरी 2019 से शुरू हो गया है, और कंपनी ने टोल सड़कों के प्रचालन से 43.19 करोड रूपए (पिछले वर्ष - 45.20 करोड़ रूपए) के राजस्व के रूप में उपयोग शुल्क को स्वीयकार किया है।

रियायत समझौते के अनुसार यातायात सीमा के ऊपर एकत्रित उपयोग शुल्क को अतिरिक्त शुल्क कहा जाता है। चूंकि, नवंबर 2020 में हाल ही में टोल रोड पूरा हो गया है और वर्तमान में अतिरिक्त शुल्क का प्रभाव पता लगाने योग्य नहीं है, इसलिए इसका कोई प्रावधान या आकलन नहीं किया गया है।

निर्माण संविदा

इंड एएस-115 "ग्राहकों से साथ अनुबंध से राजस्व" में आवश्यक प्रकटीकरण के संदर्भ में, तुलन पत्र की तारीख तक के वित्तीय विवरणों में विचार की गई राशि इस प्रकार है: -

रूपए करोड में

विवरण	**31-03-21**	**31-03-20**
निर्माण गतिविधियों से स्वीकृत राजस्व	11.67	25.20
टोल प्रयोग शुल्क से स्वीकृत राजस्व	43.19	45.20
लाभ/हानि में वहन एवं स्वीकृत लागत की सकल राशि	11.67	25.20
संविदा कार्यों हेतु ग्राहक से देय सकल राशि	12.38	9.66

"नोट 23(ख): एनएचएआई के साथ किए गए रियायत समझौते के अनुसार, कंपनी को बिजली की लाइनों, पानी के पाइप लाइनों और टेलीफोन केबलों सहित उपयोगिता के स्थानांतरण के कार्य को करने की आवश्यकता है, यदि ऐसी उपयोगिता निर्माण, प्रचालन और परियोजना का अनुरक्षण पर महत्वपूर्ण रूप से प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा हो। ऐसी उपयोगिता को स्थानांतरित करने की लागत प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा या उपयोगिता के स्वामित्व वाली इकाई द्वारा वहन की जाएगी।

कंपनी ने एनएचएआई के अनुमोदन के पश्चात उपयोगिता शिफ्टिंग के पूरे कार्य को बैक-टू-बैक आधार पर इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) को उप ठेके पर दिया है। एनएचएआई से 1.71 करोड़ रुपये की राशि अभी तक प्राप्त नहीं हुई है जैसा कि अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के तहत दिखाया गया है। नोट 7.4 का संदर्भ लें।

नोट 24: इंड एएस-1 "वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति" द्वारा अपेक्षित प्रकटीकरण

पिछले वर्ष की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष में महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

नोट : 25 इंड एएस-8 लेखांकन नीतियां - "लेखांकन अनुमान और त्रुटियां में परिवर्तन का प्रकटीकरण "

चालू वित्तीय वर्ष में लेखांकन अनुमानों या नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए, इन पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ा है।

नोट:- 26 कर्मचारी लाभ

इंड एएस-19 "कर्मचारी लाभ" के अनुपालन संबंधी प्रकटन निम्नानुसार है:

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (आईपीबीटीएल) में कार्यरत कर्मचारियों प्रतिनियुक्ति/सेगमेंट आधार पर तैनात किया गया है और वे धारक कंपनी, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के रोल पर हैं। उनके भविष्य निधि अंशदान, पेंशन अंशदान, उपदान, अवकाश नकदीकरण और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का लेखांकन/डेबिट इसकी होल्डिंग कंपनी से लिया जाता है। इंड एएस -19 के अनुसार प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के उपदान और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का प्रावधान इसकी धारक कंपनी द्वारा अपनी लेखा नीतियों के अनुसार किया जा रहा है।

प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के भविष्य निधि योगदान और पेंशन योगदान को नियमित रूप से पीएफ ट्रस्ट के साथ धारक कंपनी द्वारा जमा किया गया है।

नोट-27 (क) लाभ और हानि में स्वीकृत विदेशी मुद्रा :

शून्य

नोट:- 28 संबंधित पक्ष संव्यवहार

इंड एएस-24 "संबंधित पक्ष संव्यवहार" के अनुपालन में प्रकटन इस प्रकार हैं:

क) संबंधित पक्षों की सूची

(i) धारक कंपनी

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड

(Ii) गैर-कार्यपालक निदेशक

नाम	**पदनाम**
श्री श्याम लाल गुप्ता	अध्यक्ष (13 मई 2021 तक)
श्री योगेश कुमार मिश्रा	अध्यक्ष (13 मई 2021 से)
श्री अशोक कुमार गोयल	निदेशक
श्री राजेन्द्र सिंह यादव	निदेशक (31 अक्तूबर 2020 तक)
श्रीमती रितु अरोड़	निदेशक (13 मई 2021 तक)
सुश्री भुवनेश्वरी कृष्णन	निदेशक (22 दिसंबर 2020 तक)
श्री बी मुगुनथन	निदेशक (19 सितंबर 2020 तक)

* सभी निदेशक अंशकालीन (नामिति) निदेशक हैं जिन्हें धारक कंपनी

(यथा इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड) द्वारा नामित किया जाता है।
प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (केएमपी) के रूप में नामित अन्य सदस्य।

नाम	**पद**
श्री अतुल कुमार	मुख्य कार्यकारी अधिकारी (18 मार्च 2021 तक)
श्री राजू मारूति काम्बले	मुख्य कार्यकारी अधिकारी (18 मार्च 2021 से)
श्री मंजूर मोहम्मद गौरी	मुख्य वित्तीय अधिकारी (11 अगस्त 2020 तक)
सुश्री मीनाक्षी गर्ग	मुख्य वित्तीय अधिकारी (11 अगस्त 2020 से)

कंपनी सचिव

नाम	**पद**
सुश्री अनुराधा कौशिक	कंपनी सचिव

(रुपये करोड़ में)

ख) कंपनी के प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (केएमपी) के साथ संव्यवहार निम्न हैं:

क्र.सं	**विवरण**	**31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए**
1	अल्पावधि कर्मचारी लाभ	0.64	0.59
2	नियोजन पश्चात लाभ	0.03	0.08
3	अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ	0.07	0.01
4	अंतिम लाभ	0.00	0.00
5	बैठक शुल्क	0.00	0.00
	कुल	0.74	0.75

संबंधित पक्षों के साथ संव्यवहार निम्नानुसार हैं:

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं	संव्यवहार की प्रकृति	संबंधित पक्ष का नाम	संबंध की प्रकृति	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
1	वस्तु और सेवाओं की बिक्री	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	धारक कंपनी	11.85	135.61
2	प्रतिनियुक्ति स्टाफ व्यय, किराया और अन्य विविध व्ययों की प्रतिपूर्ति (आय)	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	धारक कंपनी	0.02	0.02
3	ब्याज व्यय				
3.1	ऋण पर ब्याज व्यय	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	धारक कंपनी	-	19.94
4	ऋणों का पुनर्भुगतान	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	धारक कंपनी	81.22	57.52
5	प्राप्त अग्रिम / ऋण	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	धारक कंपनी	-	136.89
6	उपयुक्त के अतिरिक्त कोई अन्य लेन-देन	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	धारक कंपनी	0.12	0

ग) संबंधित पक्षों के साथ बकाया राशि निम्नानुसार हैं: **(रुपये करोड़ में)**

क्र.सं	संव्यवहार की प्रकृति	संबंधित पक्ष का नाम	संबंध की प्रकृति	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
1	**प्राप्त इक्विटी (देयता)**	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	धारक कंपनी	165.00	165.00
2	**कर्ज**	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	धारक कंपनी	336.00	417.22
1	**निम्न के प्रति देय राशि व्यापार देयताएं**	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	धारक कंपनी	14.92 -	5.03 -

घ) संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन के नियम और शर्तें

(i) संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन आर्म-लैंड संव्यवहारों की शर्तों के समान किया जाता है, केवल नोट 12.1(ख) में उल्लिखित ऋण ब्यौरों को छोड़कर।

(Ii) ऋण को छोड़कर वर्ष के अंत में संबंधित पक्षों की बकाया राशि अरक्षित है और इनका बैंकिंग लेनदेन के माध्यम से निपटान होता है। ऋण और ब्याज रहित अग्रिमों के अतिरिक्त शेष संव्यवहार ब्याज मुक्त हैं।

(Iii) प्रमुख प्रबंधन कर्मियों को ऋण, यदि कोई हो, उन समान नियम और शर्तों पर है जो अन्य सभी कर्मचारियों के लिए लागू हैं।

नोट 30: प्रति शेयर आय

इंड एएस - 33 ' प्रति शेयर आय' के अनुसार प्रकटीकरण

मूल ईपीएस की गणना वर्ष के इक्विटी धारकों के लाभ वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है।

विलयित ईपीएस की गणना बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या जमा इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या, जिनके रूपांतरण पर जारी की जाएगी इक्विटी शेयरों को संभावित शेयर इक्विटी धारकों के लिए वर्ष हेतु लाभ से विभाजित करके की जाती है।

(i) प्रति शेयर मूल और विलयित आय (रुपए में)

विवरण	नोट	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
इक्विटी धारकों के लिए लाभ (करोड़ रूपए में)	(ii)	(21.38)	(17.17)
मूल और विलयित ईपीएस के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	(iii)	16.50	16.50
प्रति शेयर आय (मूल)		(1.30)	(1.04)
प्रति शेयर आय (विलयित)		(1.30)	(1.04)
प्रति शेयर अंकित मूल्य		10.00	10.00

(ii) इक्विटी शेयरधारकों के लिए लाभ (न्यूमरेटर के रूप में प्रयुक्त) (करोड़ रूपए में)

विवरण	**31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए**
लाभ और हानि विवरण के अनुसार वर्ष के लिए लाभ	(21.38)	(17.17)
ईपीएस की गणना के लिए उपयोग किए गए कंपनी के इक्विटी धारकों के लिए लाभ	**(21.38)**	**(17.17)**

(iii) इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (भाजक के रूप में प्रयुक्त)

विवरण	**31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए**
जारी इक्विटी शेयरों का आरंभिक शेष	16.50	16.50
वर्ष के दौरान जारी किए गए इक्विटी शेयर	-	-
मूल ईपीएस की गणना के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	**16.50**	**16.50**
प्रदूषण प्रभाव:		
जोड़ें: वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	-	-
विलयित ईपीएस की गणना के लिए इक्विटी शेयरों की औसत संख्या	**16.50**	**16.50**

नोट 30: परिसंपत्ति की हानि

इंड एएस-36 "परिसंपत्तियों की हानि" अनुपालन में , कंपनी ने वर्ष की समाप्ति पर कंपनी की लेखा नीति के अनुसार,परिसंपत्तियों की हानि, यदि कोई हो, की समीक्षा है। चूंकि हानि का कोई संकेत नहीं है, इसलिए वर्ष के दौरान कोई हानि को लेखांकित नहीं किया गया है।

नोट 31: प्रावधान, आकस्मिकताएँ और प्रतिबद्धताएँ

(i) प्रावधान

इंड एएस 13 के अनुसार , आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्ति हेतु कंपनी द्वारा वर्ष में कोई प्रावधान नहीं नहीं किए गए थे।

(li) आकस्मिक देयताएं

इंड एएस-37 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियों के अनुसार आकस्मिक देयताएं का प्रकटीकरण निम्नानुसार है:

(रुपये करोड़ में)

	विवरण	**फुट नोट**	**31 मार्च 2020 तक**	**वर्ष के दौरान जोड़**	**वर्ष के दौरान दावों का निपटान किया गया**			**31 मार्च 2021 तक**
					आरंभिक शेष में से	**वर्ष के दौरान संवर्धन में से**	**वर्ष के दौरान निपटाए गए कुल दावे**	
क)	कंपनी के विरूद्ध दावा जिसे ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया:		-	-	-	-	-	-
ख)	कंपनी की ओर से जारी गारंटी (वित्तीय गारंटीधारकों को छोड़कर)		-	-	-	-	-	-
ग)	अन्य राशि जिसके लिए कंपनी आकस्मिक रूप से दायी है		-	-	-	-	-	-
			-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

(iii) प्रतिबद्धताएं

(रुपये करोड़ में)

	विवरण	**फुटनोट**	**31 मार्च 2021 तक**	**31 मार्च 2020 तक**
क)	**पूंजी प्रतिबद्धताएं**			
	पूंजी खाते (अग्रिम का निवल) पर निष्पादित किए जाने हेतु शेष संविदाओं की अनुमानित राशि और इसके लिए प्रदान नहीं किया गया:	1	2.77	214.55

फुटनोट:

(रुपये करोड़ में)

1

क्र.सं	**पूंजी प्रतिबद्धताएं**	**31 मार्च 2021 तक**	**31 मार्च 2020 तक**
1	परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर निष्पादित की जाने वाली संविदाओं की अनुमानित राशि		
2	निवेश परिसंपत्ति पर निष्पादित की जाने वाली संविदाओं की अनुमानित राशि		
3	विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्तियों पर निष्पादित की जाने वाली शेष संविदाओं की अनुमानित राशि	-	2.77
	कुल	**-**	**2.77**

नोट 33. खंड रिपोर्टिंग:

इंड एएस-108 "प्रचालनिक सेगमेंट" का प्रकटन निम्नानुसार है:

क. सामान्य जानकारी:

"प्रचालनिक सेगमेंट को एक उद्यम के घटकों के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसके लिए विशिष्ट वित्तीय सूचना उपलब्ध होती है, जिसका मूल्यांकन नियमित रूप से मुख्य प्रचालन निर्णय निर्माता (सीओडीएम) द्वारा किया जाता है, ताकि यह तय किया जा सके कि संसाधनों का आवंटन कैसे किया

जाए और निष्पादन का आकलन कैसे किया जाए। कंपनी का निदेशक मंडल मुख्य परिचालन निर्णय निर्माता (सीओडीएम) है। प्रचालनिक खंडों उस रूप में प्रस्तुत किया गया है जिसमें निष्पादन और संसाधनों के आवंटन की समीक्षा के लिए मुख्य प्रचालन निर्णय निर्माता (सीओडीएम) आंतरिक रिपोर्टिंग को प्रदान की गई है।

कंपनी ने भौगोलिक दृष्टिकोण से रिपोर्ट करने योग्य प्रचालनिक सेगमेंट निर्धारित किए हैं।

ख. वित्तीय विवरणों में रिपोर्ट योग्य सेगमेंटो और राशियों के पुनर्विनियोजन संबंधी सूचना:

(रुपये करोड़ में)

विवरण	**घरेलू**		**कुल**	
	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	**31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु**	**31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु**	**31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु**
सेगमेंट राजस्व				
बाहरी ग्राहकों से राजस्व	54.86	70.40	**54.86**	**70.40**
जमा:एकीकृत संयुक्त प्रचालनों में टर्नओवन में कंपनी का भाग	-	-	**-**	**-**
कुल प्रचालनिक राजस्व	**54.86**	**70.40**	**54.86**	**70.40**
ब्याज आय	0.30	0.30	**0.30**	**0.30**
कुल आय	0.14	0.03	**0.14**	**0.03**
अंतर-सेगमेंट	-	-	**-**	**-**
कुल राजस्व	**55.30**	**70.73**	**55.30**	**70.73**
<u>सेगमेंट परिणाम</u>				

प्रावधान, मूल्यह्रस, ब्याज, आपवादित मदों और कर पूर्व लाभ	12.08	(108.72)	**12.08**	**(108.72)**
घटा: प्रावधान और बट्टा खाता (निवल)	(2.09)	134.54	**(2.09)**	**134.54**
घटा:मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि	(23.08)	(23.04)	**(23.08)**	**(23.04)**
घटा:ब्याज	-	(19.94)	**-**	**(19.94)**
कर पूर्व लाभ	**(13.09)**	**(17.16)**	**(13.09)**	**(17.16)**
घटा: कर व्यय	(8.29)	(0.01)	**(8.29)**	**(0.01)**
कर पश्चात लाभ	**(21.38)**	**(17.17)**	**(21.38)**	**(17.17)**

ग. अन्य सूचना

(रुपये करोड़ में)

विवरण	**घरेलू**		**कुल**	
	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	**31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु**	**31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु**	**31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु**
परिसंपत्तियां	509.34	594.17	509.34	594.17
देयताएं	381.10	444.55	381.10	444.55
इक्विटी विधि द्वारा लेखांकित संयुक्त उपक्रमों में निवेश	0.00	0.00	0.00	0.00
वित्तीय प्रलेखों,आस्थगित कर परिसंपत्तियों, निवल परिभाषित लाभ परिसंपत्तियों से इतर गैर चालू परिसंपत्तियां	0.00	0.00	0.00	0.00
पूंजीगत व्यय (पीपीई, सीडब्ल्यूआईपी, निवेश परिसंपत्ति, अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां और विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों के अतिरिक्त)	(14.92)	12.17	(14.92)	12.17

*पूंजीगत व्यय राशि एनएचएआई द्वारा दी गई इक्विटी नकद सहायता का सकल है (संदर्भ नोट 4)

घ. प्रमुख ग्राहकों के संबंध में सूचना

कंपनी टोल रोड के निर्माण, प्रचालन, रखरखाव के व्यवसाय में संलिप्त है और इसका प्रमुख राजस्व उक्त टोल रोड का उपयोग करने वाले वाहनों से टोल संग्रह से प्राप्त होता है। दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि के दौरन इनसे घरेलू सेगमेंट से ही राजस्व का लगभग 78.73%(64.20%) की वृद्धि हुई है। शेष लगभग 21.27 प्रतिशत (35.80 प्रतिशत) राजस्व एनएचएआई के साथ सेवा रियायत करार के अंतर्गत टोल रोड के निर्माण हेतु है।

नोट 34. इंड एएस 115-"ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व' के तहत प्रकटन

(क) राजस्व से असंयोजन

प्रचालनिक सेगमेंट और उत्पाद या सेवाओं के प्रकार के संबंध में ग्राहकों के साथ संविदाओं से कंपनी के राजस्व का असंयोजन निम्नानुसार है:

(रूपए करोड़ में)

उत्पाद या सेवा का प्रकार	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु						
	इंड एएस-115 के अनुसार राजस्व			निष्पादन दायित्वों के मापन हेतु विधि		अन्य राजस्व	लाभ व हानि के विवरण के अनुसार कुल (सेगमेंट रिपोर्टिंग)
	घरेलू	विदेशी	कुल	इनपुट विधि	आउटपुट विधि		
रेलवे	-	-	-	-	-	-	-
राजमार्ग	54.86	-	54.86	54.86	-	-	54.86
इलैक्ट्रिकल	-	-	-	-	-	-	-
भवन	-	-	-	-	-	-	-
अन्य	-	-	-	-	-	-	-
कुल	**54.86**	**-**	**54.86**	**54.86**	**-**	**-**	**54.86**

वर्ष के दौरान इंड एएस 115 के अंतर्गत स्वीकृत कुल राजस्व में से, 11.66 करोड़ रूपए को समयावधि में स्वीकार किया गया है और 43.20 करोड़ रूपए को समय बिंदु पर स्वीकार किया गया है।

(रूपए करोड़ में)

उत्पाद या सेवा का प्रकार	**31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु**						
	इंड एएस 115 के अनुसार राजस्व			**निष्पादन दायित्वों के मापन हेतु विधि**		**अन्य राजस्व**	**लाभ व हानि के विवरण के अनुसार कुल (सेगमेंट रिपोर्टिंग)**
	घरेलू	**विदेशी**	**कुल**	**इनपुट विधि**	**आउटपुट विधि**		
रेलवे	-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
राजमार्ग	70.40	-	70.40	70.40	-	-	70.40
इलैक्ट्रिकल	-	-	-	-	-	-	**-**
भवन	-	-	-	-	-	-	**-**
अन्य	-	-	-	-	-	-	**-**
कुल	**70.40**	**-**	**70.40**	**70.40**	**-**	**-**	**70.40**

वर्ष के दौरान इंड एएस 115 के अंतर्गत स्वीकृत कुल राजस्व में से, 25.20 करोड़ लाख रूपए को समयावधि में स्वीकार किया गया है और 45.20 करोड़ रूपए को समय बिंदु पर स्वीकार किया गया है।

ख. कंपनी ने इंड एएस 115 - "ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व" के अनुप्रयोग हेतु आशाधित पूर्वगामी परिदृश्य को अपनाया है और दिनांक 01 अप्रैल 2018 के प्रतिधारित आमदनी पर इसका शून्य प्रभाव हो।

ग. संविदा शेष:

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
व्यापार प्राप्य (नोट 7.1)	**12.38**	**9.66**
संविदा परिसंपत्तियां (नोट 5.1 और 7.4)	**1.79**	**1.84**
संविदा दायित्व	-	-

(i) व्यापार प्राप्य बिना ब्याज के हैं और ग्राहक प्रोफाइल में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) तथा टोल एकत्रण एजेंसी शामिल है। कंपनी का औसत परियोजना निष्पादन चक्र 24 से 36 महीने का है। सामान्य भुगतान की शर्तों में उपयोगिता शिफ्टिंग प्रतिपूर्ति के लिए भुगतान शामिल हैं और 60 से 180 दिनों की ऋण अवधि या जब काम प्रमाणित है, तो किसी भी तरह से सहमत होने पर काम के दायरे में बदलाव। भुगतान में टोल एकत्र किए गए टोल के उपयोग के लिए टोल प्राप्तियां भी शामिल हैं। कंपनी के लिए टोल संग्रह एजेंसी। कंपनी द्वारा निष्पादित परियोजना बीओटी (निर्माण प्रचालन अंतरण) मॉडल के तहत है और भुगतान टोल एकत्रण और एनएचएआई द्वारा अतिरिक्त कार्यों, यदि कोई हो, के कारण है।

(ii) संविदा परिसंपत्तियों को उस अवधि के ऊपर स्वीकार किया जाता है, जिसमें सेवाएं निष्पादित की गई हैं ताकि ग्राहकों को अंतरित वस्तुओं या सेवाओं के लिए विनिमय में कंपनी के अधिकार को स्पष्ट किया जा सके। इसमें निर्माण संविदा के अंतर्गत ग्राहकों से देय शेष शामिल है, जो तब उत्पन्न होती हैं जब कंपनी संविदाओं की शर्तों के अनुसार ग्राहकों से धनराशि प्राप्त करती हैं। तथापि राजस्व को इनपुट विधि के अंतर्गत उक्त अवधि में स्वीकार किया जाता है। पूर्व में स्वीकृत संविदा परिसंपत्ति के रूप में और किसी भी राशि को संबंधित शर्तों के संतोषपूर्ण पूरा होने पर पुनः वर्गीकृत किया जाता है अर्थात भावी सेवाएं जो बिल योग्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।

वर्ष के दौरान संविदागत शेषों का संचलन

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
वर्ष के आरंभ में संविदागत परिसंपत्तियां	1.84	1.84
वर्ष के अंत में संविदागत परिसंपत्तियां	1.79	1.84
निवल वृद्धि/कमी	**0.05**	**-**

वित्त वर्ष 2020-21 के लिए पिछले वर्ष की तुलना में शुद्ध रूप से 0.05 करोड़ रुपये की कमी की गई है। यह 0.88 करोड़ रुपये के ग्राहक द्वारा रोके गए धन के लिए खाते में कमी थी जो वित्तीय वर्ष (नोट 7.4) के दौरान प्राप्त हुई थी और वित्त वर्ष 20-21 में बुक किए गए 0.83 करोड़ रुपये के बिलयोग्य राजस्व के अतिरिक्त वित्त वर्ष 21-22 में ग्राहक को बिल किया गया था (नोट 7.4)। दिनांक 31.03.2021 को अनुबंध संपत्ति 1.79 करोड़ रुपये है, जिसमें से 0.96 करोड़ रुपये प्रतिधारण राशि के रूप में हैं, जिनके परियोजना के अंतिम पूरा होने के पश्चात प्राप्त होने की संभावना है (नोट 7.4) और शेष 0.83 करोड़ रुपये बिल योग्य राजस्व है, जिसे वित्तीय वर्ष 21-22 में ग्राहक को बिल किया गया (नोट 7.4)।

(रूपए करोड़ में)

विवरण	**31 मार्च 2021 को**	**31 मार्च 2020 को**
वर्ष के आरंभ में संविदागत परिसंपत्तियां	-	-
वर्ष के अंत में संविदागत परिसंपत्तियां	-	-
निवल वृद्धि/कमी	-	-

घ. स्वीकृत राजस्व की राशि निम्नानुसार है:

विवरण	**31 मार्च 2021 को**	**31 मार्च 2020 को**
वर्ष के आरंभ में संविदागत देयताओं में शामिल राशि	-	-
पिछले वर्ष संतुष्ट निष्पादन दायित्व	-	-

ड. संविदा प्राप्त करने की लागत

दिनांक 31 मार्च, 2021 तक परिसंपत्ति के रूप में स्वीकृत राशि शून्य रूपए (31 मार्च, 2020 तक: शून्य रूपए) है।

वर्ष के दौरान लाभ और हानि विवरण में स्वीकृत परिशोधन राशि शून्य रूपए (वित्तीय वर्ष 2019-20 : शून्य रूपए) है।

च. निष्पादन दायित्व

कंपनी के निष्पादन दायित्वों से संबंधित सूचना नीचे सारबद्ध है:

31 मार्च को शेष निष्पादन दायित्वों (असंतुष्ट या आंशिक रूप से असंतुष्ट) को आवंटित संव्यवहार मूल्य निम्नानुसार है:

(रूपए लाख में)

	31 मार्च 2021 को	**31 मार्च 2020 को**
एक वर्ष के भीतर	-	-
एक वर्ष से दो वर्ष तक	-	-
दो वर्ष से अधिक	-	-
कुल	-	-

34 पट्टों

क) पट्टेदार के रूप में कंपनी

पट्टेदार के रूप में कंपनी ने कार्यालय परिसर और गेस्ट हाउस के लिए दो पट्टे अनुबंधों में प्रवेश किया है। इंड एएस-116 स्वीकर करने से पहले, कंपनी ने अपने प्रत्येक पट्टे (पट्टेदार के रूप में) के निष्पादन की तारीख को वित्तीय पट्टा या प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया था। ये पट्टे अल्पकालिक पट्टों या कम मूल्य के पट्टों की प्रकृति के हैं और प्रचालनिक पट्टे हैं।

पट्टा देयताएं

वर्ष के दौरान पट्टा देयताओं की स्वीकृति की वहन राशि और संचलन ब्यौरा निम्नानुसार है:

(रुपये करोड़ में)

	31 मार्च, 2021 तक	**31 मार्च, 2020 तक**
आरंभिक शेष	-	-
संवर्धन	-	-
ब्याज की स्वीकृति	-	-
भुगतान	-	-
राशि 31 मार्च, 2020 को शेष	-	-
चालू	-	-
गैर चालू	-	-

लाभ और हानि विवरण में स्वीकृत राशि

(रुपये करोड़ में)

	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	**31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए**
परिसंपत्ति प्रयोग अधिकार का मूल्यह्रास व्यय	-	-
पट्टा देयताओं पर ब्याज खर्च	-	-
अल्पकालिक और कम मूल्य के पट्टों से संबंधित व्यय (संदर्भ नोट 18)	0.04	0.08
	0.04	**0.08**

ख) पट्टादाता के रूप में कंपनी

वर्तमान में कंपनी ने कोई वस्तु पट्टे पर नहीं दी गई है।

नोट 35. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 द्वारा अपेक्षित प्रकटीकरण इस प्रकार हैं: -

(रूपए लाख में)

क्र.सं	**विवरण**	**31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु**	**31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु**
1	प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में मूल राशि और उस पर देय ब्याज, जो किसी आपूर्तिकर्ता को बकाया है:	-	-
	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को देय मूल राशि	-	-
	उपर्युक्त पर ब्याज	-	-
2	प्रत्येक लेखांकन वर्ष के दौरान निर्धारित तिथि से आगे आपूर्तिकर्ताओं को किए गए भुगतान सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के संदर्भ में रीजन (क्षेत्र) द्वारा देय ब्याज की राशि।	-	-

3	भुगतान करने में विलंब की अवधि के लिए देयस और भुगतानयोग्य ब्याज की राशि (वर्ष के दौरान जिसका भुगतान किया गया है किन्तु र्धारित तिथि के पश्चात) किन्तु सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना।	-	-
4	प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में अर्जित ब्याज और शेष अप्रदत्त राशि;	-	-
5	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के तहत आगामी वर्षों में भी देय शेष ब्याज की राशि, ऐसी तारीख जबतक कि ब्याज की बकाया राशि वास्तव में लघु उद्यम को भुगतान न हो गई हो, जो कि कटौतीयोग्य व्ययों की अस्वीकृति के प्रयोजन हेतु है।	-	-

नोट 36: कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय (CSR)

सार्वजनिक उपक्रम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार, कंपनी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान पूर्ववर्ती तीन वर्षों में प्राप्त औसत शुद्ध लाभ का कम से कम दो प्रतिशत खर्च करना होगा। चूंकि कंपन का निवल औसत लाभ नकारात्मक है, इसलिए सीएसआर गतिविधि पर कोई खर्च नहीं किया गया है।

नोट सं.37 अन्य प्रकटन

(क) ऋणदाताओं, अग्रिमों और देनदारों के अंतर्गत दर्शाए गए कुछ शेष पुष्टि/समायोजन/ पुनर्विनियोजन, यदि कोई हो के अध्याधीन हैं। कंपनी पक्षों से पुष्टि हेतु पत्र भेज रही है। तथापि, इसकी वसूलीयोग्यता/भुगतान के सबंध में यहां कोई तथ्यात्मक विवाद नहीं है।

(ख) प्रबंधन के मतानुसार, व्यावसाय की सामान्य प्रक्रिया में वसूली पर चालू परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों का मूल्य उस मूल्य से कम नहीं होगा जिस पर उसे तुलनपत्र में अंकित किया गया है।

(ग) कंपनी को राजस्थान राज्य में डीबीएफओटी (अभिकल्प, निर्माण, वित्तपोषण तथा प्रचालन, और हस्तांतरण आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग-15 के किमी 4.200 से किमी 55.250 तक चार लेन

तथा किमी 55.250 से किमी 163.500 तक पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन के रूप में मौजूदा बीकानेर तथा फलौदी खंड का चौड़ीकरण तथा सुदृढ़ीकरण के लिए एनएचएआई द्वारा प्रदान किए गए कार्य के लिए दिनांक 15 फरवरी 2019 को वाणिज्यिक प्रचालन तिथि (सीओडी) प्राप्त हो गई है।

कंपनी ने प्रमाणित स्वतंत्र इंजीनियर के मूल्यांकन के अनुसार 19 फरवरी को 95.93% भौतिक प्रगति पूरी कर ली है। उस समय प्राप्त की गई भौतिक प्रगति और उस समय स्वीकृत अनुमानित लागतों के आधार पर, 520.75 करोड़ रुपये की राशि को अमूर्त संपत्ति- टोल रोड (संदर्भ नोट 4) में स्थानांतरित कर दिया गया था। वर्तमान वित्तीय वर्ष में दिनांक 04.11.2020 तक प्राप्त कुल पूर्णता 100% के अंतिम समापन को प्राप्त किया गया था और संवर्धात्मक जोड़ को विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति के तहत पूंजीकृत किया गया है।

(घ) भारतीय लेखांकन मानक इंड एस-115 के अनुसार, अनुबंध-ग, एनएचएआई से सेवा रियायत करार - रोकड़ सहायता हेतु अनुदन को उनके उचित मूल्य पर स्वीकार किया गया है, जहां उपयुक्त संगत आश्वासन उपलब्ध है कि अनुदान सहायता प्राप्त होगी और कंपनी सभी संबंधित शर्तों का अनुपालन करेगी। इसके लिए लेखांकन उपचार को ऊपर उल्लिखित इंड एस-115 के अनुसार किया गया है।

सेवा रियायत समझौते के अनुसार कंपनी द्वारा मान्यता प्राप्त अनुदान मूल परियोजना लागत और मूल वित्तीय पैकेज के आधार पर शून्य (पिछले वर्ष 327 करोड़ रुपये) है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने मान्यता प्राप्त अनुदान की राशि से अमूर्त संपत्ति - सड़क को कम कर दिया है।

(ङ.) एनएचएआई के साथ किए गए रियायत करार के अनुसार, कंपनी को बिजली की लाइनों, पानी के पाइपों और टेलीफोन केबलों सहित उपयोगिता सेवाओं के स्थानान्तरण का कार्य करने की आवश्यकता है, यदि ये उपयोगिता सेवाएं परियोजना के निर्माण, प्रचालन और अनुरक्षण पर सामग्रीगत प्रतिकूल प्रभाव डाल रही हैं। इस प्रकार की सेवाओं के स्थानान्तरण की लागत प्राधिकरण (एनएचएआई) उस सेवा के स्वामी निकाय द्वारा वहन की जाएगी।

कंपनी ने एनएचएआई की स्वीकृति के पश्चात उपयोगिता के सम्पूर्ण कार्य को बैक-टू-बैक आधार पर इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड को उपठेके पर अंतरित किया है। दिनांक 31 मार्च 2021 तक इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ने कंपनी को 31.46 करोड़ रुपए (31 मार्च 2020 तक 31.46 करोड़ रूपए) का बिल प्रस्तुत किया है। कंपनी समय समय पर एनएचएआई के समक्ष दावे प्रस्तुत करता है और इसका पुनर्विनियोजन किया जा रहा है। इन दावों के प्रति दिनांक 31 मार्च 2021 तक एनएचएआई से 29.75 करोड़ रूपए रुपए (टीडीएस सहित) प्रस्तुत हुए हैं। 1.71 करोड़ रूपए (2.71 करोड़ रूपए)

को चालू परिसंपत्यिां - अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां के अंतर्गत “अन्य प्राप्य” (नोट-7.4) के अंतर्गत रिपोर्ट किया गया है और एनएचएआई के साथ समायोजन अधीन है और अभी एनएचएआई से प्राप्त की जानी है/पुष्टि होनी है।

(च) 57.47 लाख रूपए के प्राप्य कार्य संविदाओं पर वेट की राशि को “अन्य प्राप्य” (नोट-7.4) के अंतर्गत रिपोर्ट किया गया है क्योंकि उपोगिता शिफ्टिंग पर पूर्ववती वेट व्यवस्था में एनएचएआई द्वारा वेट की कटौती की गई है। ग्राहकों/ कर विभाग से इसकी वसूली के प्रयास किये जा रहे हैं। उपयोगिता शिफ्टिंग के कारण एनएचएआई से देय राशि की वसूली समायोजन के अधीन है।

(छ) 95.78 लाख रुपये की राशि प्रतिधारण राशि (पिछले वर्ष 95.78 लाख रुपये) को "वर्तमान संपत्ति - अन्य वित्तीय संपत्ति" के तहत दर्शाया गया है क्योंकि ग्राहक से इसकी वसूली के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और प्रबंधन को अगले 12 महीनों में इसकी वसूली की आशा है।

(ज) दिनांक 31.03.2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी ने 11.66 करोड़ रुपये (31/03/2020 तक 13.98 करोड़ रुपये) के दायरे में परिवर्तन के तहत किए गए कार्यों के लिए एनएचएआई को इनवायस भेजा है। इस राशि को व्यापार प्राप्य माना जाता है और इसका एनएचएआई के साथ समाधान किया जा रहा है और इसकी अभी तक एनएचएआई से प्राप्त/पुष्टि नहीं किया गया है।

(झ) वर्तमान में रिपोर्टिंग तिथि को कोविड-19 महामारी की अवधि और उसके प्रभाव अस्पष्ट है। इसलिए, इन परिणामों की अवधि और गंभीरता और साथ ही भविष्य के लिए कंपनी की वित्तीय स्थिति और परिणामों पर उसके प्रभाव का विश्वसनीय रूप से अनुमान लगाना संभव नहीं है। हालाँकि, रियायत अवधि में समय विस्तार के माध्यम से राजस्व हानि क्षतिपूर्ति के रूप में प्राकृतिक आपदा के तहत इस प्रकार की हानि का दावा करने के लिए कंपनी को रियायत समझौते के खंड 29.6 द्वारा संरक्षित किया गया है। लॉकडाउन व्यवधान / कोविड-19 महामारी के प्रभाव का समय-समय पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए और इस संबंध में सूचित किया जाना चाहिए क्योंकि हम वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान प्रगति कर रहे हैं। राज्य और केंद्र सरकारों और स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा किए जा रहे विभिन्न महामारी रोकथाम प्रयासों की सफलता पर बहुत कुछ निर्भर करता है। इसलिए, इस स्तर पर विश्वसनीयता के साथ भविष्य के प्रभाव का पूर्वानुमान लगाना परिपक्व नहीं होगा।

(ट) कतिपय पूर्व-अवधिराशियों को चालू अवधि प्रस्तुतीकरणों के साथ समरूपता हेतु पुन:वर्गीकृत किया गया है। इन वर्गीकरणों का प्रचालनों के परिणामों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इसके अतिरिक्त, पिछलेवर्ष के आंकड़ों को प्रकोष्ठ ( ) में दर्शाया गया है ताकि उन्हें वर्तमान वर्ष के आंकड़ों से भिन्न दर्शाया जा सके।

(ठ) कंपनी ने दिनांक 01.07.2019 से आरंभ होकर 12 वर्षों की संरचित तिमाही किश्तों में ऋण की अदायगी के लिए दिनांक 15.12.2020 को परिशिष्ट जारी किया है। कंपनी ने 30.09.2019 तक 19.94 करोड़ रुपये के ऋण पर ब्याज प्रदान किया है, हालांकि 01.10.2019 से 31.03.2021 तक की अवधि के लिए ब्याज की छूट का प्रस्ताव होल्डिंग कंपनी के विचाराधीन है।

हमारी इसी तारीखा की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते ए.एन गर्ग एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएल- 004616**एन**

ह/-
ए.एन.गर्ग
एफसीए भागीदार
सं.सं: 083687
यूडीआईएन:20083687एएएडीवाई8630

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 15.6.2021

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

	ह/-		**ह/-**
	(योगेश कुमार मिश्रा)		**(बी.मुगुनथन)**
	अध्यक्ष		**निदेशक**
	डीआईएन: 07654014		**डीआईएन: 8517013**
ह/-	**ह/-**	**ह/-**	**ह/-**
(आर.के.कामले)	**(मीनाक्षी गर्ग)**	**(अनुराधा कौशिक)**	
मुख्य कार्यपालक अधिकारी	**मुख्य वित्त अधिकारी**	**कंपनी सचिव**	

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, के अनुच्छेद 143(6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए **इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड** का वित्तीय विवरण तैयार करने का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। अधिनियम के अनुच्छेद 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, उनके व्यावसायिक निकाय इंस्टीट्यूट आफ चार्टेड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित अनुसार तथा आश्वासन मानकों के अनुसार अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित अनुसार लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है। यहां यह उल्लेखनीय है कि दिनांक 15 जून 2021 की उनकी लेखापरीक्षा रिर्पोट में उनके द्वारा ऐसा किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए **इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड** के वित्तीय विवरणों का अधिनियम के अनुच्छेद 143(6)(क) के अंतर्गत अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यशील अभिलेखों को प्राप्त किए बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और यह प्रमुख रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों के प्रश्नों तक सीमित है और यह कुल लेखांकन रिकार्डों की चुनिंदा जांच है।

मैंने, अधिनियम के अनुच्छेद 143(6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा नहीं करने का निर्णय लिया है।

कृते एवं की ओर से
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

(के.एस.रामुवालिया)
प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक
रेल वाणिज्यिक नई दिल्ली

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 05.08.2021